माला, खंड २९, अंक ४१ शुक्रवार, ३ अप्रैल, १९६४/ १४ चैत्र, १८८६ (शक)

Series, Vol. XXIX No. 41. Friday, April 3, 1964/Chaitra 14, 1886 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 14.12.83
Parliament Library

[खंड २९ में अंक ४१ से ५० तक हैं
Vol. XXIX contains Nos. 41—50]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिय गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

430(Ai)LS--1.

विषय-सूची

[तृतीय माला, खण्ड २९---सातवां सत्र, १९६४]

अंक ४१---शुक्रवार, ३ अप्रैल, १९६४ / १४ चैत्र, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१६९---९४

*तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८८४	घड़ियों का निर्माण	३१६९--७०
८८५	मिश्रित इस्पात	३१७१---७३
८८७	कपड़ा मशीन उद्योग के लिये विकास परिषद् . .	३१७३--७४
८८८	राजस्थान में लिग्नाइट के निक्षेप . . .	३१७४--७५
८८९	कपड़े का निर्यात	३१७६---७८
८९६	राज्य व्यापार निगम द्वारा उर्वरकों का आयात . .	३१७८---८०
८९७	मध्य प्रदेश में कोयला	३१८०---८३
८९८	बोकारो इस्पात कारखाना . . .	३१८३---८५
९००	बिजली सामान उद्योग .	३१८५---८७
९०३	ईंधन की खपत . .	३१८७---८९
८९९	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची . .	३१९०--९१
८९५	स्वतन्त्र उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह . . .	३१९१--९२

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१६	पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के बारे में पत्र संवाद-दाताओं का दल	३१९२---९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३१९४---३२१४

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८८६	लौह अयस्क खानें . . .	३१९४--९५
८९०	सहायता प्राप्त औद्योगिक बस्तियां .	३१९५
८९१	रूरकेला, दुर्गापुर और रांची में फालतू कर्मचारी	३१९६
८९२	हथकरघा कर्मचारियों के लिये मकान . .	३१९६--९७
८९३	कोयला ईंधन	३१९७
८९४	कपड़ा मिलें	३१९७
९०१	विदेशों में राज्य व्यापार निगम का व्यापार शिष्टमंडल	३१९८
९०२	किरिबुरू लौह अयस्क परियोजना . . .	३१९८--९९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

[Third Series, Vol. XXIX—Seventh Session, 1964]

No. 41—Friday, April 3, 1964/Chaitra 14, 1886 (Saka)

Oral Answers to Questions . . . 3169—94

*Starred Questions Nos.	Subject	PAGE
884	Manufacture of Watches	3169-70
885	Alloy Steel	3171—73
887	Development Council for Textile Machinery Industry	3173-74
888	Lignite Deposits in Rajasthan	3174-75
889	Export of Textiles	3176—78
896	Import of Fertilizers by S.T.C.	3178—80
897	Coal in Madhya Pradesh	3180—83
898	Bokaro Steel Plant	3183—85
900	Electrical Goods Industry	3185—87
903	Fuel Consumption	3187—89
899	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	3190-91
895	Independent Candidate's Election Symbol	3191-92
Short Notice Question No.		
16.	Press Party to report re: Refugees from East Pakistan	3192—94

Written Answers to Questions— . . . 3194—3214

Starred Questions Nos.		
886	Iron-ore Mines	3194-95
890	Assisted Industrial Estates	3195
891	Surplus Personnel at Rourkela, Durgapur and Ranchi	3196
892	Houses for Handloom Workers	3196-97
893	Coal Fuel	3197
894	Textile Mills	3197
901	S.T.C. Trade Delegation Abroad	3198
902	Kiriburu Iron Ore Project	3198-99

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१८२४	उड़ीसा में खादी का उत्पादन	३१९९
१८२५	लघु उद्योग निगम, उड़ीसा	३१९९
१८२६	रूरकेला इस्पात संयंत्र	३१९९
१८२७	खादी ग्रामोद्योग कार्यकर्ता संघ	३१९९—३२००
१८२८	रेडियो और ट्रांजिस्टर सेटों के लिये आयात लाइसेंस	३२००
१८२९	काश्मीर में सीशे के निक्षेप	३२००
१८३०	चाय बागान	३२००—०१
१८३१	गारो पहाड़ी क्षेत्र में नई कोयला खान	३२०१
१८३२	दिल्ली में लघु उद्योग	३२०२
१८३३	पटसन मूल्य स्थैर्य नीति	३२०२
१८३४	यूगोस्लाविया का व्यापार शिष्टमंडल	३२०२—०३
१८३५	कुटीर और लघु उद्योगों में विदेशों में प्रशिक्षण	३२०३
१८३६	कुल्लू में अखबारी कागज का कारखाना	३२०३
१८३७	अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में कार्यालयों के नाम	३२०३—०४
१८३८	लक्कदीव द्वीपसमूह में गन्धक के निक्षेप	३२०४
१८३९	अरावली में अलौह धातु की संभावना	३२०४—०५
१८४०	कोयले की ढुलाई	३२०५
१८४१	राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	३२०५—०६
१८४२	जहाजों द्वारा कोयले की ढुलाई के लिये राज्य सहायता	३२०६
१८४३	मद्रास से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदनपत्र	३२०६
१८४४	छोटे ट्रैक्टर	३२०६
१८४५	कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला	३२०७
१८४६	कोयले की परत का श्रेणीकरण	३२०७—०८
१८४७	मैसूर राज्य में फर्मों को स्टेनलेस स्टील का अभ्यंश (कोटा)	३२०८
१८४८	गोटीतोरिया, नरसिंहपुर में कोयला खान	३२०८—०९
१८४९	सूत	३२०९—१०
१८५०	स्कूटर	३२१०
१८५१	निर्यात प्रचार सम्बन्धी प्रलेखीय चल चित्र	३२१०—११
१८५२	हीरे की खानों का विकास	३२११
१८५३	फिरोजाबाद का कांच और चूड़ी का उद्योग	३२११
१८५४	नारियल जटा से कागज	३२११—१२
१८५५	कोयला खनन मशीन परियोजना	३२१२
१८५६	सिंगरेनी कोयला खान में "स्लैक" कोयला	३२१२
१८५७	हिमाचल प्रदेश में शराब बनाने का कारखाना और दुग्ध-चूर्ण कारखाना	३२१२—१३
१८५८	परिष्कृत लौह अयस्क	३२१३
१८५९	टाइलों का निर्यात	३२१३—१४
१८६०	धमन भट्टियां	३२१४
१८६१	भारत-आस्ट्रेलिया व्यापार	३२१४

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
1824	Khadi Production in Orissa	3199
1825	Small Scale Industries Corporation, Orissa	3199
1826	Rourkela Steel Plant	3199
1827	Union of Khadi Gramodyog Workers	3199—3200
1828	Import Licences for Radio and Transistor Sets	3200
1829	Deposits of Lead in Kashmir	3200
1830	Tea Plantation	3200–01
1831	New Coal Mine in Garo Hills Area	3201
1832	Small Industries in Delhi	3202
1833	Jute Price Support Policy	3202
1834	Yugoslav Trade Mission	3202–03
1835	Training abroad in Cottage and Small Scale Industries	3203
1836	Newsprint Factory in Kulu	3203
1837	Nomenclature of Offices in English and Indian Languages	3203–04
1838	Sulphur Deposits in Laccadive Islands	3204
1839	Non-ferrous Metals Potential in Aravallis	3204–05
1840	Coal Transport	3205
1841	Rajasthan Khadi and Village Industries Board	3205–06
1842	Subsidies given for Shipping of Coal	3206
1843	Applications for Industrial Licences from Madras	3206
1844	Small Tractors	3206
1845	Coking and Non-Coking Coal	3207
1846	Grading of Coal Seams	3207–08
1847	Stainless Steel Quotas in Firms in Mysore State	3208
1848	Coal Mine at Gotitoria, Narsinghpur	3208–09
1849	Cotton Yarn	3209–10
1850	Scooters	3210
1851	Documentary Films on Export Publicity	3210–11
1852	Development of Diamond Mines	3211
1853	Glass and Bangle Industry, Ferozabad	3211
1854	Paper from Coconut Coir	3211–12
1855	Coal Mining Machinery Project	3212
1856	Slack Coal at Singareni Collieries	3212
1857	Distillery and Milk Powder Factory in Himachal Pradesh	3212-13
1858	Iron Ore Mines	3213
1859	Report of Tiles	3213–14
1860	Blast Furnaces	3214
1861	Indo-Australian Trade	3214

विषय	पृष्ठ
उच्चतम न्यायालय से सूचना . . .	३२१५–१६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	३२१६—१८
जम्मू के ऊपर एक अज्ञात विमान की उड़ान .	३२१६—१८
श्री स्वैल . .	३२१६
श्री रघुरामैया . .	३२१६—१८
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में . . .	३२१८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२१८—२०
लोक लेखा समिति	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	३२२०
प्राक्कलन समिति	
इक्यावनवां प्रतिवेदन .	३२२०
अनुदानों की मांगें	३२२०—२८
उद्योग मंत्रालय	३२२०—२८
श्री व० बा० गांधी . . .	३२२०–२१
श्री कृष्णपाल सिंह . .	३२२१–२२
श्री विश्वनाथ राय . . .	३२२३
श्री मान सिंह पृ० पटेल	३२२३–२४
श्री अल्बारेस	३२२४–२५
श्री रामेश्वर टांटिया . . .	३२२५–२६
श्री सुब्बारामन . . .	३२२६–२७
श्री बड़े . . .	३२२७–२८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
उन्तालीसवां प्रतिवेदन .	३२२९
पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के बारे में संकल्प . . .	३२२९—३६
श्री नि० चं० चटर्जी	३२३०–३१
श्री च० का० भट्टाचार्य	३२३१
श्री हेम बरुआ . . .	३२३१–३२
डा० राम मनोहर लोहिया .	३२३२–३३
श्री लाल बहादुर शास्त्री .	३२३३—३५
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी .	३२३५–३६

Subject	PAGE

Notice from Supreme Court . . 3215-16

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . 3216-18

Flight of unidentified plane over Jammu . . . 3216—18

Shri Swell 3216

Shri Raghuramaiah . . . . 3216—18

Re: Calling Attention Notice 3218

Papers laid on the Table . . . . 3218—20

Public Accounts Committee

Twenty-fifth Report 3220

Estimates Committee

Fifty-first Report 3220

Demands for Grants . . . . 3220—28

Ministry of Industry . . . . . . 3220—28

Shri V. B. Gandhi 3220-21

Shri Krishnapal Singh 3221-22

Shri Bishwanath Roy 3223

Shri Man Singh P. Patel 3223-24

Shri Alvares 3224-25

Shri Rameshwar Tantia 3225-26

Shri Subbaraman 3226-27

Shri Bade 3227-28

Committee on Private Members' Bills and Resolutions

Thirty-ninth Report 3229

Resolution *re:* Minorities in East Pakistan . . . . 3229—36

Shri N. C. Chatterjee 3230-31

Shri C. K. Bhattacharyya. . . . 3231

Shri Hem Barua 3231-32

Dr. Ram Manohar Lohia 3232-33

Shri Lal Bahadur Shastri . . 3233—35

Shri Tridib Kumar Chaudhuri 3235-36

विषय	पृष्ठ
अंगहीन व्यक्तियों की शिक्षा के बारे में संकल्प . . .	३२३७—४३
श्रीमती सावित्री निगम . . .	३२३७—३९
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	३२३९—४०
श्री कछवाय	३२४०
श्री शिव नारायण	३२४०—४१
श्री मु० क० चागला	३२४१—४३
लोक आयुक्त की नियुक्ति के बारे में संकल्प	
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी . . .	३२४३—४६

Subject	Page
Resolution *re:* Education of the handicapped . .	3237—43
Shrimati Savitri Nigam	3237—39
Shri Sidheshwar Prasad	3239-40
Shri Kachhavaiya	3240
Shri Sheo Narain	3240-41
Shri M. C. Chagla	3241—43
Resolution *re:* appointment of Peoples Procurator	
Dr. L.M. Singhvi	3243—46

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, ३ अप्रैल, १९६४ / १४ चैत्र, १८८६ (शक)

Friday, April 3, 1964/Chaitra 14, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

घड़ियों का निर्माण

*८८४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय घड़ी के पुर्जों का निर्माण करने और घड़ियों के अलग अलग पुर्जे जोड़ कर घड़ियां तैयार करने वाले कितने कारखाने हैं ;

(ख) पिछले दो वर्षों में कुल कितनी घड़ियों का आयात किया गया ; और

(ग) भारत, देश में घड़ियों के निर्माण में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) दो ; इन कारखानों में घड़ी के पुर्जों का निर्माण और घड़ियों के अलग अलग पुर्जे जोड़कर घड़ियां तैयार करना ये दोनों ही कार्य किये जाते हैं ।

	घड़ियां
(ख) १९६२ .	१,१३,९३९
जनवरी-सितम्बर, १९६३	१६,७०९

(ग) आशा की जाती है कि इनमें से एक कारखाना १९६७-६८ तक ऐसी घड़ियां तैयार करने लगेगा जिनमें ८४ प्रतिशत देशी पुर्जे होंगे । इस कारखाने का १९६७-६८ के बाद का निर्माण कार्यक्रम अभी तैयार किया जाना है ।

Shri Yashpal Singh : To what extent foreign collaboration has been obtained for this ?

श्री कानूनगो : दोनों ही कारखानों के मामले में विदेशी सहयोग लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : कितना ?

श्री कानूनगो : केवल विदेशी सहयोग लिया गया है ; विदेशी पूंजी नहीं लगी है ।

Shri Yashpal Singh : By when India will be self-sufficient in this matter ?

Shri Kanungo : That stage is very far.

श्री बूटा सिंह : क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व सरकार ने दिल्ली की एक फर्म को रूसी घड़ियों का आयात करने के लिये प्रोत्साहित किया था ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्यरूप न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कानूनगो : जी, हां ; गतकालीन व्यापार करारों में रूस से घड़ियों को आयात करने का भी एक मद था । यह स्पष्ट है कि उनका मूल्य और उनकी किस्म हमारे लिये उपयुक्त नहीं थी ।

Dr. Govind Das : What is the percentage of foreign and indigenous components in watches at present manufactured in India and where do they stand in quality as compared to foreign watches ?

Shri Kanungo : The watches manufactured in public sector undertakings are of very good quality. This year this watches are with 60% indigenous content and by 1967-68 it is expected to be with 84%.

श्री भागवत झा आजाद : इस उत्तर के सम्बन्ध में कि 'That stage is very far', क्या मैं यह जान सकता हूं कि कितने प्रतिशत मांग पूरी नहीं की जा रही है और क्या घड़ियों के मामले में सरकार का कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम नहीं है जिससे कि आत्म-निर्भरता की स्थिति में पहुंचा जा सके ?

श्री कानूनगो : इस उद्योग को बहुत ही निम्न पूर्ववर्तिता दी गई है । अतः अन्य उद्योगों पर पहले और अधिक ध्यान दिया जाता है ।

श्री दे० जी० नायक : क्या घड़ी बनाने की कला में अग्रेतर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कुछ प्रविधिज्ञों को जापान अथवा स्विट्ज़रलेंड भेजा जा रहा है ।

श्री कानूनगो : जी, हां । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स वाले जापान की सिटीज़नवाच कम्पनी के सहयोग में घड़ियों का निर्माण कर रहे हैं । विभिन्न पदक्रमों के बहुत से प्रविधिज्ञों को वहां पर भेजा गया है और उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या भारत में सारे ही पुर्जों का निर्माण करने के लिये कोई ठोस प्रयत्न किये जा रहे हैं । किस समय तक हम भारत में शत प्रतिशत पुर्जों का निर्माण कर सकेंगे ?

श्री कानूनगो : मैं समझता हूं कि सभी पुर्जों का यहां पर निर्माण करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होगा । जैसाकि मैं बता चुका हूं, सरकारी क्षेत्र की हमारी उपक्रमों में १९६७-६८ तक ८४ प्रतिशत देशी पुर्जों का निर्माण और उपयोग होने लगेगा ; उनका अग्रेतर कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ।

मिश्रित इस्पात

+

†*८८५. { **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री विशेष तथा मिश्रित इस्पात सम्बन्धी २० दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मिश्रित इस्पात की ४ लाख टन की लाइसेंस क्षमता और २९ हजार टन की वास्तविक उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र०चं० सेठी): व्यावहारिक तथा आर्थिक अनुसंधान राष्ट्रीय परिषद् ने यह अनुमान लगाया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में मिश्रित तथा विशेष इस्पात की मांग ४,६१,६०० टन की होगी जिसमें लगभग १,०१,००० मीट्रिक टन इलैक्ट्रिकल शीट्स भी सम्मिलित होंगी। इस के लिये लगभग ६००,०००,टन क्षमता के लाइसेंस दे दिये गये हैं। इस क्षमता में से लगभग १,३७,००० मीट्रिक टन क्षमता सरकारी क्षेत्र में हैं और इसके अतिरिक्त रूरकेला में चालू प्रसार कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् ३०,००० मीट्रिक टन इलैक्ट्रिक शीट्स तैयार की जायेगी। मिश्रित तथा विशेष इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से, पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का आवंटन करने और उसे देने के मामले में लाइसेंसशुदा योजनाओं को पूर्ववर्तिता दी जाती है जिससे कि इन योजनाओं को शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, मिश्रित तथा विशेष इस्पात के उत्पादन के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र की दो परियोजनाओं, अर्थात् मिश्रित इस्पात परियोजना, दुर्गापुर और मैसूर लोह तथा इस्पात लिमिटेड, भद्रावती, में शीघ्र उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र में लगभग १,००,००० मीट्रिक टन विशेष इस्पात का उत्पादन करने की योजना बनाई जा रही है और विशेष अथवा मिश्रित इस्पात पिण्डों को, जिन्हें कि देश की विद्यमान विद्युत् भट्टियों में बनाया जा सकता है, दांतेदार बनाने के लिये एक कार्गिंग मिल की स्थापना करने के सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है।

श्री विश्राम प्रसाद : माननीय उपमंत्री ने अभी बताया है कि हमारी मांग ४ लाख टन से अधिक की है परन्तु हम केवल २९,००० टन अथवा इसके लगभग उत्पादन कर रहे हैं। इसका क्या कारण है और तृतीय योजना के अन्त तक हम किस प्रकार अपनी मांग पूरी करेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस २९,००० टन के अतिरिक्त, टाटा फर्मों में २४,००० टन का उत्पादन किया जा रहा है। मांग को पूरा करने के लिये यह प्रयत्न किया जा रहा है कि दुर्गापुर और मैसूर के उत्पादन कार्यक्रमों को शीघ्र क्रियान्वित किया जाये।

श्री विश्राम प्रसाद : इलैक्ट्रिकल शीट्स की हमारी मांग १ लाख मीट्रिक टन से अधिक की है और रूरकेला में केवल ५०,००० टन का उत्पादन किया जा रहा है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि हम अपनी मांग किस प्रकार पूरी करेंग।

श्री प्र० चं० सेठी : टाटा फर्मों में भी इलैक्ट्रिकल शीट्स का उत्पादन किया जायेगा।

श्री विश्राम प्रसाद : तो क्या हम अपनी १ लाख मीट्रिक टन की मांग को पूरा कर सकेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : यदि सभी योजनायें चालू हो जायें तो हम तृतीय योजना काल के अन्त तक अपनी मांग पूरी कर सकेंगे ।

श्रीमती सावित्री निगम : मिश्रित इस्पात और शीट्स के मामले में बुनियादी उद्योगों द्वारा इसका जो भारी अभाव अनुभव किया जा रहा है इसको दृष्टिगत रखते हुए इनके वितरण के नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : विशेष इस्पात की वस्तुयें नियंत्रित वस्तु नहीं है। परन्तु आयात के मामले में, क्योंकि इस समय हमारी मांगें मुख्यतया आयात द्वारा पूरी की जाती हैं, हम उद्योगों की मूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं और उनके अनुसार आयात लाइसेंस दिया जाता है ।

श्री राम चन्द्र उलाका : क्या दुर्गापुर और भद्रावती की विशेष मिश्रित इस्पात की विद्यमान क्षमता को बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां ; चतुर्थ योजना काल में दुर्गापुर के उत्पादन को बढ़ाने का एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के पूरा हो जाने के पश्चात् भद्रावती के बारे में भी विचार किया जायेगा।

Dr. Govind Das : Is any definite plan being prepared so as to increase the production of alloy steel and by when this increase in production will be effected ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अब भी इस का कुछ उत्पादन किया जा रहा है ; परन्तु वे लोग सात प्रकार की मिश्रित इस्पात वस्तुओं का उत्पादन कर सकेंगे और जैसे जैसे मांग बढ़ती जा रही है वे उत्पादन करते जा रहे हैं। विशेषतया वैल्डिंग इलैक्ट्रोड क्वालिटी स्टील और कुछ कार्बन स्टील वस्तुओं का उत्पादन कर के वे दे चुके हैं ।

Shri Sheo Narain : Have the licences been issued to two-three firms only or some more firms also are to get them ?

Shri P.C. Sethi : About 23 licences have been issued.

Shri Sheo Narain : What is the difficulty in increasing the same ?

Shri P. C. Sethi : Licenses for a capacity of about 6,00,000 tons have been issued.

Shri Kachhavaiya : What is the licensed capacity of Durga, Rourkela and Bhadravati Steel plants, what is their present production and if the production is less than this capacity then what are the reasons for it ?

Shri P. C. Sethi : As regards alloy steel the scheme is to produce 77,000 tons in Bhadravati plant and 50,000 tons in Durgapur plant. Durgapur plant will also have a capacity of 60,000 tons but at present there is no production of alloy steel there.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कानपुर में एक विशेष मिश्रित इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाने वाला है और वह भी गैर-सरकारी क्षेत्र में ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को यह लाइसेंस दिया गया है जोकि कानपुर में किसी भी प्रकार का एक भी कारखाना नहीं चला सका है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जिन २३ योजनाओं के लिये लाइसेंस दिया गया है उनमें से केवल ४ योजनाओं के मामले में ही प्रगति नहीं हो सकी है ; शेष योजनाओं में तो काफी अच्छी प्रगति हो रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : उन का प्रश्न यह है कि एक लाइसेंस गैर-सरकारी क्षेत्र के एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया है जिसमें कोई भी कारखाना चलाने की क्षमता नहीं है ।

श्री चो० सुब्रह्मण्यम : मेरी जानकारी यह है कि वे कार्यवाही कर रहे हैं और योजना के क्रियान्वित होने की सम्भावना है ।

कपड़ा मशीन उद्योग के लिये विकास परिषद्

+

*८८७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री ६ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मशीन उद्योग के लिए विकास परिषद् की स्थापना कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के सदस्य कौन कौन हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २६३२/६४**]

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बारे में संघों द्वारा सिफारिश की जायेगी और यदि हां, तो किन किन संघों को सिफारिशें भेजने के लिये कहा गया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : श्रमिकों के प्रतिनिधियों सम्बन्धी मामले को हमने श्रम मंत्रालय को सौंप दिया है और उन की सिफारिश प्राप्त होने पर हम उन्हें नियुक्त करेंगे ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जो सलाहकार परिषद् पहले से कार्य कर रही है उसके कृत्यों से इस परिषद् के कृत्य कितने भिन्न हैं और कपड़ा मशीनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये किस सीमा तक कार्यक्रम उन्होंने तैयार कर लिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह विकास परिषद् सांविधिक उपबन्ध के अधीन नियुक्त की गई है । तदर्थ समिति केवल एक सलाहकार समिति है । परन्तु विकास परिषद् के कृत्य उपयुक्त रूप से निर्धारित किये गये हैं और संविधि के अधीन उन्हें सरकार को बहुत सी सिफारिशें करने का अधिकार है ।

Shri Vishwanath Pandey : On what basis this Development Council has been established?

Shri P. C. Sethi : Representations and experts of machine manufacturers and textile industry have been appointed in the Development Council.

श्री राम चन्द्र उलाका : इस समय भारत कितने रुपये के मूल्य की कपड़ा मशीनों का आयात कर रहा है और किस समय तक हमारा देश इस मामले में आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस समय हम ३० करोड़ रुपये के मूल्य की कपड़ा मशीनों का आयात कर रहे हैं और हम यह आशा करते हैं कि तृतीय योजना काल के अन्त तक हम देश की मांग को पूरा कर सकेंगे ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या भविष्य में कपड़ा मशीनों का निर्माण करने के लिये स्वचालित मशीनों का निर्माण करने की नीति को ध्यान में रखा जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसका भी खयाल रखा जा रहा है ।

Shri Yashpal Singh : Do Government propose to appoint any Member of Lok Sabha in this Development Council?

Shri P. C. Sethi : No, Sir.

Shri Tulshidas Jadhav : Has any factory been closed because of the manufacturer having not been permitted to import machinery?

Shri P. C. Sethi : At present I have no information about any specific factory.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मंत्री महोदया ने बताया है कि ३० करोड़ रुपये के मूल्य की कपड़ा मशीनों का आयात किया जा रहा है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कपड़ा मशीनें बहुत दिनों तक काम देती हैं, क्या सरकार उनका कम आयात करने की बात पर विचार करेगी जिससे कि स्वदेशी उद्योग को मशीनों का निर्माण करने का अवसर मिल सके ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव में यदि किसी किस्म की मशीनों को हम स्वदेशी निर्माण द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं तो हम उनके आयात के लिये अनुमति नहीं देते । केवल कुछ विशेष मामलों में ही ऐसा होता है कि हम जिन वस्तुओं का आयात करते हैं वे तुरन्त ही स्वदेश में निर्मित हमें नहीं मिलती हैं ।

राजस्थान में लिग्नाइट के निक्षेप

+

*८८८. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कजरोलकर :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री तन सिंह :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य में बीकानेर से २० मील दूर स्थित खारी गांव में बड़ी मात्रा में लिग्नाइट के निक्षेप पाये गये हैं;

(ख) इस क्षेत्र में और इसके आसपास के क्षेत्रों में निक्षेपों का क्या अनुमान है ?

(ग) क्या लिग्नाइट के नमूने वैज्ञानिक परीक्षण के लिये केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था, धनबाद को भेजे गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) और (ख). राजस्थान के बीकानेर जिले के खारी नामक गांव में राज्य सरकार को लिग्नाइट के कुछ निक्षेप मिले हैं। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में जांच कर रही है कि इन निक्षेपों में लिग्नाइट के कितने भण्डार हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या उसी जिले में पलाना परियोजना नाम की एक दूसरी परियोजना चल रही है ?

श्री तिम्मय्या : जी, हां ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या अभी तक इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि वहां पर कितने निक्षेप होंगे ?

श्री तिम्मय्या : १९५८ में इस खान के बारे में एक प्रारम्भिक परियोजना तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी और उन्होंने कुछ प्रतिवेदन दिये और यह देखा गया कि इस खान से ६ लाख टन अयस्क निकाला जा सकता है। भारत सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी और राज्य सरकार से अपने कार्य करने के लिये कह दिया ।

श्रीमती सावित्री निगम : लिग्नाइट के भारी महत्व को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकती हूं कि सर्वेक्षण करने और प्रतिवेदनों को शीघ्र प्रस्तुत करने का कार्य राज्य सरकारों पर क्यों छोड़ दिया गया है जिनके पास कि इस कार्य के लिये पर्याप्त मशीनें भी नहीं है ? इसका क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार इस कार्य को अपने हाथ में नहीं ले रही है अथवा इस मामले में उनकी सहायता नहीं कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: इन मामलों में जब राज्य सरकारें स्वयं ही कार्य करने का अपना इरादा प्रकट करती हैं तो हमेशा ही हम उन्हें इसकी अनुमति देते हैं । हम केवल तभी इस क्षेत्र में कदम रखते हैं जब कि वे कार्य करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर देते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : जिस पलाना परियोजना को पहले मंजूरी दे दी गई है और यह जो दूसरी खारी परियोजना है क्या इनके क्षेत्र को मिलाने वाली किसी बड़ी पट्टी के होने के लक्षण पाये गये हैं ?

श्री तिम्मय्या : खारी परियोजना क्षेत्र में २०० से ३०० तक की गहराई तक लिग्नाइट अयस्क होने का पता लगा है और इस सम्बन्ध में जांच की जा रही हैं । जांच पूरा हो जाने के पश्चात् हम यह जान सकते हैं कि खारी खान क्षेत्र में कितने निक्षेप हैं । जहां तक पलाना परियोजना का सम्बन्ध है, यह हम पहिले ही बता चुके हैं कि राज्य सरकार उस क्षेत्र से लिग्नाइट निकाल रही है ।

कपड़े का निर्यात

+

*८८६. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६३ में विदेशों को कपड़े का निर्यात बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना और १९६२ में यह कितना था ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) १९६२ के निर्यात की तुलना में १९६३ में ७ करोड़ ९७ लाख रुपये का निर्यात बढ़ गया है। १९६२ और १९६३ में कपड़े के निर्यात से होने वाली कुल आय क्रमशः ५९ करोड़ ८० लाख रुपये और ६७ करोड़ ५० लाख रुपये थी।

श्री स० मो० बनर्जी : इस सदन में हमें यह बताया गया था कि कपड़े के मामले में चीन और अन्य दक्षिण-एशियाई देशों के साथ हमारी भारी प्रतिस्पर्द्धा चल रही है और इस कारण हमारे निर्यात की स्थिति डावांडोल है। प्रतिस्पर्द्धा से उत्पन्न होने वाली इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और उनमें हमें कहां तक सफलता मिली है ?

श्री कानूनगो : १९६३ के आंकड़ों से यह पता चलता है कि हमें कुछ सफलता मिली है। प्रतिस्पर्द्धा तो चल रही है और सर्वदा चलती ही रहेगी। दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका में, चीन के साथ इस प्रतिस्पर्द्धा के अतिरिक्त, जो देश अब स्वतंत्र हो गये हैं वे सभी अपनी निजी कपड़ा उद्योग क्षमता स्थापित कर रहे हैं और आयात को रोकने के लिये शुल्क और प्रशुल्क भी लगा रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : कपड़े के विदेशों को निर्यात में जो वृद्धि हुई है उसमें से बहुत बढ़िया (सुपरफाइन), बढ़िया (फाइन), दरमियाना (मीडियम) और मोटे (कोर्स) कपड़े के मामले में अलग अलग कितनी वृद्धि हुई है और विदेशी मण्डियों में हम कितना बीच की किस्म का (मीडियम) और मोटा कपड़ा बेच रहे हैं ?

श्री कानूनगो : पहिले तो हम अधिकांशतः कोरे कपड़े का निर्यात किया करते थे। परन्तु अब हम बढ़िया किस्म के कपड़े के निर्यात के क्षेत्र में भी अधिक अच्छे परिणाम देख रहे हैं। इस क्षेत्र में सिले सिलाये कपड़ों के उद्योग ने भी पदार्पण किया है जिसके उत्पादों के निर्यात के अच्छे परिणाम देखे जा रहे हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं दरमियाना और मोटी किस्म के कपड़े के निर्यात के बारे में जानना चाहता था।

श्री कानूनगो : मोटे और दरमियाना और बीच की किस्म के कपड़े के निर्यात के बारे में मैं यह कहूंगा कि दरमियाना किस्म के कपड़ों के निर्यात में अधिक वृद्धि हुई है।

श्री कपूर सिंह : क्या किसी देश विशेष में हमारा कपड़े का निर्यात गिर गया है और यदि हां, तो कितना और इसके क्या कारण हैं ?

श्री कानूनगो : कई देशों में यह गिर गया है और अन्य कई देशों में यह बढ़ गया है। इस समय मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं। इसके अलावा विश्वव्यापी स्थिति को बताने में बहुत समय लगेगा।

श्री रामचन्द्र उलाका : क्या सरकार का विचार कपड़ों के मामले में किसी बाहरी देश के साथ कोई वस्तु-विनिमय का सौदा, वहां से आयात किये गये चावल के बदले में कपड़े का निर्यात, करने का है और यदि हां, तो इसके ब्यौरे क्या हैं ?

श्री कानूनगो : ज़ी, नहीं।

श्री शशि रंजन : क्या यह निर्यात निर्माणकर्ताओं अथवा उनके एजेन्टों अथवा सरकार अथवा सरकारी एजेन्सियों के द्वारा किया जाता है ?

श्री कानूनगो : अधिकांशतः यह निर्यात निर्माणकर्ताओं, निर्यातकों अथवा जहाजवालों द्वारा किया जाता है।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : कपड़ों के निर्यात की तुलना में कितने रुपयों की कच्ची रुई का आयात किया जाता है ?

श्री कानूनगो : सामान्यतया हम लगभग ६० करोड़ रुपये के मूल्य की रुई का आयात करते हैं। परन्तु गत तीन वर्षों से हमने इसे घटा कर लगभग ४५ करोड़ रुपये का कर दिया है। ये बहुत कच्चे आंकड़े हैं। लम्बे रेशे वाली रुई की हमारी मांग ६ लाख गांठों की है जिसका मूल्य लगभग ६० करोड़ रुपये होगा।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : निर्यात के बारे में क्या कहना है ?

श्री कानूनगो : एक सुपरिणामी वर्ष में हमारे निर्यात लगभग ६७ करोड़ रुपये के थे।

श्री रंगा : हथकरघा वस्तुओं के बारे में क्या स्थिति है ? हम यह देखते हैं कि गत एक वर्ष से उनका भारी स्टाक जमा हो रहा है।

श्री कानूनगो : जी, नहीं; आमतौर पर जितना स्टाक जमा होता है उसके अतिरिक्त और अधिक स्टाक जमा नहीं हुआ है।

श्री रंगा : हथकरघा वस्त्रों के निर्यात की क्या स्थिति है ? क्या इनका भी निर्यात बढ़ रहा है ?

श्री कानूनगो : मैं समझता हूं उनका काफी अच्छी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है।

Shri Ratan Lal : Out of the textiles exported to foreign countries, for what quality the demand is found heaviest ?

श्री कानूनगो : मैंने बताया तो है कि अधिकतर दरमियाना किस्म के कपड़े की मांग है।

Shri Rameshwaranand : As we export textiles, whether likewise we also import this commodity, and if so, the increase or decrease in its imports in 1962 and 1963 as compared to 1961 ?

श्री कानूनगो : हम कुछ विशेष किस्मों के कपड़े के अतिरिक्त कपड़े का आयात नहीं करते हैं और उसका आयात भी बहुत थोड़े रुपये के मूल्य का करते हैं।

Shri Rameshwaranand : I have not been able to follow.

Mr. Speaker : He has stated that normally we do not import textiles. We import only some special varieties of cloth and that too for a very nominal amount.

श्री बसुमतारी : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आसाम में मोगा और येन्डी का उत्पादन होता है क्या सरकार ने उनके निर्यात की सम्भावना के बारे में जांच की है क्योंकि वे बहुत ही टिकाऊ हैं और साथ ही आकर्षक भी हैं ?

श्री कानूनगो : हथकरघों पर बन बहुत बढ़िया किस्म के कपड़ों में अधिकांशतः मोगा भेजा जाता है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा उर्वरकों का आयात

*८६६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री बसुमतारी :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के द्वारा उर्वरकों का संभरण करने के लिये जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ एक करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). ४४,००० मीट्रिक टन अमोनियम सल्फेट और ६३,००० मीट्रिक टन म्यूरियेट आफ पोटास भारत को १९६४ में सप्लाई करने के लिए भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड ने मैसर्स बर्गबाड हान्डेल, बर्लिन (जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य) के साथ ठेका किया है।

Shri Vishram Prasad : At what rate this ammonium sulphate and other kind of fertiliser would be imported and at what rate it would be supplied in the country?

श्री कानूनगो : सामान्यतया हम दर नहीं बताते।

Shri Vishram Prasad : How does it compare with the rate of fertiliser manufactured at Sindri and to what extent?

Shri Kanungo : It is less.

Shri Ram Sevak Yadav : At what rate our agriculturists would get this fertiliser ?

श्री कानूनगो : सभी जरियों से सभी उर्वरक इकट्ठा कर लिये जाते हैं और वे संग्रहीत ल्य पर बेचे जाते हैं ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या जर्मनी से आयात किये जा रहे उर्वरकों की किस्म उस उर्वरक की, जो देश में तैयार किया जाता है, किस्म से अलग है या हमारे यहां उस किस्म के उर्वरक की कमी है ?

श्री कानूनगो : कमी की वजह से आयात करने का प्रयत्न किया जा रहा है और वह किस्म स्टैन्डर्ड किस्म है और उसका परीक्षण किया जायगा ।

श्री कपूर सिंह : क्या इस मामले में राज्य व्यापार निगम द्वारा मुनाफा कमाने की लालच पर कोई रोक लगाने का विचार है ?

श्री काननगो : उसके आयात के सिवा और किसी बात से राज्य व्यापार निगम का सम्बन्ध नहीं है । सभी उर्वरक संग्रह-पद्धति से बेचे जाते हैं जहां सभी मूल्यों को समान कर दिया जाता है ।

Shri Kashi Ram Gupta : I would like to know what are the reasons for not disclosing the rates when they are lower.

Mr. Speaker : There is only one reason which is known to you as well as to me.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : राज्य व्यापार निगम का संबंध केवल आयात से है लेकिन यह समझा जाता है कि निगम आयात में २० प्रतिशत तक मुनाफा कमाता है । क्या इस उर्वरक में भी उतना ही मुनाफा कमाना सम्भव हो सकेगा ?

श्री कानूनगो : यह व्यापार की बात नहीं है । मैंने बताया है कि वह आयात किया जायगा और वह कमीशन तथा आयात मूल्य पर संग्रह में जमा कर दिया जायगा ।

श्री शशि रंजन : आयात कमी के कारण किया जा रहा है। क्या यह कमी कच्चे माल की कमी के कारण है या उर्वरक बनाने की हमारी असमर्थता के कारण है ?

श्री कानूनगो : क्षमता स्थापित की गयी है लेकिन अधिकतर क्षमता का अनुमान के अनुसार उत्पादन नहीं हुआ है और मांग काफी बढ़ गयी है । हम सिर्फ इसी साल के लिए आयात कर रहे हैं ।

श्री त्यागी : क्या उर्वरक संग्रह ने मुनाफे में से लगभग ४० करोड़ रुपया वर्तमान योजना के लिए देने का वचन दिया है और क्या उसके लिए व्यवस्था भी की गयी है ? इस उर्वरक संग्रह में से कितना मुनाफा मिलेगा ?

श्री कानूनगो : अंशदान दिये जाने का एक प्रस्ताव है लेकिन मुझे ठीक ठीक रकम मालूम नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : विभिन्न देशों से जो आयात किये जा रहे हैं उनका भाव एक जैसा ही है या अलग अलग ?

श्री कानूनगो : हर माल की कीमत अलग अलग होती है जो ठेके पर निर्भर होती है ।

Shri Sheo Narain : Do you give some raw material in exchange of fertilisers imported from Germany ? Will this fertiliser be allotted to different states at the same rate or at different rates ?

Shri Kanungo : I have stated that it would be sold at uniform price. It would come under total trade agreement. There is no special barter for this.

श्री रंगा : इस बात को देखते हुए कि दो मंत्री इससे संबंधित हैं और तीसरे मंत्री डा० राम सुभग सिंह ने एक दिन बताया था कि वे इस सौदे में न लाभ न हानि की नीति बरतेंगे, क्या सरकार इस सौदे से ५० करोड़ रुपये का मुनाफा करने की योजना छोड़ देने के लिए तैयार है ?

श्री कानूनगो : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

श्री विश्राम प्रसाद : यदि माननीय मंत्री उर्वरक का मूल्य नहीं बताना चाहते तो क्या वे यह बतायेंगे कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन तथा फास्फेटिक उर्वरकों में पी २० का कितना प्रतिशत भाग होगा ?

श्री कानूनगो : मुझे जानकारी नहीं है ।

Shri Rameshwaranand : Are these fertilisers being imported in order to meet the demands of states or without any reason as such?

Shri Kanungo : There is demand from states and there is also a special demand from farmers. Still they cannot be met with.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या हम आत्मनिर्भरता की दशा तक पहुंच सकेंगे और यदि हां, तो कब और क्या वह लक्ष्य चौथी योजना में संभवतः प्राप्त हो जायेगा ?

श्री कानूनगो : मैं ऐसा नहीं समझता ।

Shri Tulshidas Jadhav : What is the total demand of fertilisers in the country, how much quantity is manufactured in the country and how much is imported ?

श्री कानूनगो : यह जानकारी कई बार दी जा चुकी है लेकिन वह अभी हमारे पास नहीं है ।

Coal in Madhya Pradesh

+
*897. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Bade :

Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that coal worth rupees one crore has accumulated in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the action taken on the assurance given by Government to the mine owners for its consumption ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P. C. Sethi) : (a) : Yes, Sir. This is because production has outstripped the demand for coal.

(b) : The accumulation of pithead stocks is not peculiar to Madhya Pradesh alone and all the coalfields in India are faced with this problem. No assurance has been given by the Government that it would secure disposal of

coal produced by any colliery. However, Government is assisting in the matter by relaxing the existig controls on allocation and distribution of coal to the maximum possible extent.. The public has been informed that, subject to gradewise entitlement, consumers can ask for additional quantities of coal irrespective of their quota. The State Governments have been requested to liberalise their policy on licensing of brick-kilns, so that there may be some improvement in demand by this category of consumers.

Shri Kachhavaiya : I would like to know the main reason for accumulation of so much coal, whether its consumption in factories has gone down or the use of electricity has increased.

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : मुख्य कारण यह है कि प्रमुख उपभोक्ताओं ने अपनी मांग घटा दी है और कुछ वर्तमान प्रायोजनाएं कार्यक्रम के अनुसार पूरी नहीं हो रही हैं और कुछ प्रायोजनाओं का अनुमान के अनुसार विस्तार नहीं किया जा सका। इसलिये कोयले की मांग कम हो गयी और खानों पर स्टाक इकट्ठा हो गया है।

Shri Kachchvaiya : My question was in Hindi and therefore reply should be given in Hindi.

Mr. Speaker : You may wait for some time; more; some arrangement would be made from the next session.

Shri Kachchvaiya : Is there any complaint that there is wastage of coal, if so, is it under consideration of Government to wash coal in a better way to increase the supply and sell it at a lower price? What measures are being taken to avoid the accumulation of so much stock ?

श्री तिम्मय्या : यह ठीक है कि घटिया किस्म का कोयला काफी मात्रा में तैयार किया गया और हाल में मूल्य की वृद्धि से वास्तविक मांग के लिए उत्पादन होने लगेगा।

Shri A. P. Sharma : I would like to know that Bihar & Bengal coal fileds........

Mr. Speaker : This question relates to Madhya Pradesh. The hon. Member may leave it.

Dr. Govind Das : Are there any mines where production is going down on acconnt of accumulation of stocks and they are intentionally not producing more because coal is being accumulated ?

श्री तिम्मय्या : वास्तव में उत्पादन कम नहीं हुआ है; वह निर्धारित लक्ष्य के करीब करीब है लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में स्टाक ज्यादा नहीं है। सिर्फ एक महीने का स्टाक जमा हुआ है। उसको यथाशीघ्र निबटाने के लिए हम कदम उठा रहे हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी: क्या खानों पर इतना ज्यादा स्टाक होते हुए भी मध्य प्रदेश के रुई ओटने वाले कारखानों को पहले की भांति सीमित मात्रा में कोयला दिया गया है और मांग पूरी नहीं की जा रही है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): मेरी जानकारी यह है कि सारी मांग पूरी हो रही है। अगर कोई खास मामला हो और माननीय सदस्य मुझे बतायें, तो मैं अवश्य जांच करूंगा।

Shri Kashiram Gupta : How much out of total production of coal in the country is consumed in Madhya Pradesh and how much is exported and is the consumption of coal in Madhya Pradesh too low ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वह रेलवे परिवहन के ढांचे के अनुसार है । मध्य प्रदेश के कोयले की खपत सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पश्चिमी भारत में भी है और किसी हद तक मध्य प्रदेश के दक्षिण में भी है ।

श्री काशी राम गुप्त : क्या मध्य प्रदेश में भी खपत कम हो गयी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हर जगह ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच नहीं है कि यह कोयला इकट्ठा होने का एक कारण यह है कि कीमत बहुत बढ़ गयी है क्योंकि वह सामान्य जनता की पहुंच से परे हो गयी है और लोग भोजन पकाने के लिए कोयले की बजाय मिट्टी के तेल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ? क्या माननीय मंत्री इस बात को जानते हैं और यदि हां, तो घरेलू खपत के लिए कीमतें घटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वास्तव सॉफ्ट कोक घरेलू ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और जितना भी उत्पादन होता है, उसकी खपत हो जाती है । अब हमारी कोशिश यह है कि लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन के तरीके से कुछ घरेलू ईंधन तैयार किया जाये । इसमें सन्देह नहीं कि जितनी भी मात्रा हम तैयार करेंगे सब खप जायगी । किरोसीन की कीमत की तुलना में वह कीमत काफी आकर्षक है ।

Shri Sheo Narain : Is it a fact that demand for coal is reduced on account of use of wood instead of coal as a fuel in ovens ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं, वास्तव में अधिकाधिक लोग अन्य ईंधनों की अपेक्षा कोयले का प्रयोग कर रहे हैं ।

श्री राम चन्द्र उलाका : मध्य प्रदेश में कोयले के उत्पादन के सम्बन्ध में तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या है और वर्तमान उत्पादन क्या है ?

श्री तिम्मय्या : उसके लिए मुझे अलग सूचना चाहिये ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या देश के उस भाग में निम्न श्रेणी के कोयले के अधिक अच्छे प्रयोग के लिए कुछ कोयला धुलाई कारखाने स्थापित करने की कोई योजना है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं, निम्न श्रेणी के कोयले के इस्तेमाल के सम्बन्ध में, कोयला धुलाई कारखानों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । उसका प्रयोग या तो बिजली उत्पादन कार्यक्रम में करना होगा या कार्बनीकरण के तरीके से उसे घरेलू ईंधन में परिवर्तित करना होगा ?

Shri Yashpal Singh : It is true that coal is accumulated in Madhya Pradesh but in U.P. there are lakhs of applications on which no action has so far been taken. What steps are being taken by Government so that people may get sufficient coal ?

Shri Rameshwaranand : Forests are being cut down in larger number and new forests are not being planted and coal is also being extracted in larger quantities. Has Govt. any idea as to how future requirements would be fulfilled?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

बोकारो इस्पात कारखाना

*८९८. { **श्री जसवन्त मेहता :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात परियोजना के बारे में मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ कोई करार हुआ है कि परामर्श फीस कितनी होगी तथा परामर्श का क्षेत्र क्या होगा ; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). परामर्श करार की शर्तों के बारे में दस्तूर एण्ड कम्पनी के साथ बातचीत पूरी होने वाली है । अनुमान है कि वे शर्तें बहुत शीघ्र ही निश्चित की जायेंगी ?

श्री जवन्त मेहता : क्या सरकार को दूसरे देशों से भाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो वे दस्तूर एण्ड कम्पनी के भावों से कम हैं या ज्यादा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). इसके लिए हमें और कोई भाव नहीं प्राप्त हुआ है लेकिन अमरीका से जो सर्वेक्षण दल आया है उसने हमें परामर्श फीस की कुछ कल्पना दी है । उसके मुकाबले में यह लगभग एक तिहाई फीस होगी ।

श्री जवन्त मेहता : सदन यह जानने के लिये उत्सुक है कि बोकारो कारखाना चालू करने के लिये विदेशों से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता इस समय किस दशा में है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न उस समय लिया जायगा जबकि ब्योरा तैयार कर लिया जायगा और दुनिया भर से टेंडर मंगा लिये जायेंगे । इसलिये उस पर कुछ समय बाद विचार करना होगा ।

श्री जसवन्त मेहता : क्या सरकार किसी विदेशी कंपनी से बातचीत कर रही है और क्या उस विदेशी सहायता के लिये कोई गुंजायश है या नहीं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न परामर्शदाताओं की नियुक्ति के बारे में है ।

श्री नाथ पाई : क्या मास्को से पैदा हुई इस खबर की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि बोकारो कारखाने के लिये धन देने के उद्देश्य से सोवियत संघ काफी दिलचस्पी दिखा

रहा है और भारतीय राजदूत तथा इस मामले के अधिकारी सोवियत संघ के मंत्री के बीच बातचीत हुई थी ; यदि हां, तो क्या यह खबर सच है और फिलहाल बातचीत किस दशा में है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस बातचीत के बारे में मुझे मास्को से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या सरकार ने इस बात के लिए आवश्यक सावधानी बरती है कि यह कम्पनी इस प्रायोजना को उसी ढंग से कार्यान्वित करेगी जिस ढंग से हम चाहते हैं ताकि यह महत्वपूर्ण प्रायोजना निर्धारित समय में पूरी हो जाय ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें पूरा विश्वास है कि मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी अपना काम ठीक तरह कर सकेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : बोकारो कारखाने के सम्बन्ध में अमरीका का क्या रुख है ? क्या इस प्रायोजना के सम्बन्ध में उसने स्पष्ट बता दिया है कि उसने अपना हाथ खींच लिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यहां हमारा संबंध परामर्श फीस से है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह कारखाना चालू करने के लिये विदेशी सहायता बहुत जरूरी है ।

अध्यक्ष महोदय : वह बात आनुषंगिक रूप से आ सकती है लेकिन हमारा सम्बन्ध सीमित प्रयोजन से है ।

श्री नाथ पाई : यह कारखाना तभी कायम किया जा सकता है जब विदेशी सहायता मिले ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर पहले ही चर्चा हो चुकी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह प्रश्न इस सदन में कई बार पूछा चुका है । यह प्रश्न इसलिये पूछा गया कि रुस और अमरीका दोनों ही मैदान में हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उस प्रश्न का उत्तर भी कई बार दिया जा चुका है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कारखाने के लिए हमें अमरीका से कोई सहायता मिल रही है या उसने अपना हाथ खींच लिया है । मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुए कि इस कारखाने को शुरू करने के लिये किसी विशिष्ट कम्पनी को परामर्श फीस दी जा रही है, क्या सरकार का ध्यान इस प्रमुख समाचार की ओर दिलाया गया है कि सोवियत संघ और खास कर जापान को इस कारखाने में दिलचस्पी है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कई बार बताया है कि इसका सम्बन्ध परामर्श फीस से है ।

श्री त्यागी : मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी को इस काम के लिए कुल कितनी फीस दी जायगी ? क्या उसका कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अनुमान लगाया गया है लेकिन उस बारे में बातचीत चल रही है। जब बातचीत पूरी हो जायगी और करार निश्चित हो जायगा तब मैं वह बता सकूंगा।

श्री त्यागी : क्या वह करोड़ों में है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या परामर्शदाताओं ने प्रारम्भिक उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य बताया है ? कब तक उत्पादन आरम्भ होगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : परामर्शदाताओं की रिपोर्ट के अनुसार १९६७-६८ तक १५ लाख टन तैयार किया जायगा।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार इस बात पर फिर विचार कर रही है कि मेसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी से काफी काम वापस ले लिया जाये और वह दूसरों को दे दिया जाय क्योंकि काफी विदेशी इंजीनियर इस में सहयोग देने के लिये इच्छुक हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। वास्तव में, अधिक से अधिक काम परामर्शदाताओं को दिया जा रहा है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : परामर्शदाताओं की अनुमानित परामर्श फीस किस आधार पर दी जाती है ? सरकार किस आधार पर बातचीत करने की कोशिश कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : साधारणतया, वह कारखाने की कुल लागत का कुछ प्रतिशत होता है। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई के १० लाख टन कारखानें के लिए दी गई परामर्श फीस का कुछ अंदाजा हमें है। हमें इस बात का भी कुछ अंदाज़ा है कि ग़ैर सरकारी क्षेत्र ने कितनी फीस दी है। उसे ध्यान में रखते हुए हम बातचीत कर रहे हैं।

बिजली सामान उद्योग

+

*९००. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण बिजली सामान उद्योग की अब तक लाइसेंस प्राप्त क्षमता का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं हो सका है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) स्थिति सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग) मेरे विचार से प्रश्न मेरे मंत्रालय के नियंत्रणाधीन बिजली उपकरण की वस्तुओं अर्थात् मोटे

तौर पर मार्ग बिजली उपकरण से सम्बन्धित है। गैर सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार के उपकरण के बारे में अधिष्ठापित क्षमता का लगभग पूरा उपयोग किया जा रहा है, केवल स्विच गीयर को छोड़ कर, जिसके बारे में पूर्ण उपयोग, कुछ अंश तक तो विदेशी मुद्रा की अपर्याप्तता के कारण तथा कुछ इस कारण कि कुछ एककों में हाल में ही उत्पादन चालू हुआ है, नहीं हो सका है। जहां तक सरकारी क्षेत्र की क्षमता का प्रश्न है, उत्पादन के क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार ट्रांसफार्मर, मोटर, स्विचगीयर, आदि का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। उत्पादन का पूरा लक्ष्य प्राप्त करने के हेतु सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिये वर्तमान परिस्थितियों के अधीन यथासंभव अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : अब तक दी गई विदेशी मुद्रा की राशि कितनी है ?

श्री प्र० चं० सेठी : गत दो वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दी गई विदेशी मुद्रा का व्यौरा इस प्रकार है : ट्रांसफार्मर ग्रेड इस्पात के लिये अप्रैल, १९६२ से मार्च, १९६३ तथा अप्रैल, १९६३ से मार्च, १९६४ के दौरान क्रमशः १७२ लाख रुपये तथा २२४.५४ लाख रुपये और डायनमा ग्रेड इस्पात के लिये १९६२-६३ तथा अप्रैल, १९६३ से मार्च, १९६४ के दौरान क्रमशः २० लाख रुपये तथा २३.३४ लाख रुपये ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : कितनी विदेशी मुद्रा की पूर्ति अभी करनी शेष है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जहां तक इन श्रेणियों का सम्बन्ध है, हमने इनके लिये जितनी विदेशी मुद्रा की आवयश्यकता थी, उतनी पूरी की पूरी दे दी है।

श्री भागवत झा आजाद : कितनी विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण, जैसा कि माननीय उपमंत्री जी ने बताया है, गैरसरकारी क्षेत्र की क्षमता का, उदाहरणार्थ स्विच गीयर के बारे में, उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कोई सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

श्री हेडा : इन विभिन्न उद्योगों की स्थापना के समय कुल कितनी विदेशी मुद्रा निश्चित की गई थी, इसमें से कितनी दी जा चुकी है तथा शेष को देने में क्या कठिनाई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कठिनाई यह है कि विदेशी मुद्रा की बहुत कमी है। इसको विभिन्न पूर्वताप्राप्त वस्तुओं के लिये आवंटित करना पड़ेगा। वस्तुतः यही कठिनाई है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : विदेशी मुद्रा की कमी के अलावा मजदूरों द्वारा की गई गड़बड़ी देश में बिजली की वस्तुओं के उत्पादन को रोकने में कहां तक उत्तरदायी है तथा भोपाल हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारखाने में काम बंद किये जाने से प्रति दिन कितनी हानि हुई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं तत्काल इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता परन्तु १९६३-६४ के लिये इस कारखाने के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार इसमें ६ करोड़ रुपये का माल तैयार होगा तथा अगले वर्ष १९६४-६५ के लिए यह राशि लगभग ८ या ९ करोड़ रुपये होगी। अतः, अनुमान लगाया जा सकता है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : ४ लाख रुपये से अधिक ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उसके आसपास ।

श्री रामचन्द्र उलाका : आयातित सामान के मूल्य की तुलना में भारतीय माल का मूल्य कैसा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मोटे तौर पर, इन सब चीज़ों में देशीय माल की प्रतिशतता लगभग ६० से ७० तक है ।

Shri Kachhavaiya : How many factories in public and private sectors separately are engaged in producing electrical goods with their respective quantum of production ?

Mr. Speaker : Throughout the whole country ?

Shri Kachhavaiya : Yes, Sir.

Mr. Speaker : A separate notice should be given for that.

श्री विश्राम प्रसाद : जहां तक मैं समझ पाया हूं हम स्विचगीयर ट्रांसफार्मर आदि जैसा ऐसा बहुत सा बिजली का सामान आयात कर रहे हैं जिसके लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है । हम देश में इस प्रकार का कारखाना कब तक स्थापित कर सकेंगे ताकि बिजली के सामान के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो सकें ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन चीज़ों का उत्पादन करना बहुत कठिन काम है । अतः उत्पादन की क्षमता स्थापित करने का ही प्रश्न नहीं है अपितु हमें अनुभव प्राप्त करना भी आवश्यक है । परन्तु हमें आशा है कि चौथी योजना की समाप्ति तक हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे ।

ईंधन की खपत

+
*९०३. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेडा : }

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही कोयला उद्योग ने सरकार को सुझाव दिया था कि देश में ईंधन की खपत के ढांचे का पुनर्विलोकन होना चाहिए जिससे ये उपलब्ध कोयला साधनों के अनुसार हो जाये ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की विभिन्न श्रेणियों का आवंटन ईंधन साधकता समिति द्वारा बनाई गई निर्धारित सूची के आधार पर किया जाता है । कोयले की अमुक श्रेणी का विभिन्न उपभोक्ताओं के लिये कोटा निर्धारित करते समय उक्त समिति ने संयंत्र तथा

उपकरण के संचालन के लिये अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित ईंधन की किस्म को ध्यान में रखा है। कोयला उद्योग के अभ्यावेदन की उसी संदर्भ में जांच की जा रही है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि सीमेंट कारखानों तथा बिजलीघरों को तेल के प्रयोग के सम्बन्ध में उपलब्ध की गई अतिरिक्त सुविधायें वापिस ली जाने वाली हैं ताकि अधिक कोयला प्रयोग में लाया जाये ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जो सुविधायें पहले दी जा चुकी हैं उनको वापिस नहीं लिया जा सकता। यदि कोई मशीन जिसमें तेल का प्रयोग होता हो स्थापित की जा चुकी है तो हम उसको हटा नहीं सकते। परन्तु हम यथासंभव ऐसी नई मशीनों के लगाने को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जिसमें तेल का प्रयोग हो।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने इस हेतु, कि घरेलू कामों में कोयला काफी प्रयोग में आये रेलवे भाड़ा कम करके अतिरिक्त लाभ देकर सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : घरेलू ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग बिना धुएं के ईंधन के तैयार हो जाने पर निर्भर करता है। यह कार्य 'कार्बोनाइजेशन' रीति से किया जाता है। हम इस प्रश्न पर ध्यान दे रहे हैं तथा हमें आशा है कि तीसरी योजना के दौरान कुछ प्रगति हो सकेगी।

श्री मानसिंह० पृ० पटेल : क्या सरकार ने भूसे तथा लकड़ी के बुरादे से सस्ता ईंधन तैयार करने के बारे में विचार किया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम अब कोयले का अधिक प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा ऐसा विचार नहीं है कि अन्य वैकल्पिक ईंधन से कोयले की स्थिति में सुधार हो जायेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : घरेलू खपत के लिये प्रयोग में आने वाले 'सॉफ्ट कोक' के अधिक से अधिक उत्पादन के लिये सरकार ने हाल में ही क्या कदम उठाये हैं ? माननीय मंत्री जी ने अपने पूर्व उत्तर में कहा है कि जो कुछ हम उत्पादित कर रहे हैं उसकी सारे की खपत हो रही है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक 'सॉफ्ट कोक' का सम्बन्ध है हम निम्न श्रेणी का कोकिंग कोयला प्रयोग करते हैं। परन्तु कोकिंग कोयला बहुत अधिक सीमित है। अतः हम इस प्रयोजन के लिये 'कोकिंग कोयले' के प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकते। यही कारण है कि अन्य सामान्य कोयले का कार्बोनाइजेशन किया जाना चाहिये तथा घरेलू ईंधन के रूप में उसका प्रयोग किया जाना चाहिये। इस कार्य की ओर हमारा ध्यान है।

श्री भगवत झा आजाद : जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है किसी ऐसी मशीन को बढ़ावा न देने से पहले जिसके लिये उपभोक्ता को वैकल्पिक ईंधन प्राप्त हो सके क्या सरकार ने इस बारे में विचार किया है कि उपभोक्ता को इस समय उपलब्ध कोयले तथा अन्य वैकल्पिक ईंधन में से कौन सा सस्ता पड़ता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह इस बात पर निर्भर करता है कि संयंत्र कहां पर स्थित है। यदि कोई संयंत्र ईंधन तेल उत्पादक केन्द्र के समीप होगा तो वहां पर ईंधन तेल का प्रयोग करना सस्ता पड़ेगा। यह निर्णय करना कि कौन अधिक सस्ता पड़ेगा प्रत्येक संयंत्र पर छोड़ दिया जाना चाहिये।

Shri Kashi Ram Gupta : The low grade coal is being produced in larger quantity in the country. Is it also under the consideration of the Government to devise means for the construction of such types of engines in which larger quantities of such coal may be used ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां। हम अब इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। विशेषकर विद्युत संयंत्रों के बायलर इस प्रकार के बनाये गये हैं कि हम सबसे घटिया दर्जे के कोयले का प्रयोग कर सकेंगे ।

श्री नि० श्रीकान्तन नायर : क्या यह सच है कि लम्बी दूरी के लिये कोयले की परिवहन दरों का पुनरीक्षण करके उनमें वृद्धि की गई है जिससे कि दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित कोयले का प्रयोग करने वालों को नुकसान पहुंचा है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरा विचार है कि रेलवे मंत्रालय की मांगों पर हुई बहस के दौरान इस विषय पर चर्चा हुई थी क्योंकि रेलवे बजट में भाड़े में वृद्धि की गई थी ।

Shri Yashpal Singh : In view of the repeated pronouncements by the Minister of Food and Agriculture that the main cause of the low agricultural yield is the use of cowdung as fuel, may I know whether Government would impose restrictions that cowdung, which can help in the production of crores of tons of wheat, should not be used for burning purposes and in its place coal should be used ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : गोबर के प्रयोग पर पाबन्दी लगाने से पहले हमें उनके लिये वैकल्पिक ईंधन की व्यवस्था करनी चाहिये । यह केवल उनके लिये वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करने का ही प्रश्न नहीं है । लोगों की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन होना चाहिये ।

श्री प्र० प्र० शर्मा : क्या यह सच है कि सड़क के मार्ग द्वारा कोयले के लाने ले जाने पर लगाई गई पाबन्दियां भी कुछ कोयला खानों में कोयले के इकट्ठा हो जाने के कारणों में से एक कारण है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अब परिवहन के किसी भी तरीके पर कोई पाबन्दी नहीं है । परन्तु सड़क द्वारा कोयला लाने ले जाने पर अधिक खर्च आयेगा और यदि लोग इस अधिक खर्च को वहन करने के लिये तैयार हों तो वे कोयले को सड़क के द्वारा ला ले जा सकते हैं ।

श्री विश्राम प्रसाद : कृषि विभाग ने हाल में ही एक गोबर गैस संयंत्र तैयार किया है जो कि ग्रामों को ईंधन का संभरण करने के मामले में सबसे सस्ता साधन है । क्या मंत्रालय इस आधार पर सोच विचार कर रहा है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे इसका पता नहीं है । मुझे सूचना चाहिए ।

Shri Kachhavaiya : In view of the fact that many forests in our country have been cleared as a result of which villagers have to face great hardhship in getting wood for burning purposes, is Government going to take any step to see that no more forests are cleared in future and the villagers are not put to any inconvenience ?

Mr. Speaker : The forests are under some other Minister.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

\+

*८६६. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में हाल में ही लगी आग की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां तो जांच किसने की तथा जांच की क्या उपपत्तियां तथा निष्कर्ष हैं ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ।

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग) जांच करने के लिये एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी शीघ्र ही नियुक्त किया जा रहा है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि मामले की प्रारम्भिक जांच की जा चुकी है और यदि हां तो किस अभिकरण द्वारा तथा क्या जांच से यह पता चला है कि कारखाने में हुई वह दुर्घटना तोड़ फोड़ का परिणाम है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जी हां । पुलिस जांच की गई है और यह कहते हुए मुझे खेद है कि दुर्घटना के वास्तविक कारण के बारे में इससे कोई खास पता नहीं चल सका है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान केवल ३ या ४ दिन पहले अखबारों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि इस कारखाने में लगी आग के पीछे तोड़ फोड़ का सन्देह है और यदि हां तो अब की जाने वाली पूर्ण जांच के निर्देश-पद क्या हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सदेह तो है परन्तु इसका पूरी तरह कोई प्रमाण नहीं मिल सका है कि यह तोड़ फोड़ के कारण हुआ और यदि हुआ तो किसने किया । जांच अधिकारी वहां हुई वास्तविक दुर्घटना के ही बारे में पता नहीं लगायेगा अपितु इस बारे में भी जांच करेगा कि प्रबंधको ने आग बुझाने में कहां तक तत्परता दिखाई तथा सुरक्षा उपाय कहां तक प्रभावशाली थे । इन सब बातों के बारे में भी जांच की जायेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत : निर्देश-पद क्या हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उनको हमने अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में हुई इस दुर्घटना को देखते हुए राष्ट्रीय महत्व के समस्त औद्योगिक उपक्रमों में सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को मजबूत करने के लिये क्या किया गया है और क्या इसके परिणामस्वरूप इस दिशा में कोई व्यापक कदम उठाया गया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वस्तुत सरकारी क्षेत्र के कारखानों में सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिये एक गुप्त वार्ता निदेशक नियुक्त है। वह अब सम्पूर्ण मामले की जांच कर रहा है। हाल में ही उसने इस बारे में एक प्रतिवेदन दिया है। हम इसकी जांच करेंगे और आगे कार्यवाही क गे।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या प्रारम्भिक जांच के दौरान प्रबन्धकों में से किन्हीं से पूछताछ की गई है ? क्या यह सच है कि उन में से किसी से भी पूछताछ नहीं की गई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस दुर्घटना के बारे में जिस समस्त व्यक्तियों से पूछताछ करना आवश्वक था उनसे पुलिस ने पूछताछ की है। परन्तु जैसा मैंने कहा बहुत शीघ्र ही एक विस्तृत जांच की जाने वाली है ।

श्री अ० प्र० शर्मा : अपनी जांच के बाद अब तक जो भी रिपोर्ट पुलिस ने दी हो क्या उससे यह पता चलता है कि इस आग के लिये प्रबन्धकों की असावधनी भी उत्तरदायी थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : और अधिक विस्तृत जांच का जिसका कि आदेश दिया जा रहा है उद्देश्य यही है ।

स्वतन्त्र उम्मीदवार का चुनाव चिह्न

*८९५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने कभी सफल स्वतन्त्र उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह को बाद के किसी चुनाव के लिये सुरक्षित रखने की संभावना पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बिबुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) बाद के चुनावों के लिये किसी सफल स्वतन्त्र उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह को सुरक्षित रखना व्यावहारिक नहीं समझा गया है ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : किसी सफल स्वतन्त्र उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह को सुरक्षित रखना व्यावहारिक क्यों नहीं पाया गया है ? क्या यह राजनीति के रूप के बारे में पूर्व-निश्चित धारणाओं के कारण है ?

श्री बिबुधेन्द्र मिश्र : लोक-सभा में जो राजनैतिक दल तथा वर्ग हैं, उनके नेताओं से परामर्श करने के बाद ही चुनाव-चिन्ह निश्चित करने के बारे में प्रक्रिया निर्धारित की गई है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इसका सम्बन्ध राजनैतिक दलों से नहीं है । इसीलिये तो मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं ।

श्री बिबुधेन्द्र मिश्र : मुझे अपना उत्तर पूरा करने दीजिये । यह तो आप जानते ही हैं कि चुनाव चिन्ह सुरक्षित करने का समूचा आधार यह है कि यह केवल मान्य राजनैतिक दलों के लिये ही किया जाता है । किसी राजनैतिक दल को मान्यता उसके द्वारा किसी राज्य में किये गये कार्य के आधार पर दी जाती है अर्थात् वह ४ प्रतिशत मत प्राप्त करे इत्यादि । यदि हम माननीय मित्र, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, द्वारा सुझाये गये आधार को अपनायें, तो यह बिलकुल ही भिन्न होगा अर्थात् चुनाव-चिन्ह निश्चित करने का आधार निर्वाचन-क्षेत्र होगा राज्य नहीं ।

इस तरह करने में कठिनाई यह है कि हमें केवल सफल उम्मीदवार के लिये ही चुना व चिन्ह सुरक्षित नहीं करने पड़ते हैं अपितु उन समस्त उम्मीदवारों के लिये भी करने पड़ते हैं जिन्होंने कि चुनाव लड़ा है । एक दूसरी कठिनाई भी होगी । मान लीजिये 'अ' नाम के किसी दल को किसी राज्य में मान्यता प्राप्त है और जो उम्मीदवार सफल घोषित हुआ है, वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार है । यदि हम उसके लिये चुनाव चिन्ह सुरक्षित करते हैं तो इसका कोई भी औचित्य न होगा कि उस निर्वाचन क्षेत्र में उस दल के लिये भी चुनाव चिन्ह सुरक्षित किया जाय । अतः, ये सब कठिनाइयां सामने आती हैं । व्यावहारिक रूप से भी, एक और कठिनाई है । यह भी पता नहीं होता है कि स्वतंत्र उम्मीदवार दुबारा फिर चुनाव लड़ेगा या नहीं । इसलिये उसके लिये चुनाव चिन्ह कैसे सुरक्षित किया जा सकता है ?

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के बारे में पत्र संवाददाताओं का दल

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६. श्री हेम बरुआ : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में पूर्वी पाकिस्तान से हमारे देश में शरणार्थियों के आगमन के बारे में रिपोर्ट देने के लिये पत्र-संवाददाताओं का एक दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इस प्रकार का पहला दल है जो भेजा जायेगा; और

(ग) उनसे कहां-कहां जाने के लिये कहा गया है और इस दल में कौन-कौन सम्मिलित हैं ?

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं; कुछ दल पहले भी सरकार द्वारा भेजे गये थे ।

(ग) वर्तमान दल के सदस्यों का व्योरा और उसने जिन जिन स्थानों का दौरा किया यह जानकारी दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० २६३३ / ६४]**

श्री हेम बरुआ । क्या यह सच है कि सरकार ने पाकिस्तान से कहा था कि वह कलकत्ता से गोहाटी तक हमारे पत्र-संवाददाताओं के विमान को अपने प्रदेश पर से उड़ान करने की अनुमति दे, और यह अनुमति नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाने का यत्न किया है कि क्या पाकिस्तान का इस बात से इंकार करने का यह अर्थ है कि पाकिस्तान यह बात छिपाना चाहता है कि वहां से अल्पसंख्यक जाति के लोग बड़ी संख्या में भारत आये हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आज्ञा मांगी गई और प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं सरकार का ध्यान 'स्टेट्समैन' के केदार घोष, जो दल के साथ थे, के इस समाचार की ओर दिला सकता हूं कि अनुमति मांगी गई थी और इस पर पाकिस्तान ने इन्कार कर दिया था, और इसलिये विमान को पहले उत्तर की ओर जाना पड़ा और फिर दक्षिण-पूर्व की ओर ?

श्री सत्य नारायण सिंह : यह बात सच हो सकती है, परन्तु मुझे इसका पता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : विवरण से यह प्रतीत होता है कि यह दल मध्य प्रदेश, गारो पहाड़ी और पश्चिमी बंगाल भेजा गया था। क्या यह दल जमशेदपुर, रूरकेला और अन्य क्षेत्रों में भी, जो हाल ही में प्रभावग्रस्त हुए थे, भेजा जायेगा ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जिन स्थानों का इस दल ने दौरा किया उनके नाम विवरण में दिये गये हैं।

मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, परन्तु आप इस प्रकार के दल को जमशेदपुर और अन्य स्थानों को भेजना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या आप इन स्थानों को एक दल भेजने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस पर विचार करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या संवाददाता दल, जिसने गारो पहाड़ी का दौरा किया, ने विस्थापित व्यक्तियों द्वारा वहां पर अनुभव की गई कठिनाइयों के बारे में कोई रिपोर्ट दी है; यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या हैं और उनको दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : यह पहली उड़ान थी। उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री स० मो० बनर्जी : उड़ान का क्या उद्देश्य था ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जैसा कि मैंने बताया, दल का उद्देश्य मौके पर जाकर शरणार्थियों की समस्या की गंभीरता को समझना था।

श्री हेम बरुआ : यद्यपि दल के कार्यक्रम में गारो पहाड़ी, माना शिविर और पश्चिमी बंगाल सीमा का दौरा करना था, फिर भी आसाम के समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया ? क्या ऐसा सरकार की गलत योजना के कारण हुआ अथवा अन्य कारणों के कारण जो हम से छिपा रखे हों ?

श्री सत्य नारायण सिंह : सामान्य तरीका यह है कि इस प्रकार का दल जिस स्थान का दौरा करता है वहां के प्रतिनिधियों को सामान्यतः नहीं लिया जाता।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वैल।

श्री स्वैल : क्या कलकत्ता के कुछ समाचार पत्रों के प्रतिनिधि इस दल में शामिल किये गये थे यद्यपि पश्चिमी बंगाल के हसानाबाद और पेट्रापोड जैसे स्थान दौरे के कार्यक्रम में शामिल थे।

श्री सत्य नारायण सिंह : यह सच है कि 'अमृत बाजार पत्रिका' के प्रतिनिधि को लिया गया था; मैं यह मानता हूं।

श्री हेम बरुआ : मंत्री के उत्तर से यह बात किस तरह मेल खाती है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं एक जानकारी देना चाहूंगा जो मुझे अभी प्राप्त हुई है । इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने अनुमति मांगी थी परन्तु पाकिस्तान सरकार ने अनुमति नहीं दी ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त मेहता ।

श्री जसवन्त मेहता : क्या पाकिस्तान की नामंजूरी काफी देर बाद प्राप्त हुई अथवा यह पर्यटन आयोजित करने से पूर्व ? सरकार ने पर्यटन का आयोजन बजाय कलकत्ता के सीधे दिल्ली से गोहाटी क्यों नहीं किया ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका, परन्तु, जैसा कि मैंने बताया, आई० ए० सी० ने अनुमति मांगी थी । मैं जांच करूंगा कि क्या हुआ और अनुमति देने से क्यों इन्कार किया गया ।

श्री जसवन्त मेहता : मेरा प्रश्न यह था कि कलकत्ता की बजाय पर्यटन सीधे ही दिल्ली से गोहाटी के लिये आयोजित क्यों नहीं किया गया ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ता है ।

श्री हेम बरुआ : आप अपना पैसा बचा सकते थे ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते थे ।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, आपकी मानसिक सतर्कता तो अतुल्य है । जब मंत्री आवश्यक जानकारी के साथ तैयार हो कर नहीं आते तो सामान्यतः आप उनकी अच्छी खबर लेते हैं । यहां एक प्रश्न विशेष है और मंत्री यह नहीं जानते कि पाकिस्तान से आज्ञा मांगी गई थी या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह इस बात पर जोर देकर मंत्रियों के साथ मेरा झगड़ा करवाना चाहते हैं ?

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री को यह प्रारंभिक जानकारी भी नहीं है । मैंने बताया कि आज के 'स्टेट्समैन' में यह समाचार था । क्या आप माननीय मंत्री से कहेंगे कि जब इस प्रकार के प्रश्न हों तो वह तैयार हो कर आयें क्योंकि यह एक प्रारंभिक प्रश्न है जो इस प्रश्न से उत्पन्न होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक माननीय मंत्री से इसकी आशा करता हूं । मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

लौह अयस्क खानें

*८८६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी—दोनों क्षेत्रों में भारत में लौह-अयस्क खानों का यंत्रीकरण करने में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है;

(ख) क्या लौह-अयस्क का मशीनों के यंत्रीकृत और परम्परागत खनन पद्धति के तुलनात्मक लागत ढांचे का हिसाब लगाया गया है और इसके होने वाले सम्बन्धित लाभों का मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) लौह-अयस्क खानों का शनैः शनैः यंत्रीकरण किये जाने के बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) १९६२ में २२७ खानों में काम चल रहा था, इन में से १४ यंत्रीकृत थीं। इन १४ में से ३ सरकारी क्षेत्र में हैं। भिलाई में लौह अयस्क संभरण करने वाली डज्ली खान तथा मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में लौह-अयस्क संभरण करने वाली खानों को यंत्रीकरण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। किरिगुरु, बेलाडीला और दायीतारी में सरकारी उप उद्योग क्षेत्र में प्रारम्भ की जाने वाली कई खानों को पूर्णतया यंत्रीकृत किया जायेगा।

खबर मिली है कि गोआ की कई खानों में खुदाई, लदाई आदि के लिये यांत्रिक उपकरण प्रयुक्त किये जाते हैं।

(ख) दोनों पद्धतियों की लागत व्यय तथा लाभ हर मामले में अलग अलग है ; वह खान का स्वरूप, जलवायु, संचरण पद्धति पर निर्भर है। अतः प्रत्येक मामले में अलग अलग तुलनात्मक अध्ययन किये जायेंगे। इस विषय में सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते।

(ग) सरकार, जब भी संभव हो, यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देती है।

सहायता प्राप्त औद्योगिक बस्तियां

*८९०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजनावधि में सहायता प्राप्त औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिये जीवन बीमा निगम ने १२ करोड़ रुपये की रकम अलग रखना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) इसमें से कितना धन अभी तक व्यय किया जा चुका है और यदि इसमें कोई कमी आई है तो किन कारणों से ; और

(ग) लक्ष्य पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा औपचारिक कार्यवाही के पूर्ण हो जाने की दशा में, ६ औद्योगिक बस्तियों को ३-१-१९६४ को २५,३५,४८७ रुपये के ऋण दिये गये हैं। इन में से १,१४,००० रुपये आवेदकों में वितरित कर दिये गये हैं। इसे शीघ्र प्रयुक्त करने में देरी इसलिये हुई है कि संबंधित पक्षों में अभी औपचारिकतायें पूरी नहीं हुई हैं इन में समितियों के उपनियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन और निधियों के संतुलन में वृद्धि करना भी शामिल है।

(ग) राज्य सरकारों से कहा गया है कि जीवन बीमा निगम के उपलब्ध राशियों को काम में लेने में शीघ्रता की जाये। ऐसा औद्योगिक सहकारी समितियों अथवा संयुक्त स्कध समवायों द्वारा औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये किया जाना चाहिये।

रूरकेला दुर्गापुर और रांची में फालतू कर्मचारी

***८६१. श्री ह० चं० सौय** : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला दुर्गापुर तथा भारी इंजीनियरिंग परियोजना रांची की राष्ट्रीय परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारी फालतू हो गये हैं ; और

(ख) इन फालतू कर्मचारियों को किस सीमा तक कहीं और काम से लगा दिया गया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). दुर्गापुर और रूरकेला में दस लाख टन की क्षमता वाले इस्पात कारखाने का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग परियोजना के निर्माण की भी प्रगति हो रही है। अतः वर्तमान स्थिति में छंटनी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

हथकरघा कर्मचारियों के लिये मकान

***८६२. श्री प० कुन्हन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजनावधि में हथकरघा कर्मचारियों के लिए आवास बस्तियां बनाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस कार्य के लिये कुल कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

उद्योगमंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). हथकरघा उद्योग के विकास के लिये सहायता के सामान्य सिद्धान्तों में बुनकर सहकारी संस्थाओं द्वारा आवास बस्तियों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता का उपबन्ध है। योजना की मोटी रूपरेखा यह है :

(१) बुनकर आवास बस्ती में मकान के लिये अधिकतम ३६०० रुपये—२००० रुपये सहकारी संस्था को ऋण के तौर पर और १२५० अनुदान के तौर पर दिया जाता है। बुनकर से आशा की जाती है कि वह कम से कम ३५० रुपये या लागत का १० प्रतिशत जो अधिक हो नकदी मेहनत या निर्माण सामग्री के रूप में लगाये। ऋण जिस पर ४ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत सादा ब्याज होता है, २५ समान वार्षिक किश्तों में लौटाना होता है जो ऋण की अन्तिम किश्त लेने की तिथि के पहले वर्ष से आरम्भ होती है। ऋण ३ किश्तों में बांटा जाता है—तिहाई योजना की मंजूरी के समय ; तिहाई जब निर्माण नींव तक की जाय और शेष जब मकान निर्माण छत तक पहुंच जाय ।

(२) १२५० रुपये का अनुदान दो किश्तों में दिया जाता है—८०० रुपये जब निर्माण छत तक पहुंचे और ४५० रुपये निर्माण की लागत की लेखा-परीक्षा लेखे देने पर ।

आवास बस्तियों के लिये वित्तीय सहायता हथकरघा उद्योग के लिये योजना उपबन्ध में दी जाती है। प्रत्येक हथकरघा उद्योग के अन्तर्गत वार्षिक योजना आवंटन में से इस योजना के लिये पर्याप्त व्यवस्था करने का काम प्रत्येक राज्य पर छोड़ दिया गया है।

कोयला ईंधन

*८९३. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम रतन गुप्त : }

क्या इस्पात, **खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोयला ईंधन के स्थान पर आयात किये हुए तेल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के परिणामस्वरूप कोयले के स्थान पर तेल का इस्तेमाल किस सीमा तक होने लगा है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) १९६१ ६२ में कोयले की ढुलाई में हुई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी और पश्चिमी भारत के कुछ उपभोक्ताओं को भट्टी का तेल इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी और इसके लिये कुछ प्रोत्साहन भी दिये गये थे।

(ख) अब तक केवल दो सीमेंट के कारखानों ने पूर्ण रूप से भट्टी का तेल इस्तेमाल करना आरम्भ किया है। दो अन्य सीमेन्ट के कारखानों ने १,४,१९६४ से भट्टी का तेल इस्तेमाल करने का कार्यक्रम बनाया था। जब ये दो कारखाने भी भट्टी का तेल इस्तेमाल करने लगेंगे तो लगभग ६ लाख मीट्रिक टन कोयले का स्थान भट्टी के तेल द्वारा लिया जायेगा। इन के अतिरिक्त कुछ और कारखाने भी कोयले के स्थान पर भट्टी का तेल प्रयोग कर रहे हैं।

कपड़ा मिलें

*८९४. { **श्री म० ला० जाधव :**
श्री जेधे :
श्री लोनीकर : }

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों की अधिष्ठापित क्षमता बहुत नष्ट हो रही है ;

(ख) क्या अधिष्ठापित क्षमता के नष्ट होने के परिणामस्वरूप कपड़े की सप्लाई कम हो गई है ; और

(ग) स्थिति सुधारने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विदेशों में राज्य व्यापार निगम का व्यापार शिष्टमंडल

*९०१. श्री महेश्वर नायक : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के प्रधान के नेतृत्व में एक व्यापार शिष्टमंडल रूस, पूर्व जर्मनी तथा चैकोस्लोवाकिया गया था ;

(ख) यदि हां तो इस दौरे का क्या विशेष उद्देश्य था ; और

(ग) शिष्टमंडल पर होने वाले व्यय का व्यापार के उन मदों पर यदि कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना है जिन के बारे में शिष्टमंडल बातचीत करेगा तो किस सीमा तक ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) मार्च १९६४ में राज्य व्यापार निगम के एक व्यापार शिष्टमण्डल ने अपने सभापति के नेतृत्व में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य चैकोस्लोवाकिया और रूस का दौरा किया ।

(ख) तीनों देशों का दौरा करने के कारण निम्न थे :—

(१) **जर्मन लोकतन्त्रात्मक गण राज्य:** उर्वरकों के मूल्यों और संभरण के कार्यक्रम पर बातचीत करना और राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधियों और उन गैरसरकारी साथों जिन्हों ने लीपज़िग मेले में भाग लिया की कार्यवाहियों का समन्वय करना ।

(५) **चैकोस्लोवाकिया :** रसायन के व्यापार को बढ़ावा देना ।

(३) रूस : उर्वरकों के संभरण के लिये बातचीत करना और आयात और निर्यात की अन्य वस्तुओं के बारे में समझौता करना ।

इस के अतिरिक्त व्यापार शिष्टमण्डल ने विभिन्न वस्तुओं के बढ़े हुए निर्यात को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिये व्यापार के विभिन्न मामलों पर बातचीत की ।

(ग) व्यापार शिष्टमण्डल पर कुल व्यय लगभग २६,३०० रु० हुआ । जिन समझौतों के बारे में व्यापार शिष्टमंडल ने बातचीत की वे लगभग ८.५० करोड़ रु० के मूल्य के हैं ।

किरिबुरु लौह अयस्क परियोजना

*९०२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किरिबुरु लौह अयस्क परियोजना जिस पर ४३ करोड़ रुपया व्यय किया गया है विशाखापटनम बन्दरगाह पर सुविधाओं की व्यवस्था करने में विलम्ब के कारण बेकार पड़ी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जापानी खरीददार तब तक स्टाक को उठवाने को तैयार नहीं हैं जब तक उस का मूल्य उपयुक्ततः कम न कर दिया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) अनुमान है कि परियोजना पर ११.२२ करोड़ रु० खर्च आयेगा ।

विशाखापटनम पत्तन पर मशीनों द्वारा अयस्क को उठाने,धरने की सुविधायें न होने के कारण, सयंत्र को चलाने का प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) विशाखापटनम पत्तन पर मशीनों द्वारा अयस्क उठाने धरने की सुविधाओं को जब तक चालू नहीं किया जाता, जापान को अयस्क बेचने के बारे में बातचीत की जा रही है ।

उड़ीसा में खादी का उत्पादन

१८२४. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में उड़ीसा में अब तक कितनी खादी का उत्पादन हुआ ; और

(ख) १९६४-६५ के लिये उस राज्य में खादी उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

लघु उद्योग निगम, उड़ीसा

१८२५. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में लघु उद्योग निगम, उड़ीसा को कुल कितनी राशि मंजूर की गई ; और

(ख) १९६४-६५ में उक्त निगम को कुल कितनी राशि देने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) १९६३-६४ में लघु उद्योग निगम, उड़ीसा में राज्य सरकार द्वारा कुल २ लाख रु० की राशि मंजूर की गई और विनियोजित की गई थी । १९६४–६५ के लिये राज्य सरकार २ लाख रु० और विनियोजित करना चाहती है ।

रूरकेला, इस्पात, संयंत्र

१८२६. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३–६४ में रूरकेला इस्पात संयंत्र ने उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद बेच कर कितनी राशि अर्जित की ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : अनुमान है कि १९६३-६४ में कुल ५७.३१ करोड़ रु० की राशि अर्जित की गई ।

खादी ग्रामोद्योग कार्यकर्ता संघ

१८२७. श्री ई० मधुसुदन राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में खादी ग्रामो उद्योग कार्यकर्ताओं का एक संघ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संघ को सरकार से मान्यता प्राप्त है ; और

(ग) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो संघ के सदस्य हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सूचना दी है कि नई दिल्ली में खादी ग्रामोद्योग कार्यकर्ताओं ने दो संघ बनाये हैं ।

(ख) और (ग) जी नहीं । संघों को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने की दृष्टि से आयोग उपरोक्त संघों के सम्बन्ध में ब्योरों का पता लगा रहा है ।

रेडियो और ट्रांसजिस्टर सेटों के लिये आयात लाइसेंस

१८२८. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ और १९६३–६४ में अब तक रेडियो और ट्रांजिस्टर सैटों के लिये कुल कितने आयात लाइसेंस जारी किये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : रेडियो और ट्रांज़िस्टर सैटों का पृथक वर्गीकरण नहीं किया गया है ; परन्तु आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची के भाग ४ की क्रम सख्या २८९ के अन्तर्गत वायरलैस उपकरण और सामान मिले जुले मद के अधीन आते हैं । इसलिये रेडियो और ट्रांज़िस्टर सैटों के आयात के लिये जारी किये गये पृथक लाइसेंसों की संख्या उपलब्ध नहीं है । तथापि ऊपर दी गई क्रम संख्या के अन्तर्गत जारी किये गये लाइसेंसों की कुल संख्या १९६२-६३ में २३० थी और १९६३-६४ (४-१-१९६४ तक) में १९५ थी ।

काश्मीर में शीशे के निक्षेप

१८२९. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर में सीसे के भारी निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) अभी तक ऐसे निक्षेपों का पता नहीं लगा है जहां से सीसा निकाला जा सकता है । तथापि, जम्मू तथा काश्मीर के बारामूला, ऊधमपुर, डोडा और अनन्तनाग ज़िलों में विभिन्न प्रकार की चट्टानों में कहीं कहीं सीसा भाश्म (गैलिना) के रूप में सीसा अयस्क का पता लगा है ।

चाय बागान

१८३०. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री २२ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९६३ और १९६४ को प्रत्येक क्षेत्र में चाय बागान के अन्तर्गत कितने एकड़ भूमि थी ; और

(ख) १९६२-६३ और १९६४ में विभिन्न प्रदेशों में बाढ़ से बागानों में कितना पानी भर गया और इन प्रत्येक वर्षों में बाढ़ के कारण आसाम और अन्य प्रदेशों में बागानों को कितनी हानि पहुंची ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ३१ मार्च, १९६३ (अस्थायी रूप से) को विभिन्न चाय उगाने वाले राज्यों में चाय के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्र था :--

	(हैक्टेयर्स में)
आसाम	१६३,८७३.९८
पश्चिमी बंगाल	८३,६१५.४९
त्रिपुरा	५,१८६.०८
बिहार	५३३.६९
उत्तर प्रदेश	२,०६९.८०
पंजाब (कांगड़ा)	३,७६३.१६
हिमाचल प्रदेश (मंडी)	४२०.०१
मद्रास	३२,९२८.८९
मैसूर	१,७८१.९८
केरल	३९,९१९.५८
कुल	३३४,०९२.६६

३१ मार्च, १९६४ के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

गारो पहाड़ी क्षेत्र में नई कोयला खान

१८३१. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान औ भारी इंजीनियरिंग** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न सख्या १२०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गारो पहाड़ी क्षेत्र में ५ लाख टन की न्यूनतम क्षमता का एक नया कोयला खान यूनिट स्थापित करने के प्रश्न पर राज्य सरकार के परामर्श से इस बीच निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) इस मामले पर अभी भी राज्य सरकार और योजना आयोग के परामर्श से जांच हो रही है ।

दिल्ली में लघु उद्योग

१८३२. { श्री प० कुन्हन :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और ओखला औद्योगिक बस्ती में ४,००० से अधिक लघु उद्योगों के विकास में बिजली की कमी के कारण रुकावट पड़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और बिना बाधा के इन उद्योगों को विकसित होने देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पटसन मूल्य स्थैर्य नीति[1]

१८३३. **श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम सरकार की पटसन मूल्य स्थैर्य नीति को बनाये रखने के लिये सक्रिय कार्य करने में असफल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या कदम उठाने का विचार है कि राज्य व्यापार निगम मामले में ठोस कार्य करे ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

यूगोस्लाविया का व्यापार शिष्टमंडल

१८३४. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी १९६४ के पहले सप्ताह में यूगोस्लाविया के एक व्यापार शिष्टमण्डल ने दोनों देशों के बीच व्यापार और औद्योगिक समन्वय को बढ़ावा देने के तरीकों पर भारत सरकार के साथ बातचीत करने के लिये भारत का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो व्यापार और समन्वय के सम्बन्ध में क्या यह किसी परिणाम पर पहुंचा है ; और

(ग) क्या कोई करार किया गया है ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । समाजवादी संधानीय गणतंत्र यूगोस्लाविया की सरकार का एक आर्थिक शिष्टमंडल जिसके प्रधान महामहिम डा०

[1]Jute Price Support Policy.

जोज़ ब्रिलेज़ थे, संघानीय कार्यपालक परिषद् के सदस्य और विदेशों के साथ आर्थिक सम्बन्धों के बोर्ड के प्रधान जिसमें थे, भारत में २१ फरवरी, १९६४ को आये और उन्होंने भारत सरकार के व्यापार तथा आर्थिक प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने किया, के साथ २३ फरवरी १९६४ से २६ फरवरी १९६४ तक, नई दिल्ली में बातचीत की जिसमें दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन व्यापार व्यवस्था तथा औद्योगिक सहयोग के भविष्य में विचार किया गया।

(ख) और (ग) बातचीत के निष्कर्षों को दर्शाने वाले राजनयिक पत्र पर २६ फरवरी १९६४ को हस्ताक्षर किये गये, जिसकी प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २६३४/६४]**

कुटीर और लघु उद्योगों में विदेशों में प्रशिक्षण

१८३५. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश से कुल कितने व्यक्ति कुटीर और लघु उद्योगों में प्रशिक्षण के लिये सरकार द्वारा बाहर भेजे गये ; और

(ख) वे किन देशों को भेजे गये थे ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ४ व्यक्ति ।

(ख) ब्रिटेन ।

कुल्लू में अखबारी कागज का कारखाना

१८३६. **श्री हेम राज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक कनाडा की फर्म ने कुल्लू में अखबारी कागज़ का कारखाना स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये आज्ञा मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). एक भारतीय गैर-सरकारी फर्म, जिसको अखबारी कागज बनाने के लिये जिला कांगड़ा पंजाब में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक लाइसेंस दिया गया है, कनाडा की एक फर्म से सहयोग प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

Nomenclature of offices in English and Indian Languages

1837. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Yogendra Jha :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(*a*) the number of new offices, institutions and organisations set up under his Ministry during the last one year; and

(*b*) the number of those out of them which have been named in English and Indian languages respectively ?

The Minister of Industry (Shri Kanungo) : (*a*) the number of new offices, institutions and organisations set up during the last one year—2

(*i*) Central Tassar Research Station, Ranchi.

(*ii*) Central Tassar Silkworm Seed Station, Lakha (Madhya Pradesh).

(*b*) The number of those out of them which have been named in :

(*i*) English 2

(*ii*) Indian Languages—Nil.

लक्कदीव द्वीप समूह में गंधक के निक्षेप

१८३८. श्री सोना वने : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने **की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य-क्षेत्र के लक्कदीव द्वीप समूह में गंधक के निक्षेप पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अरावली में अलौह धातुओं की संभावना

१८३९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि राजस्थान में अरावली में अलौह धातु पाये जाने की बड़ी संभावना है; और

(ख) क्या इस क्षेत्र का कोई विद्युतीय अथवा चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जी, हां। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में भूभौतिक (विद्युत्–चुम्बकीय) सर्वेक्षण किये गये हैं :—

१९५३–५४	सिंघाना–माकरो (खेतरी) दरीबा–खोह (दरीबा)
१९५४–५५ .	सिंघाना–खेतरी (खेतरी) खोह–नारायनी–बलदेवगढ़ (दरीबा)
१९५५–५६	सिंघाना–पचेरी (खेतरी) पपरोना–बाभाई (खेतरी)
१९५६–५७ .	पपरोना–बाभाई (खेतरी)
१९५७–५८ .	पपरोना–बाभाई (खेतरी)

१९५९-६० .	उदयपुर-धनोटा (खेतरी)
	सिंघाना-वनवास (खेतरी)
१६६०-६१ .	धनोटा-किशोरपुरा (खेतरी)
१६६१-६२ .	प्रतापगढ़-मातासुला (प्रतापगढ़)
	सिंघाना (खेतरी)
	गोइटा (ज़वार)
	बलरिया मागरा (ज़वार)
१६६२-६३ .	उदयपुर-धनोटा-किशोरपुरा (खेतरी)
	बाभाई-किशोरपुरा (खेतरी)
	सिंघाना-पछेरी (खेतरी)
	मातासुला-दाताला (प्रतापगढ़)
	बैरत (प्रतापगढ़)
	कोटरी-विलोटा (ज़िला उदयपुर)
	प्रतापगढ़-मातासुला (प्रतापगढ़)
	हमेता-मोगरा (ज़वार)
	लोहाखन-तारागढ़ (तारागढ़ पहाड़ियां)

कोयले की ढुलाई

१८४०. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६६३-६४ में तटीय जहाजों तथा जलपथों द्वारा कुल कितना कोयला ढोया गया ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : फरवरी, १६६४ तक वास्तविक कार्य और मार्च, १६६४ के अस्थायी प्रावकलन के आधार पर यह आशा की जाती है कि १६६३-६४ में रेल व समुद्र मार्ग (तटीय जहाजों) और जल मार्गों द्वारा लगभग १८.२ लाख मीटरी टन कोयला ढोया जायेगा।

राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

१८४१. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६३-६४ में राजस्थान के खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को कितनी राशि का केन्द्रीय अनुदान दिया गया ;

(ख) उसी अवधि में उस राज्य में कुल कितनी पारम्परिक खादी का उत्पादन किया गया और कितनी खादी बेची गई ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ११.५७ लाख रु० (२६-२-१६६४ तक)।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जहाजों द्वारा कोयले की ढुलाई के लिये राज्य सहायता

१८४२. { **श्री धुलेश्वर मीना** :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६३–६४ में जहाजों द्वारा कोयले की ढुलाई के लिये राज्य सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : नवीनतम जानकारी के अनुसार मार्च, १९६४ के अन्त तक ४५६ लाख रु० की राशि दी गई होगी।

मद्रास से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र

१८४३. { **श्री धर्मलिंगम** :
श्री मुत्तुगौंडर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२–६३ और १९६३–६४ में अब तक मद्रास राज्य से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) उसी अवधि में कितने आवेदकों को लाइसेंस दिये गये ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Small Tractor

1844. Shri B. P. Sinha : Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(*a*) whether the small tractor manufactured with the Japanese collaboration which costs about Rs. 2000 is available in India and

(*b*) if not, the time by which it would be available?

The Minister of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri C. Subramaniam) : (*a*) and (*b*). Low cost tractors of Japanese origin are not yet manufactured in the country. However, one firm has been granted a licence under the Industries (D&R) Act, 1951, for the manufacture of small tractors (Power Tillers) with Japanese collaboration. The firm is expected to go into production early in 1965. Two more firms have been approved in principle for the manufacture of Power Tillers with Japanese collaboration.

कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयला

१८४५. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री ४ मार्च, १९६४ को कोयले के मूल्य के बारे में सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोकिंग और गैर-कोकिंग दोनों किस्म के चुने हुए क और ख श्रेणी के कोयले और कोकिंग कोयले के बराबर श्रेणी १ के मूल्यों में वृद्धि से कितनी कोयला खानों को लाभ होगा;

(ख) उपरोक्त किस्म के कोयले के कुल उत्पादन की क्या प्रतिशतता है; और

(ग) मध्यम श्रेणी के कोयले के उत्पादकों द्वारा दिये गये ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जावेगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) लगभग २०० ।

(ख) लगभग ३५ प्रतिशत ।

(ग) ज्ञापन में कही गयी बातें विचाराधीन हैं ।

कोयले की परत का श्रेणीकरण

१८४६. **श्री हेमराज** : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री १४ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४५ तक कुल कितनी कोयला परतों का श्रेणीकरण किया गया और वर्ष १९४६ से १९५८ तक की अवधि में कितनों का श्रेणीकरण किया गया;

(ख) क्या वर्ष १९४६ और १९५८ के बीच की अवधि में कोयले की परत का क्रमिक निरीक्षण होता था ; और

(ग) क्या उच्च श्रेणी की की गयी १३४ परतें निम्न श्रेणी की ३८४ परतों में से हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) कोयला बोर्ड ने श्रेणीकरण कार्य जुलाई, १९५५ में आरम्भ किया था । उस अवधि से अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

	कोयले की परत
१९५५–५६	२०
१९५६–५७	२५
१९५७–५८	६३
१९५८–५९	१०३

(ख) जुलाई, १९५५ से पूर्व निरीक्षण केवल रेलवे को संभरण करने वाली कोयला खानों का ही होता था । जुलाई, १९५५ के बाद निरीक्षण अन्य कोयला खानों का भी किया जाने लगा यद्यपि कोयला परतों का व्यापक तौर पर क्रमबद्ध निरीक्षण १९५९ से ही शुरू किया गया ।

(ग) श्रेणी बढ़ाये जाने के मामलों में पहले श्रेणी घटाये गये मामलों में से भी कुछ हैं।

मैसूर राज्य में फर्मों को स्टेनलैस स्टील का अभ्यंश (कोटा)

१८४७. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में उन फर्मों के क्या नाम हैं तथा उनकी क्या संख्या है जिनको हरेक को वर्ष १९५६–६०, १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में स्टेनलेस स्टील का अभ्यंश (कोटा) दिया गया है और हर वर्ष उसकी क्या मात्रा है ;

(ख) अभ्यंश मंजूर करने के लिये क्या शर्तें रखी गयी हैं ;

(ग) क्या सरकार अभ्यंशधारियों से सन्तुष्ट है ;

(घ) यदि नहीं, तो हर वर्ष इन शर्तों के उल्लंघन का क्या स्वरूप है ; और

(ङ) इन उल्लंघनों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) अप्रैल–सितम्बर, १९६१ और अक्तूबर, १९६१––मार्च १९६२ की अवधि में बर्तन बनाने के लिये दी गयी स्टैनलेस स्टील की मात्रा और फर्मों के नाम सम्बद्ध विवरण में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २६३५/६४]**। इससे पहले की अवधि के लिये जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। अक्तूबर, १९६१––मार्च, १९६२ की अवधि के बाद स्टेनलेस स्टील की चादरों का कोई आवंटन नहीं किया गया ।

(ख) क्योंकि अभी स्टेनलेस स्टील की चादरों का देश में निर्माण नहीं होता, मांग आयात द्वारा ही पूरी की जाती है। अक्तूबर, १९६०––मार्च, १९६१ की अवधि में हर राज्य के लिये विभिन्न राज्यों से प्राप्त मांग और उनकी मांग के इस्पात नियंत्रण द्वारा मूल्यांकन के आधार पर बर्तन बनाने के लिये स्टेनलेस स्टील की चादरों के आवंटन के लिये मूल अभ्यंश निर्धारित किया गया था। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा उपलब्धता को ध्यान में रख कर राज्यों को बड़े पैमाने पर आवंटन किया जाता है। राज्य प्राधिकारी अपने बड़े आवंटन के भीतर पृथक पृथक यूनिटों के देने के लिये रिलीज़ आर्डर जारी करने की सिफारिश करते हैं। राज्यों को बड़े पैमाने पर आवंटन करने में लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा कोई विशेष शर्तें नहीं रखी जातीं।

(ग) से (ङ). स्टेनलेस स्टील की चादरों का संभरण राज्य सरकारों की सिफारिश पर किया गया, जिनको सिफारिश करने से पूर्व उपभोक्ता की मांगों की सत्यता का सत्यापन करना पड़ता है। आवंटिती पर निगरानी रखने के लिये और यदि कोई दुरुपयोग हो तो उसका पता लगाने और उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भी वे उत्तरदायी हैं।

गोटीतोरिया, नरसिंहपुर में कोयला खान

१८४८. श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खान निरीक्षक ने हाल ही में मध्य प्रदेश में गोटीतोरिया, जिला नरसिंहपुर में एक कोयला खान की संभाव्यता अथवा वांछनीयता के बारे में एक रिपोर्ट दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ;

(ग) क्या यह कोयला खान ग़ैर-सरकारी क्षेत्र को देने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या कथित खान को चलाने के लिये ग़ैर-सरकारी पक्षों से आवेदनपत्र नरसिंहपुर के कलेक्टर के समक्ष लम्बित हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो आवेदन कर्त्ताओं के नाम, पते और अन्य ब्यौरे क्या हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० **सुब्रह्मण्यम**) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). इस खान को चलाने के लिये किसी पक्ष से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हमें बताया है कि नरसिंहपुर के कलेक्टर के पास खनिज रियायत के लिये निम्न-लिखित आवेदन-पत्र लम्बित हैं :—

आवेदन कर्त्ता का नाम और पता	मांगी गयी रियायत का स्वरूप	आवेदित क्षेत्र
१. श्रीमती सरलादेवी शुक्ला, प्रतिफा प्रेस बिल्डिंग, वर्धा रोड, नागपुर—१	प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस	१४ वर्ग मील
२. मोतीलाल सोनी, जुनोरदेव, छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)	खनन पट्टा	३७८.७० एकड़
३. श्रीमती सरलादेवी शुक्ला, प्रतिफा प्रेस बिल्डिंग, वर्धा रोड, नागपुर—१	खनन पट्टा	७०.८७ एकड़

सूत

१८४९. { **श्री मा० ल० जाधव :**
श्री जेधे :
श्री लोनीकर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिल क्षेत्र, पावरलूम क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र की सूत की कुल कितनी गांठों की मांग है ;

(ख) इस मांग को भारतीय रूई और आयातित रूई से किस प्रकार पूरा किया जाता है ;

(ग) भारतीय रूई से कितने 'काउन्ट' तक का सूत बनाया जा सकता है ; और

(घ) वर्ष १९६२–६३ और १९६३–६४ में आयातित रूई से कितने गांठ 'सूत' बनाया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) वर्ष १९६३–६४ के लिये ४२.१ लाख गांठें (प्रत्येक का वजन २०० किलोग्राम है)

(ख) भारतीय रूई से लगभग ८८ प्रतिशत और आयातित रूई से १२ प्रतिशत ।

(ग) बढ़िया किस्म की भारतीय रूई से, जिसका उत्पादन बड़ा सीमित है ५२ एस० से ६८ एस० तक (नया फ्रांसीसी काउन्ट) तक का सूत बन सकता है जो कि ६० एस० से ८० एस० तक (पुराने इंगलिश काउन्ट) के बराबर है ।

(घ)	पूर्णतः आयातित रूई से	भारतीय और विदेशी रूई के मिश्रण से
	(२००किलोग्राम की हजार गांठों में)	
१९६२–६३	४००	७१५
१९६३-६४	३७०	४००

स्कूटर

१८५०. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री १३ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब एक कारखाने में स्कूटरों का उत्पादन क्रमशः तीस हजार और पचास हजार होने लगेगा तो एक स्कूटर का क्या मूल्य होगा ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये यूनिट चुनने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्राह्यम) : (क) आशा है कि जब उत्पादन प्रति वर्ष ३०,०००/५०,००० होने लगेगा तो स्कूटरों के मूल्य में कुछ कमी होगी । परन्तु अभी यह हिसाब नहीं लगाया गया है कि यह कमी कितनी होगी ।

(ख) विस्तार के लिये किसी एक यूनिट को चुनने का कोई इरादा नहीं है । यथासमय सभी मौजूदा यूनिटों को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये विस्तार करने की अनुमति दी जायेगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्यात प्रचार सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र

१८५१. { **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में निर्यात प्रचार के लिये प्रलेखीय चलचित्र बनाने के लिए एक यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यह यूनिट किस स्थान पर स्थापित की जावेगी ; और

(ग) एक वर्ष में कितने प्रलेखीय चलचित्र तैयार किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय में एक 'सेल' स्थापित किया जा रहा है जो विदेशों मे निर्यात प्रचार के लिये अपेक्षित प्रलेखीय चलचित्रों के निर्माण में निर्यात संवर्द्धन परिषद् वस्तु बोर्डों आदि की सहायता करेगा।

(ख) दिल्ली।

(ग) आरम्भ में वर्ष १९६४–६५ मे पांच प्रलेखीय चलचित्रों का निर्माण किया जायेगा।

DEVELOPMENT OF DIAMOND MINES

1852. **Shrimati Chavda :** Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(*a*) the total amount of expenditure incurred by the National Mineral Development Corporation during the Third Five Year Plan period so far on the development of diamond mines ; and

(*b*) the value of diamonds exploited so far and the amount of profit made, if any from their sale ?

The Minister of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri C. Subramaniam) : (*a*) Rs. 90·27 lakhs to end of February, 1964.

(*b*) The commercial exploitation of the mines has not yet commenced. In the course of exploratory work, 1800 carats of diamonds were recovered upto the end of February, 1964, the approximate value of which is estimated at Rs. 6·47 lakhs. Of this quantity, 811 carats were sold in an auction in March, 1964 which fetched Rs. 3·63 lakhs, out of which royalty is payable to the State Government.

GLASS AND BANGLE INDUSTRY FEROZABAD

1853. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(*a*) the arrangements made for the supply of indigenous soda ash in adequate quantity and at reasonable price to the glass and bangle industry in Ferozabad after de-control of soda ash ; and

(*b*) the action taken on the memorandum submitted by the Glass Industrial Syndicate, Ferozabad on the 17th April, 1963 ?

The Minister of Industry (Shri Kanungo) : (*a*) After decontrol of the price of soda ash all the consumers make their own arrangements for their requirements of soda ash with the producers and their distributors direct.

(*b*) After discussion with the U.P. Government and the producers of soda ash, a quantity of 600 tons of soda ash per month was then arranged for supply to the glass and bangle factories of Ferozabad.

नारियल जटा से कागज

१८५४. **श्री बसुमतारी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल जटा से कड़ा कागज बनाना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :(क) और (ख) जी नहीं। तथापि, वन अनुसन्धान संस्था ने प्रयोगशाला स्तर पर नारियल जटा से 'हाई स्ट्रैच पेपर' (विशेष प्रकार का कागज) बनाने के अध्ययन आरम्भ कर दिये हैं। वाणिज्यिक स्तर पर कड़े कागज के निर्माण की संभावना की स्थापना पर लागत का अभी वन अनुसंधान संस्था, देहरादून ने अभी हिसाब नहीं लगाया है।

कोयला खनन मशीन परियोजना

१८५५. { **श्री रामपुरे :**
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री र० बरुआ : }

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कोयला खनन मशीन परियोजना में उत्पादन आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) इस संयंत्र में अभी तक 'सेन्ट्रीयूगल पम्प', 'बूस्टर' पंखों और 'बेल्ट कन्वेयर' का निर्माण आरम्भ किया गया है। फरवरी, १९६४ के अन्त तक ९८,००० रुपये के मूल्य के लगभग १४ टन माल तैयार किया गया अर्थात् सात पम्प और एक 'बूस्टर' पंखा ।

सिंगरेनी कोयला खानों में "स्लैक" कोयला

१८५६. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्ज सिंगरेनी कोलियरीज़ कम्पनी (आन्ध्र प्रदेश) के "स्क्रीनिंग प्लान्ट्स" में "स्लैक" कोयले का बड़ा भंडार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके उठाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) यदि देश में सभी कोयला क्षेत्रों में खानों पर जमा स्टाक का हिसाब लगाया जाये तो सिंगरेनी कोयला-खान में जमा स्टाक को अधिक नहीं कहा जा सकता। इस कम्पनी में कुल स्टाक इसके मासिक उत्पादन का लगभग ३४ प्रतिशत है जब कि बंगाल-बिहार क्षेत्रों में ये आंकड़े ९८ प्रतिशत हैं और अन्य क्षेत्रों में ६८ प्रतिशत हैं।

अपने कोयले के सामान्य व्यापारिक तरीके से बिक्री की व्यवस्था करना कोयला-खानों के लिये हैं। सरकार ने कोयले के संभरण के लिये उपभोक्ताओं के बारे में अभ्यंश प्रतिबन्ध में छूट देकर उनकी सहायता की है। रेल परिवहन की उपलब्धता भी पर्याप्त कर दी गई है ।

हिमाचल प्रदेश में शराब बनाने का कारखाना और दुग्ध चूर्ण कारखाना

१८५७. श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में एक शराब बनाने का कारखाना और दुग्ध-चूर्ण कारखाना स्थापित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो दोनों कारखानों में कुल कितना विनियोजन है और उत्पादन-क्षमता क्या है और इनमें उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिष्कृत लौह अयस्क

१८५८. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में परिष्कृत लौह-अयस्क की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध है, और

(ख) सरकार इस परिष्कृत लौह-अयस्क का किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहती है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) परिष्कृत लौह-अयस्क की मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बिहार-उड़ीसा क्षेत्र में यंत्रों की सहायता से बड़ी खानों का वर्ष १९६० में किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि लगभग ६० लाख टन परिष्कृत लौह-अयस्क इकट्ठा हो गया है।

(ख) परिष्कृत लौह-अयस्क को उपयुक्त रूप से पिंड बनाने के बाद इस्पात के उत्पादन के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। जमशेदपुर, भिलाई और भद्रावती (मैसूर में) इस्पात संयंत्रों को परिष्कृत लौह-अयस्क के लिये निसाद संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। इसी प्रकार राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में भी निसाद संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। प्रस्तावित बोकारो इस्पात संयंत्र में भी परिष्कृत लौह-अयस्क का निसाद किया जायेगा। सरकार ने निर्यात के लिये परिष्कृत लौह-अयस्क से पैलेट बनाने के लिये गोआ में एक संयंत्र स्थापित करने के लिये एक गैर सरकारी पक्ष की योजना का अनुमोदन कर दिया है।

टाइलों का निर्यात

१८५९. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाइलों के निर्यात में बहुत कमी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३ में वर्ष १९६०–६१ की अपेक्षा टाइलों में निर्यात में कमी हुई है लेकिन वर्ष १९६३–६४ में निर्यात में वृद्धि हुई है ।

(ख) इस कमी के मुख्य कारण अधिक उत्पादन, मकान-निर्माण में फैशन परिवर्तन और भारतीय टाइलों का आयात करने वाले देशों में टाइलों पर आयात-शुल्क की अधिक दर हैं।

(ग) मद्रास से मलाया/सिंगापुर तक टाइलों के निर्यात के लिये जहाज भाड़ा दरों को १००० टाइलों के लिये ८८ रुपये से घटा कर १००० टाइलों के लिये ७५ रुपया कर दिया गया है।

Blast Furnaces

1860. { Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Government propose to set up blast furnaces at various places in the country under the current Plan in order to meet the shortage of iron ; and

(*b*) if so, the names of places where these will be set up and their respective capacity of production ?

The Minister of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri C. Subramaniam) : (*a*) *and* (*b*) : Yes, Sir. As a measure to augment pig iron production, it is proposed to set up two blast furnaces—one eaeh at the Bhilai and the Durgapur Steel Plants in the Third Plan period itself, in anticipation of their Fourth Plan development programme. The furnaces will be of 1719 cubic metre capacity. More furnaces will be put up in the Fourth Plan, but their locations have not been finally settled yet.

भारत-आस्ट्रेलिया व्यापार

१८६१. { श्री विश्रायम प्रसाद :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री बसुमतारी :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया के एक व्यापार शिष्टमंडल ने हाल में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये सरकार से बातचीत की ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली में हुई हाल की वार्ता भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग सम्बन्धी मामलों पर बातचीत का दूसरा दौर रहा। इस वार्ता के फलस्वरूप आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों का निर्धारण कर दिया गया है और व्यापार के विस्तार की संभवनाएं निकाली जा रही हैं। बातचीत का तीसरा दौर सितम्बर, १९६४ में या इसके आस पास होगा।

ऊच्चतम न्यायालय से सूचना

NOTICE FROM SUPREME COURT

अध्यक्ष महोदय : मुझे उच्चतम न्यायालय से निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर हैं :—

"मैं इस के साथ एक सूचना भेज रहा हूं जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय के नाम जारी करने का निदेश मुझे न्यायालय की ओर से मिला है, और आपकी कृतज्ञता होगी यदि आप इस सूचना को माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखें ताकि वह जो कार्यवाही करना आवश्यक समझें, करें।"

इस सूचना के अन्त में कहा गया है :

"जब कि मामले को, तदनुसार, १ अप्रैल, १९६४, को निदेश प्राप्त करने के लिये न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिये कहा गया । न्यायालय द्वारा, भारत के महान्यायवादी को सुनने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश दिया गया :

"न्यायालय इस मामले की अविलम्ब सुनवाई के लिये तिथि निर्धारित कर सके, इस के लिये सूची (साथ सलंग्न) में वर्णित सभी पक्षों तथा लोक-सभा, राज्य-सभा , संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायिक आयुक्तों और भारत के महान्यायवादी को अलग अलग तारों द्वारा सूचनाय भेजी जायें कि वह सोमवार, ६, अप्रैल, १९६४,को न्यायालय में उपस्थित हों ।"

इस के द्वारा आप को सूचना दी जाती है कि यह विशेष निदश सोमवार ६ अप्रैल, १९६४, को न्यायालय के समक्ष होगा और उसी दिन लगभग १०.३० बजे न्यायालय उस पर कार्यवाही करेगा जब कि आप अपने प्रतिनिधि के जरिये, जिसे आप ने विधिवत् हिदायतें दी होंगी, न्यायालय में उपस्थित होंगे, और इस न्यायालय की कार्यवाही में जैसे आप उचित समझगे भाग लेंग।" इस सूचना के प्राप्त होने पर मैं ने सभी दलों के नेताओं और संसद्-कार्य मंत्री को कहा है कि वह ४ बजे मुझे मिलें, और फिर इस मामले पर विचार कर के सभा को सूचित किया जायगा कि इस पर क्या कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री स० मो० नर्जी : (कानपुर): चूंकि इस मामले के सांवैधानिक पहलुओं पर यहां पर विचार नहीं किया गया, इसलिये मेरा अनुरोध है कि सभा की एक गोपनीय बैठक हो जिस में महान्यायवादी उपस्थित हों और हम कोई एक राय कायम कर सकें। हम चाहते हैं कि महान्यायवादी की राय हमें मिले ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में श्री बनर्जी से सहमत नहीं हूं।

Shri Ram Sewak Yadav : (Barabanki): This House will be like a client whose case will be represented by our counsel. The hon. Members can hold different views about the matter. Therefore I propose that we may ascertain the opinion of this hon. House on the concerned sections of the Constitution without going into the merits of the case that is before the Supreme Court...

Mr. Speaker : The hon. Member can come in the meeting and express his views.

श्री कपूर सिंह (लुधियाना): यह बेहतर होगा यदि हम गोपनीय बैठक में इस विषय पर विचार कर के अपने प्रतिनिधि को सदस्यों की राय से अवगत करा दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस की जरूरत नहीं समझता । मेरी राय यही है कि हमारा प्रतिनिधि वहां पर जाये और हमारे अधिकारों सम्बन्धी जो भी नियम अथवा संविधान के उपबन्ध उन के आधार पर उच्चतम न्यायालय अपना निर्वचन दे ।

श्री कपूर सिंह : यह केवल सांवैधानिक विशषाधिकारों का ही प्रश्न नहीं है । सदस्यों का यह अधिकार है कि वह जो व्यक्ति उन का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है उस के विचार सुने ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्दिष्ट –आंग्ल–भारतीय) यह मामला हमारे विशेषाधिकारों का है । केवल यह काफी नहीं है कि हमारा प्रतिनिधि न्यायालय में जायगा । हमें यह भी देखना है कि हमारे प्रतिनिधि का दृष्टिकोण क्या है । इसलिये यह आवश्यक है कि इस मामले पर यहां पर चर्चा हो ।

अध्यक्ष महोदय : दलों के नेताओं से परामर्श कर के मैं उन को बताऊंगा कि उन की राय क्या है । परन्तु मैं इस बात की जरूरत नहीं समझता कि यहां पर मामले के गुणावगुणों पर चर्चा हो ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): चूंकि भूल विवाद उत्तर प्रदेश विधान मंडल और अलाहाबाद उच्च न्यायालय में है, इसलिये क्या उत्तर प्रदेश विधान मंडल का उचित प्रतिनिधित्व उच्चतम न्यायालय में करने के बारे में कोई प्रबन्ध किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय इस मामले से हमारा कोई संबंध नहीं है । सभी दलों के नेताओं से विचार कर के मैं सभा को बताऊंगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू के ऊपर एक अज्ञात विमान की उड़ान

श्री स्वैल (आसाम–स्वायत्त जिले): मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"२७ मार्च, १९६४, को जम्मू के ऊपर एक उज्ञात विमान की उड़ान ।"

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैय्या): २७ मार्च, १९६४ को सुबह १०.४५ बजे जम्मू के छम्ब क्षेत्र के निकट ३००० फुट की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक जैट विमान को देखा गया । वह विमान भारतीय राज्य क्षेत्र के अन्दर ५ मील तक आ गया था । युद्ध–विराम के पाकिस्तानी क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना द्वारा झंड भी लगाये गये थे जो पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र में जाने के लिये विमान की सहायता कर रहे थे । इसी तरह, उसी दिन १०.२० बजे जम्मू के पश्चिम की ओर १० मील की दूरी पर एक अन्य विमान देखा गया जो शायद पाकिस्तान का ही था । तदनुसार जम्मू तथा काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र सेना प्रेक्षकों के पास सीमा उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है ।

श्री स्वैल : क्या इसका यह अर्थ लगाया जाय कि पाकिस्तान की वायु शक्ति हम से अधिक है जिस के कारण सिवाय उन के विमानों को देखने के हमारे पास और कोई चारा नहीं है ?

श्री रघुरामैय्या : जैसे कि दी गयी सूचना से विदित है उन के विमान हमारे राज्य क्षेत्र में केवल २ या ३ मील तक ही आ पाये थे।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मंत्री द्वारा "केवल" शब्द के प्रयोग से पाकिस्तान को प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री रघुरामैय्या : मैं ने 'केवल' शब्द का प्रयोग फासले के साथ किया है अतिलंघन के सिलसिले में नहीं ... (अन्तर्बाधायें) जब एक विमान ४०० या ५०० मील की रफ्तार से उड़ान करता हुआ २ या ३ मील तक इस ओर आ जाता है तो इस विषय में एक ही उपाय है कि सेना प्रेक्षकों को रिपोर्ट की जाय ।

श्री स्वैल : मेरा प्रश्न यह था कि क्या इस प्रकार की घटना से अन्दाजा लगाया जाय कि पाकिस्तान की वायु शक्ति हम से अधिक है ।

श्री रघुरामैय्या : इस घटना से यह अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इस प्रकार की घटनायें होती हैं माननीय सदस्य यह क्यों कहते हैं कि "इस घटना से" यह अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता ।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री का उत्तर अपमानजनक है ।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कुछ विरोधी पक्ष के सदस्यों ने मेरे इन शब्दों को उद्दृत किया कि "एक इंच भी नहीं "। मैं नहीं समझ पाया कि वह विमान की २ या ३ मील तक की उड़ान को एक इंच से कैसे मिलाते हैं। मालूम होता है कि माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि उड़ानें किस प्रकार होती हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : प्रधान मंत्री ने हम से काफी कुछ सीख लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री हरि विष्णु कामत : संसद् में प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से नहीं दिये जाते।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कई बार ऐसा कहते हैं कि मंत्री उन की बात को समझते नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु वह इस तरह नहीं कह सकते। यदि वह चाहते हैं तो हम भी उन के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री हरि विष्णु कामत : वह सभा के नेता हैं और उन्हें तरीके से बात करनी चाहिये ...

श्री जवाहर लाल नेहरू : माननीय सदस्य बिना कारण ही उत्तेजित हो रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : आप तो चीनी आक्रमण के समय भी उत्तेजित नहीं हुए ।

श्री त्यागी (देहरादून) आप जानते नहीं हैं कि वह अविवाहित हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : और विधुर भी हैं . . . (अन्तर्बाधायें) ।

अध्यक्ष महोदय : इतनी गम्भीर चर्चा के समय ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जब एक विमान ४०० या ५००० मील की गति से उड़ान करता है तो २ या ३ मील, या ६, ८ मील तक भी कोई यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि वह किस क्षेत्र के ऊपर उड़ान कर रहा है । इस के अलावा २ या ३ मील उड़ने में उसे कुछ सैकंड ही लगते हैं और तब तक उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक समय हमारे विमान उड़ान करते न रहें, बल्कि तब भी यह सुनिश्चित करना कठिन हो जायगा कि वह किस राज्य-क्षेत्र में है। इसलिये इस प्रकार की घटना से यह अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता कि हमारी वायु शक्ति कम है । हो सकता है कि इस विशेष मामले में गलती लगी हो, यह भी हो सकता है कि जानबूझ कर यह घटना की गयी हो ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में

Re: Calling attention Notice

Shri Buta Singh (Moga) : Sir, I had given notice of a Calling Attention Motion regarding a number of Harijans who are dying of hunger in front of Rajghat. No arrangement has been made for their employment.

Mr. Speaker : This matter cannot be raised here in this manner.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) जारी रखना अध्यादेश

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) संविधान के अनुच्छेद १२३(२) (क) के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा २ अप्रैल, १९६४ को प्रख्यापित सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) जारी रखना अध्यादेश, १९६४ (१९६४ का संख्या १) ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २६३० / ६४]

(२) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ७१ (२) के अन्तर्गत अपेक्षित सशस्त्र सेनायें (विशेष शक्तियां) जारी रखना अध्यादेश १९६४ द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २६३१ / ६४]

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह अधिनियम, जिसे २ अप्रैल, को अध्यादेश द्वारा पुन: लागू किया गया है, १९५८ का अधिनियम है और यह वर्ष १९६४ का प्रथम अध्यादेश है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उसे मालूम नहीं था कि इस अधिनियम की

अवधि इस मास में समाप्त हो रही है ? इस बारे में उचित समय पर कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि इसे प्रतिरक्षा मंत्री या विधि मंत्री के स्थान पर संसद् कार्य मंत्री द्वारा क्यों सभा पटल पर रखा गया है ? तीसरा प्रश्न यह है, कि यदि इस विषय में सरकार सतर्क होती तो इसे तब लाया जाता जब कि संसद् की दोनों सभाओं की बैठक हो रही थी। ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार को १७ मार्च तक इस की अवधि, समाप्त होने के बारे में ध्यान नहीं था । अध्यादेश जारी करने की शक्ति असाधारण शक्ति है जिस का प्रयोग साधारण तया नहीं किया जाता । सरकार बतायें कि राज्य सभा के स्थगित होने से पूर्व वह इस बारे में एक विधेयक सभा में क्यों नहीं ला सकी ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर): अध्यादेश जारी करने की एक प्रथा बन जायेगी। संसद के सत्र काल में अध्यादेश जारी करना अनुचित है । सरकार को समय पर इस विषय में कार्यवाही करनी चाहिए थी । सरकार को इस बारे में जबाब देना होगा ।

श्री रंगा (चित्तूर): सरकार के लिए यह सर्वथा अनुचित है कि वह इस प्रकार से अध्यादेश जारी करे।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : (मंदसौर) : जब इस विषय का एक विधेयक सभा के समक्ष है तो अध्यादेश जारी करना सर्वथा अनुचित है । सरकार को चाहिए था कि वह समय पर विधेयक को पारित करती । सरकार इस कार्यवाही के लिये जबाबदेह है ।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : मैं महसूस करता हूं कि इस तरह से अध्यादेश नहीं लाने चाहिएं और मुझे इस बात का खेद है । परन्तु यह एक औपचारिक रूप का अध्यादेश है जो अवधि बढ़ाने के लिये लाया गया है। मंत्रालय इस बात का ध्यान नहीं रखते कि राज्य सभा का सत्र समाप्त हो जाता है। राज्य सभा का सत्र समाप्त हो जाने के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका और अध्यादेश लाना पड़ा। कुछ समय इस कारण भी जाया हो गया कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका था कि यह विषय किस मंत्रालय के अन्तर्गत है ।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु सम्बद्ध विधेयक जब लाया गया था तो दोनों सभाओं का सत्र चल रहा था । विधेयक कब पुरः स्थापित किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : विधेयक २५ मार्च को पुरः स्थापित किया गया था ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : नागालैंड सम्बंधी विनियम की अवधि प्रति वर्ष बढ़ायी जाती थी परन्तु १ दिसम्बर से नागालैंड एक राज्य बन गया जिस पर विधि, मंत्रालय ने बताया कि अब विनियम की अवधि बढ़ाने की बजाय एक कानून बनाना होगा जिससे कि सम्बद्ध अधिनियम लागू हो सके। फिर विधान बनाया गया और वह हमारे पास आया और उसे आसाम के गवर्नर को निर्दिष्ट किया गया । इसीलिये सम्बद्ध विधेयक को लाने में देरी हुई । अब चूंकि राज्य सभा स्थगित हो चुकी है इसलिये अवधि बढ़ाने के लिये अध्यादेश लाना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की शिकायत यह है कि जब संसद की दोनों सभाओं की एक मास तक बैठकें होती रहीं तो सरकार ने इस विधेयक को पारित करने के लिये पहले से योजना क्यों नहीं बनायी ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

[**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair*]

श्री जवाहर लाल नेहरू : इसी कारण तो मैंने खेद प्रकट किया है । परन्तु इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि बीच में नागालैंड एक राज्य बन गया था ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : एक बात जब सरकार के ध्यान में लायी गयी तो उस बारे में कार्यवाही करने में २½ मास मिले फिर भी वह कार्यवाही पूरी न हो सकी । यह एक चिन्ता का विषय है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह तो ठीक है कि प्रधान मंत्री ने खेद प्रकट कर लिया है कि परन्तु यदि आपात काल में सरकार का काम करने का यह तरीका है तो साधारण काल में स्थिति क्या हो सकती है । संविधान के अनुच्छेद १२३ में दिया हुआ है कि संसद की सत्रावधि के दौरान अध्यादेश जारी नहीं किया जायेगा । यह अत्यंत खेद का विषय है कि विधेयक को राज्य सभा के सत्र स्थगित हो जाने के केवल ४ दिन पश्चात लाया जाये । इस का अर्थ यह है कि सरकार बिना योजना बनाये काम करती है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने खेद प्रकट किया है । यह काफी है ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पच्चीसवां प्रतिवेदन

श्री त्यागी : (देहरादून) : मैं वित्त और इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालयों सम्बंधी विनियोग लेखे (असैनिक) १९६१-६२ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), १९६३ तथा वित्तीय परिणाम (असैनिक अनुदान) और सहायतार्थ अनुदान के बारे में लोक लेखा समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

इक्यावनवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह : (बारसाट) : मैं इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय--हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के बारे में प्राक्कलन समिति का इक्यावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd*

उद्योग मंत्रालय--जारी

श्री व० बा० गांधी : (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) : शक्तिचालित करघा उद्योग में अपना काम स्वयं चलाने वाले लोग काम करते हैं और यह देश में एक बड़ा कुटीर उद्योग है । औसतन एक एकक के पास २ से ४ तक करघे हैं । आज इस उद्योग में संकट की स्थिति पैदा हो गयी है । इस उद्योग में कुशलता और कार्य पटुता की कमी नहीं है । इस उद्योग में संकट उत्पन्न होने का कारण यह है कि

आय व्ययक प्रस्तावों द्वारा कई नये उत्पादन शुल्क लागू दिये गये हैं। शक्तिचालित करघों पर तैयार होने वाले कपड़े और सूती धागे पर कर लगाया गया है। करघों में प्रयोग में आने वाले धागे पर एक विशेष शुल्क लगाया गया है। फिर, कुछ रियायतें जो उन करघों वालों को मिली हुई थी जिन के पास ४ तक करघे थे वापस ले ली गई हैं। इन करों का कारण यह है कि वित्त मंत्रालय राजस्व की दृष्टि से समस्या को देखते हैं उद्योग के विकास की दृष्टि से नहीं। उद्योग के विकास में तो उद्योग मंत्रालय दिलचस्पी रखता है। इन करों के कारण उद्योग की दशा बहुत खराब हो गई है। यदि उचित समय पर कार्यवाही न की गयी तो करघे बन्द हो जायेंगे। उद्योग के भविष्य के लिये बहुत से प्रस्ताव विचाराधीन थे परन्तु नई स्थिति से मालूम होता है कि भविष्य की बजाय हम वर्तमान स्थिति के समाधान के लिये अधिक उत्सुक हैं। भिवांडी की साईजिग एसोसियेशन जो कि देश में सब से बड़ी है, १६ मार्च से काम बन्द करने का निश्चय किया है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाए।

चार करघा इकाई के आधार पर बुनकर की आय २१२ रुपये होती है परन्तु अब नवीन शुल्क २३७ रुपये के लगभग होंगे। वह किस प्रकार इतना शुल्क दे सकेगा। उसे तो हानि होगी। अशोक समिति ने इस समस्त प्रश्न पर विचार किया है जिसकी रिपोर्ट दो महीने में आने वाली है, अतः सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती। रिपोर्ट में बहुमूल्य सिफारिशें तथा सुझाव होंगे, जिन पर सभा को तथा सरकार को विचार करना होगा और यह रिपोर्ट विद्युत करघा उद्योग के भविष्य के लिये महत्व पूर्ण होगी। जनता को इन करों से २४ रुपये मासिक की हानि होगी। समझ में नहीं आता कि करों को लगाने में क्या जल्दी थी। उद्योग मंत्रालय को चाहिये कि वह इस मामले पर निश्चित रूप से और सक्रिय ढंग से विचार कर के कार्यवाही करे। ये जो नये कर लगाये गये हैं, उनको तुरन्त हटाने की जरूरत है, क्योंकि इन से उद्योग को लाभ के स्थान पर हानि होगी और इस उद्योग का विकास रूक जायेगा।

छोटे उद्योगों पर भी शुल्क लगाये गये हैं, जो उद्योग के विकास के लिये हानिकारक हैं। अतः उन पर लगे शुल्क में छूट देने के संबंध में जो अध्यादेश जारी किया गया है, इस को तुरन्त वापिस लिया जाय।

सरकार ने सरकारी उपक्रमों के संबंध में समिति बनाना स्वीकार कर लिया है। अतः उस समिति का गठन शीघ्र किया जाए। स्वामी नाथन समिति के काम की मैं प्रशंसा करता हूं। अब विदेशी सहयोग के क्षेत्र में ध्यान रखा जाएगा। मूलभूत उद्योगों की सूची जारी की गई है। मैं उसका भी स्वागत करता हूं। उद्योगों के लाइसेंस देने के तरीके को सरल और नर्म बनाया गया है। २५ लाख रुपये की निर्धारित पूंजी बढ़ाने का काम भी स्वागत योग्य है।

श्री कृष्णपाल सिंह : (जालेसर) : हालांकि सरकार ने ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिन के द्वारा उद्योगों के विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, परन्तु फिर भी युद्ध के पश्चात और हाल की अवधि में अधिकतर उद्योगों का विस्तार एवं विकास संभव हुआ है। इसका कारण संसार तथा भारत सर्वत्र औद्योगिक विकास की प्रवृति और लहर है, न कि सरकारी नीतियां। सरकारी दफ्तरों में लाल फीता शाही अधिक होने के कारण और साधारण प्रक्रिया में अत्यधिक विलम्ब होने के कारण उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न हुई। उद्योग मंत्रालय की विस्तार एवं प्रशासनिक ढांचे बहुत बड़ा होने के कारण उस पर समुचित नियंत्रण नहीं होता और मंत्रालय इसके अधीनस्थ कार्यलयों में गैर नौकरशाही का बोलवाला है। ये सभी चीजें उद्योगों का विकास नहीं होने देती। परन्तु फिर भी उद्योगों ने अपनी क्षमता और बल के आधार पर अपनी उन्नति की है।

मंत्रालय की इस समय परमिट देने, कोटा निर्धारित करने और लाइसेंस देने की जो पद्धति है, वह इतनी खराब है कि वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इस प्रणाली को समाप्त करने की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके। सरकार की लाइसेंस, परमिट आदि आने की यदि इच्छा है भी, तो उसे चाहिये कि वह संघ लोक सेवा आयोग तथा इसी प्रकार के स्वायत्त शासी निकायों के नमूने पर एक स्वायत्त निकाय बनाये जो परमिट आदि के प्रश्न पर विचार करे और लाइसेंस, कोटा, परमिट आदि से संबंध रखने वाला समस्त काम उस आयोग द्वारा किया जाए। चूंकि वह आयोग स्वायित्त एवं स्वतंत्र होगा, अतः उस में लाल फीताशाही, विलम्ब और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी और काम सुचारू रुप से चल सकेगा। सरकार को इस विषय में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नील बनाने का बड़ा लाभदायक उद्योग बढ़ा हुआ था। परन्तु ऐसे उद्योग अब समाप्त होते जा रहे हैं और उन उद्योगों में काम करने वाले लोगों को रोजगार ढूंढने के निमित्त नगरों में स्थित उद्योगों की शरण में जाना पड़ रहा है। उन ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां ये पुराने उद्योग समाप्त हुए हैं, लघु उद्योग स्थापित करने की अत्यंत आवश्यकता है और इसके लिये जरूरी है कि उन लोगों को उत्पादन के नवीन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाये। बैंकों को भी चाहिये कि वे उन क्षेत्रों में इन उद्योगों को स्थापित करने एवं उन उद्योगों को स्थापित करने वाले लोगों की सहायता करनी चाहिये ताकि वहां उद्योग स्थापित हो सकें और लोगों को रोजगार मिले तथा उन क्षेत्रों का विकास न रुकने पाये।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थिति संतोषजनक नहीं। कितने आश्चर्य की बात है कि एक विख्यात राजनीतिज्ञ व्यक्ति औद्योगिक एवं वाणिज्यिक महत्व वाले इस बड़े उद्योग का सभापति बनाया गया है। इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के काम की जांच करने के निमित्त एक आयोग स्थापित किया जाए जो सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करे। यदि ऐसा किया जाए तभी खादी आयोग की हालत को सुधारा जा सकता है।

कनाट सर्कस दिल्ली में खादी ग्रामोद्योग भवन में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत बुरी है—वे लोग सर्वथा असंतुष्ट हैं। उनके वेतन को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि उनका वर्तमान वेतन कम है। साथ ही उनकी सेवा के नियम अभी तक नहीं बनाये गये। उनको बनाना चाहिए।

यह बात बड़ी महत्वपूर्ण एवं विचारणीय है कि खादी उत्पादन के निमित्त राज्य सहायता दिये बिना क्या छोटे उद्योग या एकक स्थापित किये जा सकते हैं या नहीं। सरकार को इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। राज्य सहायता खादी उत्पादन के लिये हमेशा नहीं दी जा सकती, अतः यह देखना होगा कि क्या खादी अन्य वस्त्र उद्योगों के साथ मुकाबला करने में समर्थ है या नहीं। यदि नहीं तो अब तक इन खादी निकायों को खादी उत्पादन के लिये सहायता दी जाती रहेगी? सरकार को इस प्रश्न पर ध्यान देना चाहिये।

शिकार के हथियार तथा कारतूस आदि बनाने का काम आरम्भ करना चाहिये, क्योंकि इन वस्तुओं की कमी है और दाम अधिक हैं। क्या देश में किसी विदेशी साथ अर्थात् चिरविधेयक लघु हथियार समवाय आदि के सहयोग के साथ कारखाना खोला जा सकेगा, इस बात की संभावना पर सरकार को विचार करना चाहिये ताकि उन के दाम कम हों और लोग इसका प्रयोग कर सकें।

Shri Bishwa Nath Roy (Deoria): The Industrial policy as enunciated in the Industrial Policy Resolution has been a stepping stone in the progress and development of industries. It has placed industries on sound footing and has gone for to help and aid the expansion and development of public sector enterprises. But the Government's knowledge about private sector industries is inadequate. Government should pay attention towards this aspect. Anyhow the public sector industries have shown good results and deserve support.

It is a matter of concern that wealth and Capital have been concentrated in the hands of a few families only. This has given a rise to monopolistic tendencies. We should think in terms of discontinuing grant of licenses to these who are monopolists and concentration of wealth. There is urgent need of breaking monopolies and concentration of wealth in a few hands. this Should be a step towards democratic socialism.

Handloom industry is very vital for industrial development and the policy for tendering help to this industry should be liberalised and followed strictly.

Our jute Industry was very developed. But on account of competition from Pakistan it has suffered a lot. We should therefore help the industry to enable it to compete with Pakistan.

There has been 100% increase in the textile Industry and this is commendable. We should encourage it further.

The policy of giving encouragement to the handloom, cottage or small scale industries should be pursued vigorously.

There should be no concentration of industries in a few places. Industries should also be set up in backward areas like Eastern Uttar Pradesh where there are no industries at present. The question of dispersal of industries should be considered while formulating the fourth Five Year Plan. It will help provide employment opportunities to the people of those areas. The silk industry in the backward areas should be given more attention, so that export of silk may be increased. Fruit preservation industry should be given encouragement so that people with small means can be attracted to this vocation.

Government has not started any industry to produce agricultural implements on a large scale. Arrangements should be made for the production of these implements because 80 percent of our population is dependant upon agriculture. Those who volunteer themselves to make these implements should be given all encouragement by the Government.

Government had a proposal to produce small cars but we do not know what has happened to that proposal. Keeping in view the great demand for these cars in the country, Government should take some action in this matter soon.

श्री मान सिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : जहां तक लाइसेंस देने की नीति का प्रश्न है, उद्योग मंत्रालय तथा अन्य विभागों में समन्वय का अभाव रहा है । यदि सहकारी क्षेत्र को सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ प्रभावशाली ढंग से काम करना है तो उस सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट और दृढ़ होनी चाहिये । अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कैरा मिल्क कोआपरेटिव यूनियन १,००० टन बेबी फूड प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता के लिए लाइसेंस चाहता था । उसकी अर्जी बिना किसी जांच के नामंजूर कर दी गई । जब कि ३,००० टन के

430 (Ai) LSD—5

[श्री मान सिंह पृ० पटेल]

अतिरिक्त उत्पादन के गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रस्ताव का समर्थन किया गया और वह भी विदेशी फर्मों के सहयोग से, जिनमें से एक 'हिन्दुस्तान लीवर्स' है जो पहले से ही प्रतिवर्ष १,५०० टन बेबीफूड का उत्पादन कर रहा है। सहकार मंत्रालय ने एक अध्ययन दल नियुक्त किया है इस सभा की ओर से मैं भी एक सदस्य हूं। सरकार ने यह निर्णय किया है कि भविष्य में अन्न से और विशेष कर दूध से तैयार होने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लाइसेंस गैर-सरकारी उद्योगों को नहीं दिये जाने चाहियें। अध्ययन दल ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है। फिर भी मुझे पता लगा है कि कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इलाके के पिछड़ेपन के नाम पर गैर-सरकारी फर्मों की अर्जियों का समर्थन किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के समर्थन के बिना, जिनका इन उत्पादों से सीधा सम्बन्ध है, केवल उद्योग मंत्रालय को ही ये लाइसेंस देने का अधिकार है। यदि ३,००० टन बेबी फूड के अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इस मंत्रालय को यह देखना चाहिये कि गैर-सरकारी उद्योग को और अधिक उत्पादन के लिये लाइसेंस न दिये जायें। सहकारी संघों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये और बेबी फूड का उत्पादन सहकारी क्षेत्र में ही किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि बेबी फूड के लिए लाइसेंस देने के मामले में सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : मुझे इस पर आपत्ति है कि उद्योग मंत्री काफी समय से अनुपस्थित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे शायद भोजन करने गये हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : हमें इस पर गम्भीर आपत्ति है। मांगों पर चर्चा के समय मंत्रिमंडल का कम से कम एक सदस्य यहां उपस्थित रहना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अल्वारेस : जहां तक सरकारी, गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र में उद्योगों को चालू करने का प्रश्न है, एक तुलनात्मक विवरण सभा पटल पर रखा जाना चाहिये जिससे पता लग सके कि औद्योगिक नीति संकल्प के पालन में इन तीनों क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई है।

ग्राम उद्योग एक संपूर्ण उद्योग है परन्तु खादी एक सहायक उद्योग है अतः जब गांवों के लोग शहरों में जा बसेंगे, जैसा कि योजना आयोग का निदेश है, तब जो लोग गांवों में रहेंगे उनके लिये खादी केवल एक सहायक उद्योग होगा। परन्तु यह उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकेगा जब तक खादी को राजसहायता की वर्तमान दर जारी रहेगी और खादी तथा ग्रामोद्योग के साथ साथ सरकार अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए उपाय नहीं करेगी। अतः मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी नगरीय बस्तियां तथा सहकारी केन्द्र कायम किये गये हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग में लगभग १८ लाख व्यक्ति पूर्ण रूप से तथा ६½ लाख व्यक्ति आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। यह देखने के लिए कि यह स्थिति सदा के लिये न बनी रहे ग्रामीण जनता को नगरीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने के लिए अब तक हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जाना चाहिये। अनुदानों को बिना बिलम्ब उपलब्ध कराने के लिए कोई ऐसी कार्य-प्रणाली

निकाली जानी चाहिये जिससे "यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट" आसानी से उपलब्ध किये जा सकें। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस उद्देश्य के लिए दिये गये अनुदान ठीक तरह से प्रयोग में लाये जाते हैं। खादी आयोग के कर्मचारियों के साथ साथ खादी भवनों में काम करने वाले व्यक्तियों पर भी केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनक्रम लागू होने चाहियें।

जहां तक कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है, मिलों, शक्ति चालित करघों (पावरलूम) तथा हथकरघों को अपने अपने क्षेत्रों में मिल कर काम करना चाहिये उनके बीच एक दूसरे को मिटाने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिये। यह सुनिश्चित करना योजना आयोग का काम है। इन तीनों सैक्शनों के लिए पृथक पृथक क्षेत्र निर्धारित किये जाने चाहिये। पावरलूम तथा मिलों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के कारण काफी पावरलूम बन्द होते जा रहे हैं। वर्तमान बजट प्रस्तावों में उत्पादन शुल्क दुगने से भी अधिक कर दिया गया है और जो छोट एकक (यूनिट) अब तक उत्पादन शुल्क से मुक्त थे उन पर भी यह उत्पादन शुल्क लगने लगेगा यदि ये किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिये जायें क्योंकि हस्तांतरण की स्थिति में छोटे कुटीर उद्योगों को दिया गया संरक्षण समाप्त हो जायेगा। अतः सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिये।

मिलों, हथकरघों तथा शक्तिचालित करघों द्वारा कपड़े का जो उत्पादन किया जा रहा है, वह लक्ष्य से बहुत कम है। ऐसी स्थिति में सरकार को इनके पृथक् पृथक् क्षेत्र निर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। यदि निर्धारित ठीक प्रकार से किया जाये और इसे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये, तो शक्तिचालित करघों तथा मिलों के बीच प्रतिस्पर्धा खत्म हो जायेगी। सरकार को इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

जब सरकार ने एक पावरलूम समिति नियुक्त की हुई है तब उसके प्रतिवेदन के मिलने से पहले सरकार को यह नया उत्पादन शुल्क नहीं लगाना चाहिये और कम से कम उस समिति के प्रतिवेदन के प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये।

हस्तशिल्प उद्योग ने काफी उन्नति की है और काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त की है। हस्तशिल्प उद्योग तथा हस्तशिल्प बोर्ड ने भारत की पुरानी कला का पुनरुत्थान करने में सराहनीय कार्य किया है। इस उद्योग को ग्रामोद्योग के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिये ताकि वह देश में अन्य उद्योगों के विकास में सहायता कर सके। इसके लिये हस्तशिल्प बोर्ड के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिये ताकि अधिकाधिक प्राचीन तथा कला सम्बन्धी उद्योग इसके अधीन लाये जा सकें।

Shri Rameshwar Tantia (Sikar): To make frequent changes in this important Ministry is not conducive to its smooth working. Many Ministries are dealing with the work of licensing of industries which results in great delays in getting licences.

National Industrial Development Corporation has played a vital role in the expansion of industries in the country. It has spent Rs. 28 crores on production of Jute and Textile industry which is now in a position to compete with Pakistan and other countries in this field. It is regretting that Government intend to stop the grant of loans to this corporation from October next. When it is doing a commendable work it should be allowed to continue functioning and granted loans. The help that N.I.D.C. has rendered to the Textile and Jute industry should be extended to other industries to promote industrialisation of the country.

[Shri Rameswar Tamia]

Industries are experiencing great difficulties so far as labour laws are conncerned.

The Jai Engineering Works of Calcutta which pays the highest salaries to its workers has closed down due to the adamant attitude of the labour union. Something has got to be done in this matter if we are serious about the expansion of industries in the country.

The heavy taxation imposed on industry will retard further expansion of industries in the country and the target of new industries to be set up in the Third Plan can hardly be achieved now. The shortage of power is another hurdle in the way of industrialisation of the country.

So far as the grant of licenses to the industry is concerned, there should be closest coordination between the various Ministries. Nowadays it takes about a year to grant a licence . The Government want to encourage the common man in the establishment of new industries. But the present licensing system of the Government is not at all helpful from that point of view. It has been said that monopolies are growing up in the country which is a serious development. But the present licensing system is responsible for its growth. Government should, therefore, give a serious consideration to this matter, so that people with small means may be encouraged to start new industries.

श्री सुब्बरामन् (मदुरै) : यह सराहनीय बात है कि औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति हुई हैं परन्तु इस सम्बन्ध में और अधिक सुधार किया जाना चाहिए। वस्तुओं का स्तरीकरण और इनकी किस्म में सुधार होना चाहिए ताकि हम अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में विदेशी माल का मुकाबला कर सकें। हमें आवश्यकता के अनुसार विदेशों से तकनीकी जानकारी तथा सहायता लेनी चाहिए, अनुसन्धा का कार्य भी लगातार जारी रहना चाहिए।

यह अच्छी बात है कि नयी खोज तथा वस्तुओं की किस्म सुधारने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जन साधारण की जानकारी के लिए नयी खोजों का विवरण प्रकाशित किया जाना चाहिए।

यह देश के लिए अच्छी बात है कि हमें उद्योगों के विकास के लिए विदेशी सहयोग मिल रहा है जिससे हम कुछ विदेशी मुद्रा बचाने में सफल हुए हैं। लेकिन साथ ही हमें इस दिशा में सावधानी से काम लेना चाहिए जिससे विदेशी सहयोग का हमारी आन्तरिक अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़ने पाये।

हमारी अर्थव्यवस्था में हथकरघा उद्योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इससे लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। इसलिए हमें इस उद्योग को सभी प्रकार का संरक्षण देना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सूत पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने के परिणाम-स्वरूप हथकरघा उद्योग को किसी प्रकार की हानि न हो। हथकरघे से बने माल को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हमें उसके सुधार पर अधिक जोर देना चाहिए। जिससे हम अधिक कपड़ा विदेशों को निर्यात करने में सफल हो सकें।

हमारी अर्थ व्यवस्था में खादी एक बहुत महत्वपुर्ण उद्योग है। खादी उद्योग देश की बेकारी की समस्या को हल करने में काफी सहायक सिद्ध हुआ है। इतनी अधिक संख्या में रोजगार देने का खादी उद्योग के अतिरिक्त और कोई साधन नही है। अत: खादी उद्योग के विकास तथा खादी के मूल्य कम करने के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिए।

यह खुशी की बात है कि अम्बर चरखे में काफी सुधार किया गया है और एक सुन्दर नामक चरखे का निर्माण किया गया है। सरकार को इन चरखों को और अधिक सरल और लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए।

ग्रामीण उद्योगों का भी हमारी अर्थव्यवस्था में वही स्थान है जो खादी उद्योग को प्राप्त है। इस दिशा में अनुसन्धान का कार्य जारी रहना चाहिए। ग्रामीण उद्योगों में मशीनें चालू करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती बशर्ते की उनका प्रयोग इस तरह किया जाये कि उनके कारण किसी प्रकार की बेरोजगारी पैदा न हो।

Shri Bade (Khargone) : The Report of the Ministry of Industry seems to me a "bluff master" ; we have failed to achieve the targets of our industrial production. This Ministry have been bifurcated three or four times during the course of a year. I fail to understand why the Company Law Administration has been placed under the Ministry of Industry. It should have been placed under the Finance Ministry . Due to frequent changes effected the industrialists and other people feel confused. The Ministry should have some consistent policy.

Large sums of money are paid to foreign concerns as royalties, profits, etc. About foreign investment and collaboration, the P.A.C. has observed :—

"संसद् द्वारा एक विधेयक पारित कर के सरकार की ऋण प्राप्त करने की एक सीमा निर्धारित कर दी जाय। समिति के सम्मुख कहा गया कि ऋण संबंधी लक्ष्यों पर चर्चा करने का अवसर संसद् को मिलता है परन्तु समिति महसूस करती है कि जिस प्रकार से अब सरकार के ऋण संबंधी कार्यक्रम का संसद् द्वारा अनुमोदन किया जाता है उस से संसद् उस कार्यक्रम का उचित मूल्यांकन नहीं कर सकता। वह मूल्यांकन तभी सम्भव होगा यदि उस पर वाद-विवाद हो।"

The Committee says further :

"एक वर्ष पूर्व समिति ने सुझाव दिया था कि इस बारे में अध्ययन किया जाय कि विभिन्न लोकतन्त्रात्मक देशों में ऋणों के लिए संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने की क्या प्रक्रियायें हैं परन्तु इस बारे में अब तक कार्यवाही नहीं की गयी।"

The Government is borrowing increasing amounts of money and sending our money to foreign countries in the shape of royalties, profits, etc. I feel that there ought to be some control by Parliament on the borrowings, and royalties, profits, etc.

Our pricing policy is not stable. Depreciation differs from 5 to 10 per cent. Even the P.A.C. has made it clear that there is no consistent pricing policy in regard to industries.

Now I will say something regarding the industrial aspects. The greatest difficulty experienced is regarding availability of raw materials. Small industries cannot grow when there is a shortage of raw materials. The Central Government have not given to States sufficient quotas of steel, iron ore, etc. In U.P. , Small Scale industries are adversely affected by it. The industries for which licences were granted during 1960 and 1962, in Madhya Pradesh, have not started as yet, because of the non-availability of raw materials. The

[Shri Bade]

attitude of the hon. Minister towards Madhya Pradash cannot be said to be justful. A liaison Officer wrote to the Department of Industries:

"कच्चे माल की कमी का असर केवल भावी विकास पर ही नहीं पड़ा, वरन् वर्तमान परम्परागत उन उद्योगों पर भी पड़ा है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में कारीगरों के लिए रोजी कमाने का मुख्य साधन थे। इन उद्योगों को इनकी आवश्यकताओं का केवल दस प्रतिशत ही प्राप्त होता है।"

Swarup Chand Hukam Chand Oil Mills, Khandwa, were granted a licence in 1962, but it has not started working as yet, because their import licence application is pending with the Chief Controller of Imports and Exports. This is the State affairs in this Ministry. I propose that instead of Centralising all the offices in Delhi, they should be set up in every State in order to save the people of the trouble. People are not able to get either the machinery or the required quota because of the red tapism found in the department of Industries. When they come for hire -purchase of their machinery their papers are held up for years together. The hon. Minister should himself look into this matter. The licences had been granted to Berhanpur Tapti Mills, Hilla Toa Estate Industries limited and Khemchand Rajkumar Mohtta in the year 1960 and 1962, but their cases are still pending. The difficulty regarding raw materials is also being experienced by the Nepa Mills. It will produce 30,000 tons of paper whereas we need 150,000 tons. In the Satpur hills, *Salai* is not available in larger quantities but the bamboo is available. Paper should be produced by mixing *Salai* and bamboo together.

There is also a shortage of cement experienced in village areas particularly. People in big cities are able to obtain cement for their bungalows, but the poor agriculturist cannot. Per capita consumption of cement in France is 285 kgs., in U.S.A. it is 310 kgs., and in Britain it is 220 kgs., but in India per capita consumption is only 20 kgs. The Government have failed to meet the demand of cement.

Now I will refer to Khadi. The Khadi Gramodyog has become an orphamage for those Congressmen who are unable to contest successfully the elections. It has been pointed out that this is being run on a no-profit-no-loss basis, but it is clear from their memos that they sell some kind of blankets at the rate of 500 rupees per piece. A profit of Rs. 231 and 40 nP. was earned out of the sale of two blankets. I can quote a number of such instances to show that they do make huge profits. Apart from this, other malpractices are rampant there. Shri Tandon, who is the in-charge of the Khadi Gramodyog sold three sarees to his wife and gave her a special rebate of 50 per cent, along with the other normal rebate. The receipt is there as a proof of that. There is widespread dissatisfaction among the employees there because they have no recognised union, their grades are not satisfactory, allowances of A class city are not given to them, G.P. Fund facility is not available for them. All these things should be looked into properly. People who are employed in Khadi Gramodyog Bhawan of Madhya Pradesh have to work for Congress during the elections. It has also been reported that there have been misappropriation of funds in Khadi and Gramodyog Bhawans. Therefore attention should be given to all these things. I think about Rs. 13 or 17 crores have been invested in this institution. Now when we are producing sufficient quantity of cloth in textile mills, power looms and in handlooms, this institution may be liquidated, or if it is not liquidated, it should be open to all to seek employment in it.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

'उन्तालीसवां प्रतिवेदन'

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्तालीसवें प्रतिवेदन से, जो १ अप्रैल, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

Shri Sidheshwar Prasad (Nalanda): Mr. Deputy Speaker, I beg to submit that the time allotted for the Resolution moved by Dr. Singhvi may be extended by one hour.

उपाध्यक्ष महोदय : पहले हम प्रतिवेदन को लेंगे। संकल्प पर विचार करते समय इस संबंध में भी विचार किया जाएगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : मैंने वर्ष १९६२ में एक संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया था। उस समय उसके प्रायमिकता के क्रम में उसका स्थान आठवां था किन्तु अब उसका स्थान सैंतीसवां हो गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह परिवर्तन क्यों किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इसके बारे में मुझे बतायें तो मैं समिति के अध्यक्ष की हैसियत से इसकी जांच करूंगा।

अब, प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के उन्तालीसवें प्रतिवेदन से, जो १ अप्रैल, १९६४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यकों के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : MINORITIES IN EAST PAKISTAN

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री त्रिदिव कुमार द्वारा २० मार्च, १९६४ को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित संकल्प पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

"इस सभा की यह राय है कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाली अल्पसंख्यक जातियों के जान माल और सम्मान की निरन्तर असुरक्षा और पाकिस्तान के उक्त भाग में सामान्य रूप से जनता को सभी लोकतन्त्रीय अधिकारों से वंचित किए जाने की बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को चाहिए कि वह पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यक जातियों के लोगों के भारत संघ में आने संबंधी सब प्रतिबन्धों को हटाने के अतिरिक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र के सुसंगत अनुच्छेद के अन्तर्गत वहां

[उपाध्यक्ष महोदय]

के अल्पसंख्यकों के लोक तन्त्रात्मक तथा मानवोचित अधिकारों के प्रश्न को राष्ट्र संघ के मंच पर भी उठाने के लिए कार्यवाही करे।"

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह आवश्यक हो गया है कि सरकार पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के संबंध में अपनी अस्थिर नीति में परिवर्तन करे। सरकार को अपने बचाव का रुख नहीं अपनाना चाहिए। हमारी प्रचार व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए ।

यह सन्तोष की बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग की भारतीय शाखा ने यह संकल्प पारित किया है कि वह पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचारों के संबंध में मामला आयोग के पास ले जाएगी। आशा है आयोग इस संबंध में उचित कार्यवाही करेगा।

बिना विभाग के मंत्री महोदय ने मुझे बताया कि पाकिस्तान में भारत के विरुद्ध जोरों से मिथ्या प्रचार किया जा रहा है। राष्ट्रपति आरिफ को झिकारगछा शरणार्थी कैम्प में मुसलमानों की दयनीय दशा दिखाई गई और उन्हें बताया गया कि भारत सरकार ने इन पर अमानवीय अत्याचार करके इन्हें वहां से निकाल दिया था। उस दशा से द्रवित होकर श्री आरिफ ने ५०,००० रुपये उन लोगों के लिए दिए। जबकि वास्तविकता यह है कि ये लोग चिट्टागांव में आए तूफान के परिणामस्वरूप शरणार्थी हुए हैं। पाकिस्तान इस प्रकार के छल प्रपंचों से भारत को संसार की नजरों में गिरा रहा है। सरकार को पाकिस्तान की इस प्रकार की हरकतों से सावधान रहना चाहिए और पाकिस्तान द्वारा अपनाए गए छल प्रपंच के तरीकों का संसार के सामने भंडाफोड़ करना चाहिए ।

प्रकाशित समाचारों के अनुसार पाकिस्तान विदेशी पत्रकारों को शरणार्थी क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि वह पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हुए अत्याचार और वहां से काफी संख्या में हिन्दुओं, ईसाइयों तथा अन्य अल्प संख्यकों को निकाले जाने की बातें दुनियां से छिपाना चाहता है। समाचारों में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान वहां मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के मानने वालों को नहीं रखना चाहता। वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रति घृणा पैदा करना है।

यह अत्यन्त दुख की बात है कि भारत आने वाले शरणार्थियों को पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा बहुत तंग किया जा रहा है तथा उन्हें सीमा पार करने की अनुमति देने के बदले में धन देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे भी अधिक चिन्ताजनक बात यह है कि नौजवान लड़कियों और बच्चों को धन के बदले भी भारत नहीं आने दिया जा रहा है। उन्हें रेलगाड़ियों से नीचे उतार कर और गाड़ी के डिब्बों को, जिनमें लड़कियां बैठी होती हैं, शेष गाड़ी से काटकर अज्ञात स्थानों को भेजा जा रहा है। लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। उन्हें साधनों के अभाव में कई दिन तक पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। उनमें खड़े रहने की शक्ति भी नहीं रह गई है। ढाका, नारायणगंज, खुलना आदि स्थानों से आने वाली ६,५०० से अधिक लड़कियों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है।

यह किसी दल विशेष की राजनीति का प्रश्न नहीं है। यह एक गम्भीर राष्ट्रीय समस्या है। इस का राष्ट्रीय स्तर पर हल करने के लिए सभी दलों को सहयोग देना चाहिए।

यह अत्यन्त उचित समय है जब कि सरकार को पाकिस्तान की काली करतूतों का संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा विश्व के सामने भंडाफोड़ करना चाहिए। हमारी

वर्तमान प्रचार व्यवस्था अपर्याप्त तथा बहुत कमजोर है। हमारे दूतावास भी इस संबंध में कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी प्रचार व्यवस्था ठीक करनी चाहिए और संसार के सामने सत्यता रखनी चाहिए।

हमारा राष्ट्र खतरे में है ८०,००० लोग यहां आ गये हैं और २,५०,००० आने के लिए सीमा पर पहुंच गये हैं। जो लड़कियां इधर आना चाहती हैं उनके साथ निरन्तर दुराचार किया जाता है उनके साथ बलात्कार किया जाता है। सीमा पर पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं है। वहां परिवहन की व्यवस्था करनी चाहिये और साथ सीमा की चौकियों को मजबूत बनाना चाहिये।

अब समय आ गया है जब हमें अपनी प्रचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिये। अमरीका में लोग यही कहते हैं कि भारत में जनहत्या की जा रही है जिसका कारण यह है कि हमारे दूतावास कोई प्रचार नहीं कर रहे। सभा को इस संकल्प का समर्थन करना चाहिये।

श्री च० का० भट्टाचार्य : हमें इस समस्या का इस पृष्ठभूमि के आधार पर अध्ययन करना चाहिये कि पाकिस्तान धर्म प्रधान देश है जब कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। ये स्थितियां एक दूसरे से इतनी विपरीत हैं कि हमें पहले ही इस चेतावनी को समझ लेना चाहिये था और विश्व के समक्ष घोषणा कर देनी चाहिये थी कि इस प्रकार की असंगति की अनुमति न दी जाए। सब से अच्छा तो यह होता कि पाकिस्तन में अल्प संख्यक संघर्ष कर के अपने अधिकारों को जीत सकते किन्तु धर्म-प्रधान देश में यह संभव नहीं। पाकिस्तान सरकार सभ्य देश नहीं है। वहां तो बलूचियों का दमन करने के लिए उन पर बमबारी की गई है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक क्या आशा कर सकते हैं।

जैसा श्री चटर्जी ने सुझाव दिया है हमें भी इस समस्या का उपचार करना चाहिये। जब ६० लाख नीग्रो दक्षिण अफ्रीका की जाति भेद की नीति के विरुद्ध चेतना जगाई है तो हम पाकिस्तान के ६० लाख अल्पसंख्यकों के लिए विश्व चेतना को क्यों नहीं जगा सकते। हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे संसार का समर्थन प्राप्त कर के पाकिस्तान को नियंत्रित किया जा सके। जब तक ऐसा नहीं किया जाता उन अल्पसंख्यकों का भाग्य नहीं सुधारा जा सकता।

पाकिस्तान में खुलना से उपद्रव शुरू हुए थे। वास्तव में चलना में नया बन्दरगाह बनाया गया था और उसके आसपास सभी गांव हिन्दुओं के थे और पाकिस्तानी चाहते थे कि उन्हें हिन्दुओं से खाली किया जाए। यह काम उन्होंने उपद्रवों से पूरा कर लिया है। यही उद्देश्य पाकिस्तान के मन में था।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : पाकिस्तान धर्म प्रधान राज्य के सिद्धांतों के अनुकूल योजना-बद्ध तरीकें से पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों से विहीन कर देने के लिए प्रयत्नशील है। यह राजनैतिक चाल है।

वहां अल्पसंख्यकों पर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं उनका उल्लेख न करते हुए मैं आदरणीय किकेवुड की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हमने उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया है, केवल यह कि वक्तव्य जारी कर दिया

[श्री हेम बरुग्रा]

है कि उन्हें प्रव्रजन के लिए सुविधाएं दे दी जायें। हम उन्हें दी गई ग्रपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर रहे ।

पाकिस्तान इस ४४ करोड़ लोगों के महान राष्ट्र का घोर विरोध कर रहा है किन्तु हमारी क़ायर सरकार उसके प्रति प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही नहीं कर सकती क्योंकि यह फील्ड मार्शल ग्रयूब से डरती है । इस पर भी ग्रयूब ने सभी करारों की धज्जियां उड़ी दी हैं।

गृह मंत्रियों के सम्मेलन का यह परिणाम होगा कि हम पाकिस्तान की राजनयिक चाल में फंस जायेंगे ग्रौर ग्रवैध पाकिस्तानियों के निष्कासन में विलम्ब होगा ग्रौर ग्रसम दूसरा काश्मीर बन जायेगा ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई]

[Shrimati Renu Chakravarti *in the chair.*]

ग्रब पाकिस्तान समझौते की बात क्यों करने जा रहा है ? इसका कारण है। गांधी जी ने २६ सितम्बर १६४७ को कहा था कि यदि पाकिस्तान निरंतर ग्रपनी गलती को मानने से इंकार करेगा तो भारत को उसके विरूद्ध युद्ध करना पड़ेगा। हम प्रतिक्रियात्मक कार्यवाही क्यों नहीं करते ? पाकिस्तान ने राजशाही में हमारे सहायक ग्रायुक्त का दफ्तर बंद कर दिया किन्तु उनके कलकत्ता ग्रौर शिलांग स्थित उपायुक्त के दफ्तर क्यों बंद नहीं किये जब कि वे विद्रोहात्मक कार्यवाहियां तैयार कर रहें हैं ।

वास्तव में हमारे प्रधान मंत्री ऐसे विवादों में जो ग्रन्य देशों के साथ होते हैं इस प्रकार व्यवहार करते हैं मानो वे तटस्थ निर्णायक हों ग्रौर उसमें उनका कोई हित न हो। पिछले १६ वर्ष में काश्मीर जैसे मामले में जिसमें हमारा पक्ष मजबूत है हम संसार में ग्रपने समर्थक नहीं बना सके तो इन ग्रल्प संख्यकों के मामले में क्या कर सकेंगे । ग्राप प्रयत्न करें कि पाकिस्तान के विरूद्ध विश्व चेतना ग्रौर राय पैदा हो। पाकिस्तान को तुष्ट करने की बजाय हमें विदेश नीति में कुछ पुरूषत्व लाना चाहिये ।

ग्राप कहते हैं कि प्रव्रजन नियमों को उदार बनाया गया है किन्तु स्थिति यह है कि वहां ग्रल्प संख्यकों को ग्रत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । क्या कारण है कि सरकार ने इन शरणार्थियों के बसाने के लिए पाकिस्तान से भूमि नहीं मांगी ?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, this rumour is afloat that Hindu women of East Pakistan have been sent to Arab countries. But Government of India has not been able to enquire into the matter so far. They may contradict the news if this is wrong.

Shri Lal Bahadur Shastri said regarding bomb explosion in Poonch that Pakistan had a hand in it. Heshould have uttered such thing only after having arrested the miscreants.

Very often it is said that in a secular state we should protect the muslims and this thing creates an apprehension among the Hindus that there is none to protect them.

No solid suggestion has been made to check the evil, there rehabilitation of the refugees is no remedy. First of all we should have a frank talk with

Pakistan and if that fails the democratic forces in that country should be assisted openly or secretly. The other alternative is to organise queritleds and then another alternative is to take the final action.

In this regard I have to say one thing Jan Sangh that due to their attitude there is a wide gap between them and the muslims. That barrier must be removed.

I have been advocating the cause of Shiekh Abdull's release but now due to the irresponsible ulterances on the part of Sheikh Abdulla there appears to be a split even among the congressmen. I would advise Shiekh Abdulla that he should not keep his eyes on attainment of high office. Rather he should work for the solidarity of Hindus and Muslims and for creating cordial relations between India and Pakistan.

Shri Raghunath Singh has said that 15 lakhs of Muslims have infilterated in India. It is shameful for the Government. They are not entitled to remain in office.

It is a wrong argument to say that if a million of Hindus of East Pakistan come to India how we would be able to feed them. I have already given the suggestion to overcome the problem.

Government should issue a white paper regarding the atrocities perpetuated on Hindus by Pakistan so that the world should know the difference between India and Pakistan otherwise no amount of publicity can convince other countries regarding the state of affairs. Truth should be frankly revealed in the white paper.

Deep shadows are prevailing but the dawn is not far off. We must be prepared for the dawn and if the problem is not solved peacefully we must be prepared for the final action.

The Minister without Portfolio (Shri Lal Bahadur Shastri) : Nobody can disagree with the resolution moved by Shri Tridib Kumar Chaudhari. There is no doubt that Pakistan tried during the last few months to excite disturbances in India so that they could approach the Security Council with the complaint that disturbances in Dhaka and Khulna were the consequence of the disturbances in India. Pakistan is indulging in a very dangerous propaganda. They flared up communralism in Dhaka and other places saying that the sacrod hair was stolen by a non Muslim. Thereafter the communal frenzy was so much roused that the Government could not control the situation. During the last seventeen years never such situation was created as it is prevailing now. We deplore the incidents in Jamshedpur, Rourkela and Ranchi, but we could control the situation within a day or two by taking stringent measures and the general public was assisted us in this job. Where thousands and thousands of people were killed in Pakistan and thousands of them had come to one our country such conditions removed the feelings of the people here.

Shri Badrudajja : In India also genocide has been committed and thousands of muslims have gone to Pakistan.

Shri Lal Bahadur Shastri : When we evict the Pakistani citizens it is not proper to argue that we are sending muslims out of the country. We are responsible if a single Indian muslim is displaced and goes to Pakistan and are prepared to take him back. But on the other hand not a single displaced

[Shri Lal Bahadur Shastri]

Hindu is prepared to go back to Dhaka, Mehman Singh and Khulna and thousands of Hindus are standing in que before the office of the Deputy High Commissioner in India seeking permit for migration. Pakistan Government has not fulfilled its responsibility what can be the greater to them to say that India is inviting the Hindus of Pakistan. At the time of partition lakhs of muslimls had migrated to Pakistan but if you look at the figures you would know that a great number of those muslims had come back to India.

Pakistan is a thescratic muslim state and they think that no non Muslim can live in Pakistan so they are expelling the Hindus, the Christians and the Bhudhists. Because it was difficult to issue migration certificates to 30 to 40 thousands of people several thouands of Christains of the Hill tribes have come leaving every thing in Pakistan. 80 thousands of such people have come in Garo hills, they would like to come on invitations leaving their hearths and homes. The fact is that Pakistan Government is blind to these things. There is no democracy. The national assembly is only in name and the Government functions arbitrarily. Shri Badrudduja may read the speeches of the opposition members of national assembly of Pakistan to know the state of affairs.

श्री बदरुद्दुजा : श्रीमन् मैं आपका संरक्षण चाहता हूं मुझे कहा गया है कि मैं उनके भाषण पढ़ूं।

Shri Lal Bahadur Shastri: I am not attacking him. I am simply asking him to know what sort of democracy is working in Pakistan. A democratic Government is restrained on seveal accounts. Here the people can remove the Government if they desire. In Pakistan even the ordinary rights of citizens are not protected.

We congratulate the state Governments that they have taken the problem of refugees as a national problem and they have agreed to settle them in thousands and thousand in thier respective areas. Temporary camps are being set up where from the refugees would be sent to the projects where they would be given employment and settled permanently.

There has been difficulty in issuring the migration Certificates because thousands of Hindus gathered before the office of Deputy High Commissioner.

Now the authorities then have been directed not to ask for sanction. As a result thereof migration certificates for 1 lakh 8 thousand three hundred and twnety four persons have been issued so far.

श्री हेम बरुआ : क्या उन्हें भरने के लिए प्रपत्र देदिये गये या प्रव्रजन पत्र जारी किये जा चुके हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इतने प्रव्रजन पत्र जारी किय जा चुके हैं। किन्तु पत्र प्राप्त करने वालों की संख्या वहां इतनी अधिक है कि दफ्तर में उन्हें ठहराने के लिए इतनी जगह नहीं है। और जगह मिल नहीं रही।

श्री हेम बरुआ : मेरा अभिप्राय यह था कि प्रव्रजन कर्ताओं को बहुत कठिनाई अनुभव हो रही है।

Shri Lal Bahadur Shastri: I admit that they are put to orders, but the strenuous efforts put in by our staff are appreciable.

I agree to the proposal made in the resolution that U.N.O. should be apprised of these conditions. Foreign correspondents have widely circulated these reports and prepared films. We have given them full asistance.

Shri RamManohar Lohia has said that a white paper should be issued. I assure him that we would consider this matter.

Moreover it has been said that we should send our delegations abroad. We are sending our delegations to Africa and South east Asia. I hope that it would benefit the cause of this country.

The news regarding shipment of Hindu women to Arab countries has been proved wrong. I am prepared to accept the resolution in amended form. so that we should have a unanimous opinion.

मैं श्री त्रिदिव कुमार चौधरी से श्री रघुनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार करने के लिए अनुरोध करता हूं। मैंने भी संकल्प में थोड़ा परिवर्तन किया है आशा है वह माननीय सदस्य को मान्य होगा। मैं संकल्प को संशोधित रूप में पढ़ूंगा :

"इस सभा की यह राय है कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाली अल्पसंख्यक जातियों के जान, माल और सम्मान की सुरक्षा और पाकिस्तान के उक्त भाग में सामान्य रूप से उन्हें सभी मानव अधिकारों से वंचित किये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को चाहिए कि वह पूर्वी पाकिस्तान से अल्प संख्यक जातियों के लोगों के भारत संघ में आने सम्बन्धी सब प्रतिबन्धों में ढील देने के अतिरिक्त विश्व के जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए कदम उठाने पर भी विचार करे।"

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : यह संतोष की बात है कि सरकार ने संकल्प की भावना को स्वीकार किया है और माननीय सदस्य ने स्पष्टरूप में इस बात का आश्वासन दिया है कि पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे अमानवीय अत्याचारों के बारे में विश्वमत पाकिस्तान के विरुद्ध करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जायेगा।

पाकिस्तान का हमारे प्रति द्वेषपूर्ण दृष्टिकोण इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि प्रधान मंत्री द्वारा दोनों देशों के गृह-कार्य मंत्रियों के सम्मेलन के सुझाव को भारत में हुए साम्प्रदायिक दंगों के मूल कारणों पर बातचीत करना कहा गया है।

पाकिस्तानी नेता तथा स्वयं राष्ट्रपति अयूब खां भी अपने वक्तव्यों में यही कहते रहे हैं कि सम्मेलन में भारत साम्प्रदायिक दंगों तथा मुसलमानों को भारत से निकालने के प्रश्न पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के वैदेशिक कार्य विभाग के अवर सचिव ने पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली को बताया कि पाकिस्तान सरकार भारत द्वारा मुसलमानों को निकालने के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की वांछनीयता पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व को इस सम्बन्ध में अनौपचारिक रूप से अवगत करा दिया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में भारतीय मुसलमानों को निष्कासन की चर्चा की है। पाकिस्तान इन सब तरीकों से विश्वमत भारत के विरूद्ध करना चाहता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री भुट्टो ने ३० मार्च, १९६४ को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत-पाकिस्तान के बीच झगड़ों का मूल कारण काश्मीर है। जब तक काश्मीर की समस्या हल नहीं होती तब तक झगड़े समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि समस्या पर गंभीरतापूर्वक सोचा जाये।

श्री हेम बरुआ : मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्य ा ३ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No, 3 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No, 4 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रघुनाथसिंह का संशोधन संशोधित रूप गमें रखूंगा । प्रश्न यह है :

कि संकल्प में,—

"In addition to removing all restrictions on the migration of people belonging to minorities Communities from Fast Pakistan to the Indian Union, also take steps to raise the issue of the democratic and human rights of the minorities in the forum of the United Nations under appropriate articles of the U. N. Charter".

["पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यक जातियों के लोगों को भारत संघ में आने सम्बन्धी सब प्रतिबन्धों को हटाने के अतिरिक्त राष्ट्र संघ के अधिकारपत्र के सुसंगत अनुच्छेद के अन्तर्गत कहां के अल्पसंख्यकों के लोक तंत्रात्मक तथा मानवोचित अधिकारियों के प्रश्न को राष्ट्र संघ के मंच पर भी उठाने के लिए भी कार्यवाही करें ।"]

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये ;

"In addition to relaxing restrictions in migration of people belonging minority communities from East Pakistanto Indiaa Union consider steps for enlisting the world opinion.

["पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यक जातियों के लोगों के भारत संघ में आने सम्बन्धी प्रतिबन्धों में ढील देने के अतिरिक्त विश्व के जनमत अपने पक्ष में करने के लिए कदम उठाने पर भी विचार करें ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संकल्प को संशोधित रूप में मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा । प्रश्न यह है :

"इस सभा की यह राय है कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाली अल्पसंख्यक जातियों के जान, माल और सम्मान की सुरक्षा और पाकिस्तान के उक्त भाग में सामान्य रूप से उन्हें सभी मानव अधिकारों से वंचित किये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को चाहिये कि वह पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यक जातियों के लोगों के भारत संघ में आने सम्बन्धी सब प्रतिबन्धों में ढील देने के अतिरिक्त विश्व के जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए कदम उठाने पर भी विचार करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अंगहीन व्यक्तियों की शिक्षा के बारे में संकल्प
RESOLUTION *RE*: EDUCATION OF HANDICAPPED

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"इस सभा की यह राय है कि अंगहीन व्यक्तियों जैसे, नेत्रहीन, मूक और बधिर, मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए और विकलांग व्यक्तियों के लिए १९७० तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के लिए मार्गोपाय सुझाने के हेतु सरकार को संसद्-सदस्यों और विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिये।"

अंगहीन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना केवल मानवीय आधार पर ही नहीं, अपितु आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आज तीन पंचवर्षीय योजनाओं में काफी पूंजी विनियोजन के बावजूद भी हम अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाये हैं। इसका एक कारण यह भी है कि देश में लाखों अंगहीन व्यक्तियों पर, जो पूर्ण रूप से दूसरों पर आश्रित हैं, काफी धन व्यय होता है। वे लोग उपभोग तो सब वस्तुओं का करते हैं किन्तु उत्पादन किसी का भी नहीं करते हैं।

अंगहीनों को रोजगार देने और शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के अध्यक्ष श्री हार्वर्ड रस्क का कहना है कि यदि हम अंगहीन व्यक्तियों की देख-रेख अच्छी तरह और उनके लिए उचित शिक्षा व्यवस्था करें तो यह समस्या हल हो सकती है और कोई भी व्यक्ति अंगहीन नहीं कहलायेगा।

यह दुर्भाग्य की बात है कि तीनों पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में बहुत कम प्रगति हुई है। शिक्षा मंत्रालय ने अंगहीनों के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित करने के लिए किसी प्रकार के कदम नहीं उठाये हैं। ब्रिटेन में अंगहीन व्यक्तियों की संख्या ९.७ प्रतिशत है और अमेरिका में यह संख्या १०.३ प्रतिशत है। यदि हम भारत में भी इसी अनुपात से अंगहीनों की संख्या मान लें तो यह २ करोड़ से अधिक होगी। यह दुःख की बात है कि इस समय देश में इन लोगों के लिये केवल २५० प्रशिक्षण संस्थायें हैं और अब तक केवल बहुत कम लोगों को प्रशिक्षण और रोजगार मिल पाया है। यह केवल २ करोड़ व्यक्तियों का नहीं अपितु २ करोड़ परिवारों का प्रश्न है क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति के अंगहीन हो जाने पर सारे परिवार पर संकट आ जाता है। इन दो करोड़ लोगों को प्रशिक्षण और रोजगार देने से कम से कम १० करोड़ लोगों को लाभ होगा। सरकार को इस सम्बन्ध में प्रगति से कार्य करना चाहिये।

भारत जसे देशों के लिए, जिनका विकास हो रहा है, प्रगति के मार्ग पर तेजी से बढ़ने के लिए पूरी जनशक्ति का उपयोग किया जाना चाहिये। यदि अंगहीन व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण देकर विकास कार्यों में लगाया जाये तो किसी सीमा तक सफलता मिल सकती है। यह बात इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है कि कुछ अंगहीन साधु केवल ४ महीने के प्रशिक्षण से ही काम करके ७५ रुपये, प्रतिमास कमा रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को संगठित प्रयत्न करना चाहिये, इस कार्य के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को सफल बनाने के लिए स्वयंसेवी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं को अंगहीन व्यक्तियों को उचित शिक्षा तथा रोजगार देने में महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिये। शिक्षा मंत्रालय को भी इन कार्यकर्ताओं तथा संस्थाओं को पूरा सहयोग देना चाहिये। मंत्रालय द्वारा

[श्रीमती सावित्री निगम]

प्रोत्साहन देने पर ही अन्य संस्थायें इस समस्या को हल करने के लिए सरकार का हाथ बटाने के क्षेत्र में आयेंगी ।

यह दुःख की बात है कि इन स्वयंसेवी संस्थाओं की मंत्रालय द्वारा उपेक्षा की गई है । उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । सरकार द्वारा इन संस्थाओं को अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि भी समय पर नहीं दी जाती है । इस लिए धन के अभाव में इन संस्थाओं द्वारा काम चलाना कठिन हो जाता है । सरकार को इस संबन्ध कोई उचित कार्यवाही करनी चाहिये जिससे अंगहीन व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाया जा सके और वे समाज पर बोझ के रूप में न रहें ।

अंगहीन व्यक्तियों की उचित देखभाल करने तथा इन्हें शिक्षा देने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना होगा । इस कार्य पर होने वाले व्यय को सरकार को वहन करना पड़ेगा । अंगहीन व्यक्तियों की चिकित्सा के बारे में राय देने के लिए विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त किये जाने चाहिये । इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी नहीं है । भिन्न भिन्न प्रकार के अंगहीन व्यक्तियों के लिए अलग अलग सलाहकार होने चाहिये । अधिक संख्या में गोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजना किया जाना चाहिये जिससे अधिकारिक जानकारी प्राप्त हो सके । दूसरे देशों में इस दिशा में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशों में प्रतिनिधि भेजे जाने चाहिये। मैंने अमेरिका में स्वयं देखा कि वहां पर अंगहीन व्यक्तियों की आय इतनी अधिक है कि उन्हें सरकार को आय कर देना पड़ता है । हमें भी अंगहीन व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था करके इसी प्रकार समस्या का हल करना चाहिये ।

यद्यपि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का कार्य बहुत सराहनीय रहा है, इसकी बैठक वर्ष में केवल एक बार होती है । इस परिषद् की बैठक वर्ष में कई बार होनी चाहिये और इसमें विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधान होना चाहिये । सरकार को इस परिषद् की अंगहीन व्यक्तियों सम्बन्धी सिफारिशें मान लेनी चाहिये । किन्तु सरकार ऐसा नहीं करती है । उदाहरणार्थ परिषद् ने सिफारिश की थी कि अंगहीन व्यक्तियों के लिए शिक्षा संस्था के लिए भवन निर्माण पर होने वाले व्यय का ७० प्रतिशत भाग सरकार को अनुदान के रूप में देना चाहिये और इस राशि की अधिकतम सीमा १ लाख रुपये निर्धारित की गई थी । किन्तु सरकार ने दो कमरों के निर्माण के लिए यह सीमा ३०,००० रुपये कर दी है । इस महंगाई के दिनों में ३०,००० रुपये में दो कमरों वाले मकान बनाना बहुत कठिन है । सरकार को इस परिषद की सिफारिशों पर पुर्नविचार कर उन्हें पूर्णरूप से लागू करना चाहिये ।

यह दुःख की बात है कि छात्रवृतियों अंगहीन व्यक्तियों की शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा पाने वाले छात्रों को न दे कर अन्य शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा पाने वाले छात्रों को, जो आंशिक रूप में अंगहीन हैं, दी जाती है । सरकार को अंगहीनों की संस्थाओं में शिक्षा पाने वाले छात्रों को छात्र-वृत्तियां देने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिये । अंगहीन व्यक्तियों के लिए शिक्षा संस्थाओं में बहुत कम वृद्धि हो रही है । इनकी संख्या इस समय २५० है जब कि यह संख्या वर्ष १९५२ में २४० थी । इन १२ वर्षों में केवल १० संस्थायें खोली गईं । सरकार को इस ओर कोई उचित कदम उठाना चाहिये ।

शिक्षा मंत्रालय को गृह-कार्य मंत्रालय पर जोर डालना चाहिये कि अलग जनगणना प्रतिवेदन में इन अंगहीन व्यक्तियों को भी शामिल किया जाना चाहिये। हमें आयोजित विकास तथा आयोजित रोजगार देने सम्बन्धी कार्य के लिए, इन लोगों की वास्तविक संख्या मालूम करने के लिए ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों का नमूना सर्वेक्षण करना चाहिये।

प्रत्येक राज्य में शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहियें। जहां पर विक्लांग अध्ययन करते हैं वहां पर उनको विक्लांग साधन बिना शुल्क के बांटे जाने चाहिये। विक्लांगों को यात्रा सम्बन्धी सुविधायें भी खुले तौर पर ही दी जानी चाहियें।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में बहरों, गूंगों और अन्धे लोगों के लिए एक आदर्श केन्द्र स्थापित करने का विचार था परन्तु वह आज तक स्थापित नहीं हो सका। मेरा अनुरोध है कि ऐसा एक एक आदर्श केन्द्र प्रत्येक राज्य में तीसरी योजना अवधि में खोला जाय।

विक्लांगों की जो तकनीकी संस्थायें हैं वहां पर जरूरतमंद शिक्षार्थियों के लिए छात्र-वृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिये। जिन लोगों के पास कोई देखभाल करने वाले नहीं हैं उन्हें रहने के लिये घर भी दिये जाने चाहियें। मानसिक तथा शारीरिक रूप से अक्षम विक्लांगों के लिये अनिवार्य और शुल्क रहित परीक्षण की सुविधा होनी चाहिये।

अन्धों को देहरादून में प्रशिक्षण तो दिया जाता है परन्तु उनका पुनर्वास नहीं किया जा रहा है। उन को रोजगार के लिए इधर उधर भागना पड़ता है। दिल्ली में ऐसे लोगों के मार्गदर्शन के लिए कोई चिकित्सालय नहीं है। ऐसे चिकित्सालय होने चाहिये जो अन्धों, लंगड़ों और बहरों को उचित सूचना उपलब्ध कर सकें।

विधान बना कर प्रत्येक नगरपालिका को मजबूर करना चाहिये कि वह प्रत्येक विक्लांग बच्चे का नाम पंजीबद्ध करें। विक्लांगों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये प्रत्येक संस्थान में कम से कम ४ या ५ प्रतिशत स्थान ऐसे लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाने चाहियें। ऐसे कारखाने स्थापित होने चाहियें जिनमें विक्लांगों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिले ताकि वह उद्योगों में रोजगार प्राप्त कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद (नालंदा) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प तथा संशोधन अब सभा के समक्ष हैं।

Shri Sidheshwar Prasad : There is no doubt about the fact that the number of Deaf, Dumb, blind and other crippled persons in our country is very large, but this problem is found in other countries also in the same magnitude. It is evident from Elexe Caral's book "Man the Unknown" that the number of such persons is very large in America. When such advanced countries have not been able to solve their problem, it is useless to blame our Government for the same. Moreover, we have not yet been able to give education to all the children between 6 and 11 years of age. How is it possible then to make adequate provision for the crippled and other persons ? Therefore I

(Shri Sidheshwar Prasad)

have given the suggestion that we should fix the year 1990 as the target date for solving this problem.

At the same time I feel that the problem of deaf, dumb, blind and other crippled persons is very serious and we should make adequate arrangements for their education so that they may not remain a burden on society. Not only they should be given education, but they should be given education in such a manner that they may become self sufficient.

With these words I commend my amendment to the House.

Shri Kachhavaiya ((Devas) : I support the Resolution under discussion. There should be adequate arrangement for the education of Deaf, dumb, blind and other cirppled persons. Only the poor people are victims of such deformities, therefore efforts should be made to improve their economic conditions to provide for them free education and other facilities.

Such people should be given employment in Government departments. I saw an institution for the blind at Gwalior and I found that adequate funds are not given to them. Adequate financial help is not given to the Institution for the Blind in Delhi. Government should give attention to this.

Besides, efforts should be made to find out the reasons which lead to such deformities and diseases.

I will press upon Shrimati Savitri Nigam not to withdraw her Resolution in any case.

I will also urge upon the Government to open more schools and colleges for such persons in every State.

Shri Sheo Narain (Bansi) : I rise to support the Resolution under discussion. The deaf, dumb and other deformed people should be given every kind of help by the society. I want to suggest a source from which sufficient funds can be obtained, and then spent on such persons. Big businessmen and other rich people keep aside some money in their charity accounts regularly. Such charity funds may run into crores, which the Government can acquire, and then spend the same for the welfare and well being of the deformed and crippled persons. Also, the Government should inculcate among the people a spirit of dedication so that people may be prepared to help such persons generously. We have to improve the condition of such persons so that they may be able to move side by side with us. The Government itself should also be prepared to give maximum assistance and facilities to such people. Our educational institutions are models of honesty and sincerity. I hope they will also come forward to help the deaf, dumb and blind persons. They can do a lot for the welfare of society.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्रीमान, मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पूछिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं बीरभूम के एक अन्धे स्नातक को जानता हूं जो पिछले तीन सालों से रोजगार की तलाश में है। उसने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से काफी पत्र-व्यवहार किया है किन्तु बेचारे को अभी तक कोई रोजगार नहीं मिल पाया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के शिक्षित अंगहीन व्यक्तियों को उचित रोजगार देने की व्यवस्था की जाये।

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : माननीय महिला सदस्या श्रीमती सावित्री निगम इस शुभ कार्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए बधाई की पात्र हैं। मैंने उनके द्वारा चलाई जाने वाली अंगहीनों की संस्थाओं को देखा कि उनका कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

वह समय बीत चुका है जब कि अंगहीन व्यक्तियों को कुछ कार्य करने योग्य नहीं समझा जाता था। आज समय की प्रगति के साथ साथ हम उस स्थिति में पहुंच गये हैं जब कि प्रशिक्षण द्वारा प्रत्येक अंगहीन व्यक्ति को समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बनाया जा सकता है। सरकार की नीति अंगहीन व्यक्तियों को हर प्रकार की सहायता देने की है। इन अभागे व्यक्तियों की सहायता करना समाज तथा सरकार दोनों का कर्त्तव्य है।

माननीया सदस्या चाहती हैं कि वर्ष १९७० तक सारे अंगहीन व्यक्तियों की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिये। मुझे उनसे सहानुभूति है। किन्तु उन्हें इस उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग में होने वाली कठिनाइयों की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

अंगहीन व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए हमें बहुत से उपकरणों की आवश्यकता है जो इस समय आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस समय देश में जो संस्थायें हैं उनके लिए हम कुछ समय पहले उपकरण प्राप्त कर पाये हैं। हमें अंगहीन व्यक्तियों को शिक्षण देने के लिए बड़ी संख्या में अध्यापकों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। वर्तमान उपकरण सम्बन्धी सुविधायें केवल शहरों में ही उपलब्ध हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध करने के लिए सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है।

मैं सभा की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में अकर्मण्य नहीं रही है। इस समय देश में अन्धों के लिए १०९ विद्यालय तथा अन्य संस्थायें हैं और गूंगे तथा बहरों के ६८ विद्यालय काम कर रहे हैं जिनमें क्रमशः लगभग ५,००० और ४,००० व्यक्तियों को शिक्षा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विकलांग बच्चों के लिए २३ स्कूल तथा मानसिक रोग से पीड़ितों के लिए १२ स्कूल कार्य कर रहे हैं।

माननीय सदस्य की यह शिकायत सच है कि सरकार के पास इन व्यक्तियों के बारे में आंकड़े नहीं हैं। इनकी जनगणना वर्ष १९३१ से नहीं की गई है। हमने जनसंख्या पंजीयक (सेंसस रजिस्ट्रार) को कहा है कि भावी जनगणना के समय अंगहीन व्यक्तियों के बारे में आंकड़े एकत्रित किये जायें। किन्तु अनुमान है कि इस समय देश में ४,४७,००० अन्धे, २,२३,००० बहरे और ४,४७,००० विकलांग व्यक्ति हैं। मासिक रूप से कमजोर बच्चों की संख्या १५ लाख और १८ लाख के बीच में होगी।

आज हमारे सामने अंगहीन व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रश्न नहीं अपितु अन्य लाखों व्यक्तियों को रोजगार देने की समस्या है। हम इस समस्या को सुलझाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं माननीया सदस्या को आश्वासन देता हूं कि इस क्षेत्र में परमार्थ का काम करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं को मंत्रालय यथासंभव सहायता देगा। मैं यह भी विश्वास दिलाता हूं कि इन संस्थाओं की मेरी पदावधि में उपेक्षा नहीं की जायेगी।

[श्री मु० क० चागला]

माननीया सदस्या ने यह भी शिकायत की है कि इन संस्थाओं को अनुदान समय पर नहीं दिया जाता है। अनुदान देने में देरी होने का मुख्य कारण यह है कि वे गत वर्षों में दिये अनुदान के प्रयोग के बारे में सरकार को उचित ब्योरा नहीं देते हैं। अनुदान देने के मामले में हमें वित्त विभाग के नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। जब तक वित्त विभाग पिछले अनुदान की राशि के प्रयोग के बारे में औपचारिक रूप से संतुष्ट नहीं होता हम अगले वर्षों के लिए अनुदान नहीं दे सकते हैं।

जहां तक अंगहीन व्यक्तियों संबंधी सलाहकारों की नियुक्ति का प्रश्न है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। माननीया सदस्या परिषद् की भी सदस्या है और वह इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। उनके द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं का कार्य बड़ा सराहनीय है। इस परिषद् की वर्ष में कई बठकों का आयोजन करने की दिशा में प्रयत्न किया जायेगा तथा इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के संबंध में विचार किया जायेगा।

अंगहीन विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा अथवा तकनी की शिक्षा अथवा देख रेख संबंधी प्रशिक्षण पाने के लिए पर्याप्त छात्रवृतियां दी जा रही हैं। वर्ष १९६३–६४ में हमने ५१४ छात्रवत्तियां दी थीं। चालू वित्तीय वर्ष में अंगहीन व्यक्तियों को १,५०० छात्रवृतियां देने का प्रस्ताव है। इस संबंध में सरकार छात्रवृतियां बढ़ाने के लिए जो कुछ संभव होगा करने के लिए तैयार है।

देहरादून में अन्धे व्यक्तियों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय केन्द्र और हैदराबाद में वयस्क बहरों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। सरकार अगले वित्तीय वर्ष में मानसिक रोगियों के लिए दो स्कूल, दक्षिण में अन्धों के शिक्षण के लिए एक केन्द्र, उत्तर में वयस्क बहरों के शिक्षण के लिए केन्द्र तथा दिल्ली अथवा चंडीगढ़ में विकलांग रोगियों के लिये एक केन्द्रीय रोजगार केन्द्र खोलना चाहती है।

इस संबंध में समिति नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय परिषद् हमें समय समय पर सलाह दे सकती है। संकल्प में जो लक्ष्य रखा गया है, वह वर्ष १९७० तक पूरा होना संभव नहीं है। संकल्प में जो सुझाव दिये गये हैं उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी तथा उन्हें यथासंभव स्वीकार करने का प्रयत्न करेगी।

श्रीमती सावित्री निगम : शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा दिये गये अश्वासनों के लिये मैं उनकी आभारी हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि इस दिशा में सहानुभूति से काम लिया गया तो हम समस्या हल करने में काफी सफल होंगे।

एक माननीय सदस्य ने एक बेकार अन्धे की चर्चा की है। मैं उनको बताना चाहती हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने सेवाकाल में आंख खो कर बेकार बैठे हैं। यद्यपि गृह कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष १९५२ के एक संकल्प में यह स्पष्ट किया गया था कि सेवाकाल में अन्धे होने वाले व्यक्ति को सेवा से अलग नहीं किया जायेगा बशर्ते वह अन्य प्रशासनिक कार्यों को करने की योग्यता रखता हो।

यदि अंगहीन व्यक्तियों के मामलों की जांच पड़ताल की जाये अथवा उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेष राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित किया जाये तो शिक्षा मंत्रालय का काम हल्का हो जायेगा।

हमारे मेडिकल कालेजों के पाठ्यक्रम में अंगहीन व्यक्तियों के शिक्षण और उन्हें रोजगार देने संबंधी पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाना चाहिए इससे समस्या हल करने में बहुत सहायता मिलेगी ।

इस राष्ट्रीय महत्व के संकल्प पर बहुत माननीय सदस्य समझ के अभाव के कारण नहीं बोल पाये। इसके लिये और समय दिया जाना चाहिये था। माननीय मंत्री द्वारा दिए गये आश्वासनों के परिणामस्वरूप मैं इस संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहती हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री सिद्धेश्वर प्रसाद भी अपना संशोधन वापिस ले रहे हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री सिद्धेश्वर प्रसाद को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्रीमती सावित्री निगम को अपना संकल्प वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The Resolution was, by leave, withdrawn

लोक आयुक्त की नियुक्ति के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : APPOINTMENT OF PEOPLES PROCURATOR

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :--

"इस सभा की यह राय है कि (क) सार्वजनिक शिकायतों की सक्रिय और निष्पक्ष जांच करने, सभी स्तरों से भ्रष्टाचार समाप्त करने, प्रशासनिक गलतियों और ज्यादतियों को दूर करने, नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने और सामान्यतया संसदीय लोकतंत्र शासन पद्धति की नींव को मजबूत बनाने के लिए मोटे रूप में स्वीडन, डेनमार्क और न्यूजीलैण्ड की ओम्बुड्समैन प्रणाली के नमूने पर उपयुक्त विधान के अन्तर्गत संसद् का एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाये जिसे लोक आयुक्त कहा जाये ।"

(ख) कि लोक आयुक्त कोई विख्यात विधिवेत्ता और बहुत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिये और उसे संसद् की दोनों सभाओं की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक लोक आयुक्त का कार्य-काल

[श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी]

प्रत्येक संसद् के कार्यकाल के साथ समाप्त हो और कोई लोक आयुक्त उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा और लोक आयुक्त के पद से हटने के बाद कम से कम दस वर्ष तक वह केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन या उनसे संबंधित विश्वास अथवा लाभ का कोई पद स्वीकार नहीं करेगा । लोक आयुक्त को केवल संविधान के अनुच्छेद १२४(४) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकेगा ;

(ग) कि लोक आयुक्त की मुख्यतः निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :—

(१) लोक आयुक्त को प्रशासन के मामले में संबंधित अथवा किसी संविधि नियम या निदेशों द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति या कृत्य का उपयोग करते हुए किसी मंत्रालय और विभाग अथवा किसी मंत्री, पदाधिकारी, कर्मचारी या उसके किसी सदस्य द्वारा किये गये किसी ऐसे निर्णय या सिफारिश अथवा किसी कार्य या भूलचूक की जांच करने की शक्ति होगी जिसका किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय पर प्रभाव पड़ता हो । लोक आयुक्त सरकार को सामान्य और विशिष्ट सिफारिशें करेगा और वह उन लोगों के विरूद्ध कार्यवाही का सुझाव देगा जिन्होंने अपने सरकारी कर्त्तव्यों का निष्पादन करते हुए पक्षपात, अनुचित अनुग्रह अथवा अन्य किसी कारण या प्रतिफल के कारण कोई गैर कानूनी काम किया हो अथवा उचित रीति से अपने कर्त्तव्य का पालन करने में उपेक्षा की हो ;

(२) लोक आयुक्त एक उपयुक्त अधिनियम में विस्तार से बताई जाने वाली अपेक्षाओं के अनुसार उससे शिकायत किये जाने पर अथवा अपनी ओर से प्रस्ताव करके इस प्रकार की जांच कर सकेगा :

(३) पूर्व उपबन्धनों को सीमित किये बिना, लोक आयुक्त संसद् की किसी सभा अथवा उसकी किसी समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट की गई किसी याचिका की जांच उस सभा या समिति के निदेशों के अधीन करेगा और उसके संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा ;

(४) लोक आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग, समय समय पर लोक सभा द्वारा पारित किये गये और राज्य सभा द्वारा अनुमोदित एक प्रस्ताव में निर्धारित सिद्धांतों और निदेशों के अनुसार किया जायेगा ;

(५) यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि लोक आयुक्त को किसी मामले या किसी श्रेणी के मामलों के बारे में जांच करने का अधिकार है, तो लोक आयुक्त यदि, वह ठीक समझे, उच्चत्तम न्यायालय से उस विषय में राय मांगेगा ;

(६) लोक आयुक्त को कोई दस्तावेज मांगने या किसी व्यक्ति को बुलाने और किसी व्यक्ति को शपथ दिला कर पूछताछ करने की शक्ति होगी ;

(७) लोक आयुक्त अपने कृत्यों के प्रयोग के बारे में संसद् को प्रति वर्ष कम से कम एक व्यापक प्रतिवेदन देगा ;

(घ) कि भारत संघ के सभी राज्यों से भी इसी प्रकार की शक्ति और कृत्य वाले लोक आयुक्त नियुक्त किये जायें और उपरोक्त प्रयोजनों को कार्य रूप में देने के लिए विधान में उपयुक्त संशोधन करने हेतु तथा विधान निर्माण के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाये जायें ?"

यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है। हमें आज प्रशासी विवेक को विनियमित करने तथा जन-साधारण की शिकायतों को दूर करने के लिए एक संस्था स्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि क्रिया संबंधी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण जन साधारण की शिकायतें दूर नहीं हो पाती हैं।

मेरा यह संकल्प प्रस्तुत करने का यह अभिप्राय नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को इसका दोषी मानता हूं। मैं केवल सभा का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाकर जन साधारण की शिकायतों को दूर करने की कोई उचित व्यवस्था करना चाहता हूं।

मुझे यह संकल्प प्रस्तुत करने की प्रेरणा पासकल (Pascal) की इस विचारधारा से मिली है कि बिना शक्ति के न्याय नहीं हो सकता है और बिना न्याय के शक्ति रहने पर अत्याचार की प्रवृति उमड़ती है। अतः न्याय और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने संकल्प में इन्हीं दो बातों पर जोर दिया है। सभा को इसका समर्थन करना चाहिए।

इस समय देश में जन साधारण की शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें शिकायतें करने का उचित अवसर मिल पाता है और उन्हें दूर किया जाता है।

स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नार्वे, न्यूजीलैंड आदि कई अन्य देशों में जन साधारण की शिकायतों को दूर करने के लिए 'ओम्बुडसमैन' जैसी संस्थायें हैं। आम्बुडसमैन का अर्थ सरकारी वक्तव्य है यह शब्द स्वीडन में सोलिसिटर के लिए प्रयोग किया जाता है जिसकी नियुक्ति वहां संसद् करती है। वह संसद् की ओर से जनसाधारण की शिकायतों की जांच करता है और वर्ष के दौरान अपने काम की रिपोर्ट संसद् को देता है।

यद्यपि हमारे देश में वर्तमान न्याय संबंधी प्रक्रिया में कुछ मूल अधिकारों की व्यवस्था है, किन्तु जन साधारण प्रक्रिया की जटिलता के कारण न्याय प्राप्त नहीं कर सकता है। सभा को जनसाधारण की कठिनाई अनुभव करनी चाहिए।

कोई संसद् जनसाधारण की सभी शिकायतों को मंत्री महोदय को लिखित रूप में भेजकर अथवा सभा में प्रश्न पूछ कर सरकार तक नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि इसमें भी प्रक्रिया संबंधी बहुत सी कठिनाइयां हैं। यह शिकायतें दूर करने का उचित तरीका नहीं कहा जा सकता है।

यह उपयुक्त समय है कि नागरिकों की शिकायतें तथा असंतोष को दूर करने के लिए सरकार को वर्तमान प्रक्रिया का पुनरीक्षण करके या तो फ्रांसीसी नमूने पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रणाली स्थापित करनी चाहिये और या स्वीडन तथा अन्य कई देशों की 'ओम्बुडसमैन' प्रणाली के नमूने पर उपयुक्त विधान के अन्तर्गत संसद् का एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाये जिसे लोक आयुक्त कहा जाये।

[श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी]

देश की प्रशासनिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें इस कार्य के लिए ग्रेट ब्रिटेन की फ्रैंक समिति जैसी एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जो समस्याओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करे। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे प्रजातांत्रिक समाज का विकास हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, ४ अप्रैल, १९६४ / १५ चैत्र, १८८६ (शाक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourn till Eleven of the Clock on Saturday the 4th April, 1964/Chaitra 15, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—430 (Ai) LS—20-6-64—600.